


जिला किन्नौर से सम्बन्धित
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए

हिमाचल प्रदेश सरकार
(वर्ष 2012 का प्रतिवेदन संख्या 5)



विषय सूची


विवरण	के संदर्भ में	
	परिच्छेद	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		v
परिचय		vii
अध्याय-1: कार्यकारी सारांश		
कार्यकारी सारांश		1
अध्याय-2: लेखापरीक्षा ढांचा		
लेखापरीक्षा उद्देश्य	2.1	9
लेखापरीक्षा अधिदेश	2.2	9
लेखापरीक्षा मानदण्ड	2.3	9
लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली	2.4	9
आभारोक्ति	2.5	10
अध्याय-3: जिला योजना एवं वित्तीय प्रबन्धन		
जिला योजना समिति एवं जिला योजना	3.1	11
वित्तीय प्रबन्धन	3.2	11
अध्याय-4: सामाजिक सेवाएं		
स्वास्थ्य सेवाएं	4.1	13
शिक्षा	4.2	21
एकीकृत बाल विकास सेवाएं	4.3	27
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	4.4	28
जलापूर्ति	4.5	29
स्वच्छता सुविधाएं/ मलव्यवस्था	4.6	31

अध्याय-5: आर्थिक सेवाएं		
सड़क अवसंरचना	5.1	33
विकास में जन सहयोग	5.2.1	34
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	5.2.2	35
विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना	5.2.3	36
मरुभूमि विकास कार्यक्रम	5.2.4	36
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	5.2.5	38
केन्द्र बजट योजना	5.2.6	39
सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	5.3.1	40
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना	5.3.2	42
स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	5.3.3	46
ऊर्जा	5.4	48
आपदा राहत निधि योजना	5.5	49
अध्याय-6: सामान्य सेवाएं		
ई-गवर्नेन्स	6.1	53
कानून व व्यवस्था	6.2	55
अध्याय-7: मानव संसाधन प्रबन्धन एवं आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली		
मानव संसाधन प्रबन्धन	7.1	61
निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण	7.2	62
अनुश्रवण तंत्र	7.3	63
अध्याय-8: योजनाओं एवं सेवाओं का प्रभाव		
योजनाओं एवं सेवाओं का प्रभाव		65

परिशिष्ट			
परिशिष्ट संख्या	विवरण	के संदर्भ में	
		परिच्छेद	पृष्ठ संख्या
1.1	2007-12 के दौरान जिले में निधियों के स्रोतों की वर्षवार स्थिति को दर्शाने वाला विवरण	1.1	69
1.2	2007-12 के दौरान जिले में वित्तीय संसाधनों के अनुप्रयोग की वर्षवार स्थिति को दर्शाने वाला विवरण	1.1	70
1.3	(i) 2007-12 के दौरान जिले में निधियों के स्रोत (ii) 2007-12 के दौरान जिले में वित्तीय संसाधनों के अनुप्रयोग की स्थिति को दर्शाने वाले चार्ट	1.1	71
1.4	2011 की जनगणना के अनुसार जिले में जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात एवं साक्षरता दर का विवरण	1.1	72
1.5	मानव संसाधन विकास अवसंरचना के आंकड़े	1.1	73
1.6	जिला लेखापरीक्षा के लिए चयनित विकासात्मक स्कीमों को दर्शाने वाला विवरण	1.1 तथा 2.4	74
3.1	कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के सम्बन्ध में प्राप्त निधियों तथा किए गए व्यय की स्थिति	3.2.1	75

प्रस्तावना

1. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की लेखापरीक्षा के परिणामों को सम्मिलित किया गया है। प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।
2. लेखापरीक्षा ने 2007 से 2012 की अवधि के दौरान किन्नौर जिला में कार्यान्वित महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक विकासात्मक कार्यक्रमों की समीक्षा की। लेखापरीक्षा प्रक्रिया में किन्नौर जिला के उपायुक्त कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना, मरुभूमि विकास परियोजना, जिला कार्यक्रम अधिकारी (एकीकृत बाल विकास सेवाएं), जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, जिला स्वास्थ्य मिशन, पुलिस अधीक्षक, दो खण्ड, 20 ग्राम पंचायत (दो चयनित खण्डों के क्षेत्राधिकार में आने वाली), प्रारम्भिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा किन्नौर जिले के विभिन्न जिला स्तरीय कार्यान्वयन अभिकरणों से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना-जांच सम्मिलित है।
3. लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी (2002) लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।



परिचय

HIMACHAL PRADESH DISTRICT KINNAUR



- BOUNDARY, INTERNATIONAL - - - - -
- STATE - - - - -
- DISTRICT - - - - -
- TAHSIL/SUB-TAHSIL - - - - -
- C.D. BLOCK - - - - -
- DISTRICT HEADQUARTERS ●
- TAHSIL/SUB-TAHSIL HEADQUARTERS ⊙
- NATIONAL HIGHWAY NH 22
- RIVER AND KHAD ~~~~~
- IMPORTANT VILLAGE HAVING 500 AND ABOVE POPULATION WITH NAME ●
- DEGREE COLLEGE AND TECHNICAL INSTITUTION □

C.D. BLOCKS	HEADQUARTERS
A	POO
B	RECKONG PEO
C	BHAWANAGAR (SUNGRA)

1. Where name of the tahsil/sub-tahsil differs from its headquarters, former is given in the brackets.
2. Boundary shown is updated upto 31st December, 1999.

परिचय

1.1 जिले की सामान्य रूपरेखा

किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में से एक है जो राज्य के उत्तर-पूर्व कोने में स्थित है तथा पूर्व में तिब्बत, उत्तर-पश्चिम में लाहौल व स्पिति जिला, पश्चिम में कुल्लू जिला तथा दक्षिण में उत्तराखण्ड राज्य से घिरा हुआ है। जिला 6,401 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है तथा इसका मुख्यालय रिकांगपिओ में है, 2011 जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 68.57 लाख (पुरुष: 34.74 लाख तथा महिला: 33.83 लाख) की अपेक्षा जिले की जनसंख्या 0.84 लाख¹ (पुरुष: 0.46 लाख तथा महिला: 0.38 लाख) है। संविधान की पांचवीं अनुसूची के अनुसार सम्पूर्ण जिला अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। जिले के तीन उप-मण्डल, पांच तहसील, एक उप-तहसील, तीन सामुदायिक विकास खण्ड, एक जिला पंचायत, तीन खण्ड पंचायत और 234 गांवों से युक्त 65 ग्राम पंचायतें हैं। वर्ष 2007-12 के दौरान जिले में निधियों की कुल उपलब्धता ₹676.74 करोड़ थी जबकि उसी अवधि के लिए व्यय ₹665.89 करोड़ था। उपरोक्त में से 2007-12 के दौरान कुछ मुख्य स्कीमों के सम्बन्ध में कुल आबंटन तथा किया गया व्यय क्रमशः ₹290.30 करोड़ तथा ₹280.95 करोड़ था। जिले के 13,255² परिवारों में से राज्य स्तर के 24 प्रतिशत की तुलना में 2,824 परिवार (21 प्रतिशत) गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। पुरुष/महिला साक्षरता दर, मानव संसाधन विकास अवसंरचना तथा जिला लेखापरीक्षा के लिए चयनित विकासात्मक स्कीमों की तुलना में जिले में निधियों का प्रवाह, संसाधनों का अनुप्रयोग, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, कुल साक्षरता दर से सम्बन्धित आंकड़े परिशिष्ट-1.1 से 1.6 में दिए गए हैं।

1.2 संगठनात्मक ढांचा

1.2.1 प्रशासनिक संरचना

उपायुक्त, किन्नौर

किन्नौर जिले में 1963 से सिंगल लाइन प्रशासन परिचालन में है। उपायुक्त जिले में सभी विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु संस्वीकृति देने वाला प्राधिकारी है। वह जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी है एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पंचायती राज संस्थाओं, क्षेत्रीय अधिकारियों तथा राज्य सरकार के समस्त अन्य विभागों के मध्य समन्वय सुनिश्चित करता है।

उपायुक्त की सहायता एक अतिरिक्त जिलाधीश (जो पूह उप-मंडल में मरुभूमि विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए परियोजना निदेशक भी है) तथा एक परियोजना अधिकारी, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना, जो स्कीमों को तैयार करने तथा प्राथमिकीकरण, उनका अनुश्रवण एवं समीक्षा के लिए मुख्य योजना अधिकारी भी है, करता है। परियोजना अधिकारी (एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना) की आगे सहायता हेतु एक अनुसंधान अधिकारी होता है जो वार्षिक कार्य योजना, सीमा क्षेत्र विकास योजना तथा जनजातीय क्षेत्र उप-योजना तैयार करता है।

¹ 2011 जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का विच्छेदन अभी प्रकाशित होना है।

² ग्रामीण गरीब परिवारों के सर्वेक्षण के अनुसार (2002-07)।


जिला ग्रामीण विकास अभिकरण

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए जिला स्तर पर मुख्य अंग है। यह कार्यक्रमों की योजना; अन्य सरकारी, गैर-सरकारी अभिकरणों के साथ समन्वय; सफलतापूर्वक कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय एवं तकनीकी मार्गदर्शन; निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु समुदाय एवं ग्रामीण गरीब को सक्षम बनाने; दिशा-निर्देशों की अनुपालना, गुणवत्ता, समानता तथा दक्षता को सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करने तथा सम्बन्धित प्राधिकारियों को निर्धारित अन्तरालों पर सूचित करने के लिए उत्तरदायी है। यह राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से सम्बन्धित विभिन्न सर्वेक्षणों के संचालन की निगरानी रखने के लिए भी उत्तरदायी है।

जिला परिषद् का अध्यक्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है तथा उपायुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी है जैसा पहले वर्णित किया गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी पर प्रशासकीय नियंत्रण रखता है। परियोजना अधिकारी चैक बुकों का अभिरक्षक भी होता है तथा लेखाओं के अनुरक्षण एवं जिला/राज्य प्रशासन और भारत सरकार के साथ पारस्परिक क्रिया के लिए उत्तरदायी है। वह (पुरुष/महिला) सचिव, ग्रामीण विकास विभाग को सूचित करता है तथा विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु जिला परिषद् के साथ समन्वय सुनिश्चित करता है। परियोजना अधिकारी सभी खण्ड विकास अधिकारियों का नियन्त्रण अधिकारी भी है।

जिला का प्रशासकीय ढांचा नीचे चार्ट-1 में दर्शाया गया है:

चार्ट-1



अध्याय-1: कार्यकारी सारांश

अध्याय-1 : कार्यकारी सारांश

भारत सरकार, योजना आयोग जिला के लिए एकीकृत स्थानीय क्षेत्र विकासार्थ वित्त के अंतरण की जिला-केन्द्रस्थ पहुंच हेतु विशेष महत्व को स्वीकारते रहे हैं। इसी प्रकार, राज्य सरकार भी जिले के वास्तविक सम्पूर्ण विकास के लिए जिलावार निधियां अंतरित कर रही है। ऐसे जिला उन्नमुख विकास के महत्व को स्वीकारते हुए 2007-12 के दौरान जिले में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विकासात्मक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की कार्यस्थिति व प्रभाव का निर्धारण करने के लिए किन्नौर जिला की जिला-केन्द्रस्थ लेखापरीक्षा की गई। समीक्षा में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जलापूर्ति से सम्बद्ध मुख्य सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों, सड़कों के सृजन, ग्रामीण विद्युतीकरण, रोजगार सृजन से सम्बन्धित आर्थिक क्षेत्र के कार्यक्रमों तथा विकास में जन सहयोग, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना, मरुभूमि विकास कार्यक्रम एवं केन्द्र बजट योजना के अंतर्गत अन्य विकासात्मक कार्यों को सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त, ई-गवर्नेंस तथा कानून और व्यवस्था से सम्बन्धित सामान्य सेवाएं भी सम्मिलित किए गए थे।

लेखापरीक्षा में शिक्षा, जलापूर्ति एवं ग्रामीण विद्युतीकरण से सम्बद्ध सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के कार्यक्रम के कार्यान्वयन से कुछ सकारात्मक मामले सामने आए लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां जिला प्रशासन पिछड़ा था जिसके लिए उनको ध्यान देने की आवश्यकता है।

जिला योजना समिति तथा जिला योजना

लेखापरीक्षा से उद्घाटित हुआ कि जैसा कि भारत के संविधान के 74वें संशोधन में अधिदेश किया गया है, जिले के विकास के लिए एक सम्मिलित एवं भागीदारी योजना प्रक्रिया को सुनिश्चित करने हेतु जिले में जुलाई 2012 तक जिला योजना समिति को स्थापित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, जिले के विकास के लिए कोई सापेक्ष योजना तथा एकीकृत वार्षिक कार्य योजनाओं को तैयार नहीं किया गया था। फलस्वरूप, स्थानीय जरूरतों की आवश्यकता की पहचान नहीं की जा सकी।

(परिच्छेद 3.1)

सिफारिश

- वास्तविक सापेक्ष तथा एकीकृत वार्षिक योजनाओं को जिले के अधिक यथार्थिक निर्धारण हेतु खण्डों और ग्राम पंचायतों तथा अन्य पणधारियों से सूचनाओं को प्राप्त करने की निर्मित प्रक्रिया पर आधारित जिले के लिए तैयार किया जाना चाहिए। जिले द्वारा वार्षिक योजनाओं को तैयार करना अनिवार्य बनाना चाहिए तथा राज्य सरकार का अनुमोदन लेना चाहिए।

वित्तीय प्रबन्धन

2007-12 के दौरान जिले में निधियों का कुल प्रवाह तथा किए गए व्यय का ब्यौरा उपायुक्त अथवा परियोजना अधिकारी, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना, जो मुख्य योजना अधिकारी है तथा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जैसे अन्य जिला प्राधिकारियों में से किसी के पास उपलब्ध नहीं था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि कुछ मामलों में प्राप्त निधियों तथा किए गए व्यय के मध्य अन्तराल था। भारत सरकार तथा राज्य सरकार से प्राप्त निधियां निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रयुक्त किए बिना विभिन्न

बैंक खातों में अवरोधित की गई थी। कार्यों की प्रगति में विलम्ब के लिए मानव शक्ति प्रतिबन्ध तथा सीमित कार्य अवधि को जिम्मेदार ठहराया गया।

(परिच्छेद 3.2 तथा 3.2.1)

सिफारिश

- सामान्यतः वित्तीय प्रबन्धन में सुधार की आवश्यकता है तथा विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु उपलब्ध करवाई गई निधियों को प्रभावपूर्णता से प्रयुक्त करने की आवश्यकता है।

सामाजिक सेवाएं

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

जिला स्वास्थ्य मिशन को सरकार के निम्न स्तरों से सूचनाओं के साथ समस्त मिशन अवधि हेतु सापेक्ष योजना तथा वार्षिक योजनाओं को बनाना अपेक्षित था। जिला स्वास्थ्य मिशन का गठन जुलाई 2006 में किया गया था लेकिन 2007-12 की अवधि हेतु सापेक्ष योजना को तैयार नहीं किया गया। तथापि, 2010-12 अवधि के लिए जिला स्वास्थ्य मिशन ने वार्षिक योजनाओं को तैयार किया था। जिला में स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अनुबन्ध के अनुसार अवसंरचना, उपकरण, मानव शक्ति आदि में रिक्तियों के निर्धारण की प्रक्रिया को अभी भी किया जाना है। जिले में दो अस्पताल, चार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 21 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 31 उप-केन्द्र थे। मूलभूत स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं लेखापरीक्षा के लिए चयनित कई केन्द्रों में उपलब्ध नहीं थी। इसके अतिरिक्त, कुशल मानव शक्ति की पर्याप्त संख्या की अनुपलब्धता के कारण जिले में स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

वैक्सीन निरोध्य प्रचलित बीमारियां जिले में नगण्य थी क्योंकि 2007-12 के दौरान जिले में प्रसवपूर्व टेटनस, डिप्थेरिया तथा कुकुर खांसी जैसी शिशु एवं बच्चों की बीमारियों का कोई मामला सामने नहीं आया। तथापि, 2007-12 के दौरान जिले में खसरे के 31 मामले सामने आये। जिले में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत मार्च 2012 तक जांचे गए 5,089 व्यक्तियों में से चार व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव (एक पूर्णतः विकसित मामले सम्मिलित) पाए गए।

जिले हेतु पृथक लक्ष्यों/ स्वास्थ्य सूचकों को निर्धारित नहीं किया गया था जबकि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अनुसार ऐसा करना अपेक्षित था। इसलिए जिले हेतु निर्णायक स्वास्थ्य सूचकों की प्राप्ति की प्रगति सुनिश्चित नहीं की जा सकी और राज्य स्तर पर सूचित आंकड़ों की प्रामाणिकता का सत्यापन भी नहीं किया जा सका।

ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों के गैर-निर्माण के कारण 2007-11 के दौरान राष्ट्रीय ग्राम स्वास्थ्य योजना कार्यक्रम की योजना, कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण में सामुदायिक भागीदारी का लक्ष्य भी अप्राप्य रहा। 2011-12 में ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों के निर्माण के बाद भी वार्षिक योजना को तैयार करने में सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित नहीं किया गया था।

स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना में रिक्तियों की पहचान से अन्तर्ग्रस्त उपयुक्त योजना के अभाव में और स्वास्थ्य संस्थाओं में निर्धारित सुविधाओं व कुशल मानव शक्ति की अनुपलब्धता से जिले में लोगों को प्राप्य तथा पहुंच योग्य स्वास्थ्य देखभाल मुहैया करवाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पाया।

(परिच्छेद 4.1.1 से 4.1.5.3)

सिफारिशें

- जुलाई 2006 में गठित जिला स्वास्थ्य मिशन को स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना सुविधाओं में रिक्तियों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण संचालित कर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन और जिले के ग्रामीण गरीब को प्राप्य तथा पहुंच योग्य स्वास्थ्य देखभाल मुहैया करवाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्दिष्ट समय सीमा तैयार करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
- सभी स्वास्थ्य केन्द्रों के पास कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त तथा कुशल मानव शक्ति होनी चाहिए।

शिक्षा

जिले में, विशेषकर सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के सन्दर्भ में शिक्षा की कार्यस्थिति की समीक्षा से उद्घाटित हुआ कि प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों (कक्षा VIII के स्तर तक) की संख्या स्थिर रही किन्तु इन स्कूलों में 6-14 वर्षों के लक्षित आयु समूह में बच्चों के पंजीकरण में महत्वपूर्ण कमी आई। प्रारम्भिक स्तर पर बहुत से स्कूलों में चारदीवारी और विद्युत सुविधाएं नहीं थी। जिले में उच्च शिक्षा 21 राजकीय उच्च स्कूलों और 27 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के नेटवर्क के माध्यम से दी जा रही है। इसके अतिरिक्त, जिले में एक राजकीय स्नातक महाविद्यालय भी है।

जिले में कक्षा IX से XII में पंजीकरण 2007-08 में 4,273 से 2011-12 में 3,434 तक कम हो गया है। 2007-08 की तुलना में 2008-12 के दौरान कक्षा X की उत्तीर्ण प्रतिशतता में कमी आई थी। तथापि, 2010-12 के दौरान XI और XII के सम्बन्ध में पास प्रतिशतता में सुधार हुआ था।

अवसंरचना सुविधाएं जैसे विज्ञान विषयों के लिए अलग प्रयोगशालाएं और पुस्तकालय सुविधाएं क्रमशः 23 तथा 46 स्कूलों में उपलब्ध नहीं थी।

जिले में बहुत से स्कूलों में बुनियादी अवसंरचना/ सुविधाओं का अभाव था तथा 2007-12 के दौरान उप-निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा किए जाने वाले स्कूलों के निरीक्षण में 37 प्रतिशत की कमी थी।

(परिच्छेद 4.2 से 4.2.2)

सिफारिशें

- अध्यापन एवं अध्ययनार्थ उपयुक्त वातावरण की सुनिश्चितता हेतु सभी स्कूलों में, विशेषकर प्रारम्भिक स्तर पर मूलभूत अवसंरचना/ सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर मुहैया करवाना चाहिए। स्कूलों में विद्यार्थियों के पंजीकरण की घटती प्रवृत्ति के नियंत्रण हेतु शिक्षा विभाग द्वारा उपयुक्त कदम उठाए जाने चाहिए।
- प्रभावी अनुश्रवण के लिए विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्धारित सीमा तक स्कूलों के अनिवार्य निरीक्षणों को करवाया जाता है।

एकीकृत बाल विकास सेवाएं

अनुपूरक पोषण के अंतर्गत लाभार्थियों का आवरण निर्धारित लक्ष्यों के निकट था क्योंकि मात्र एक से छः प्रतिशत गर्भवती तथा बच्चों का पालन करने वाली माताएं और एक से दो प्रतिशत बच्चे क्रमशः 2007-09 व 2007-10 के दौरान आवृत्त नहीं किए गए थे। तथापि, निजी परिसरों में चलाए जा रहे

46 प्रतिशत आंगनबाड़ी केन्द्रों में पर्याप्त अवसंरचना सुविधाओं जैसे रसोई, शौचालय, गोदाम आदि का अभाव था क्योंकि 2007-12 के दौरान आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए कोई निधियां उपलब्ध नहीं करवाई गई थी।

(परिच्छेद 4.3 से 4.3.2)

सिफारिश

- जिले के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में मूल सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

2007-08 के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ समस्त पात्र लाभार्थियों तक विस्तारित कर दिया गया था और उचित पते की अनुपलब्धता के कारण 2008-12 के दौरान मात्र तीन से छः प्रतिशत लाभार्थी आवृत्त नहीं किए गए।

(परिच्छेद 4.4)

सिफारिश

- जिला कल्याण अधिकारी को छोड़े गए लाभार्थियों के ब्यौरों का सत्यापन ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों की सहायता से संचालित करना चाहिए ताकि उनमें पेंशन के वितरण को सुनिश्चित किया जा सके।

जलापूर्ति

मार्च 2012 तक 392 वास-स्थानों में से 93 प्रतिशत वास-स्थान पूर्णतः आवृत्त थे और सात प्रतिशत वास-स्थान आंशिक रूप से आवृत्त थे। विभागीय स्तर पर पर्याप्त पर्यवेक्षण के अभाव में जलापूर्ति स्कीमों की पूर्णता में विलम्ब हुआ। जिले में लोगों को असुरक्षित जल की आपूर्ति की जा रही थी क्योंकि अपेक्षित जल नमूना परीक्षणों को करवाकर लाभार्थियों को जल की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा रही थी जिसके परिणामस्वरूप जिले में जल-जनित रोगों के मामलों की पर्याप्त संख्या देखने में आई।

(परिच्छेद 4.5)

सिफारिश

- जिला प्रशासन/ विभाग को जल शुद्धिकरण प्रणाली के अधिष्ठापन के माध्यम से लोगों के लिए सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति को सुनिश्चित करना चाहिए।

स्वच्छता एवं मल व्यवस्था

जिले में कोई शहरी क्षेत्र नहीं है। तथापि, जिला मुख्यालय (रिकांगपिओ) में मल व्यवस्था सुविधा है। तहसील मुख्यालय, सांगला में मल व्यवस्था सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु अगस्त 2007 में अनुमोदित एक स्कीम उपचार संयंत्र के लिए स्थल के अविकास के कारण जून 2012 तक अपूर्ण रही।

(परिच्छेद 4.6)

सिफारिश

- राज्य सरकार/ जिला प्रशासन को समयबद्ध तरीके से तहसील मुख्यालय सांगला में स्वच्छता सुविधाओं को मुहैया करवाने हेतु प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

आर्थिक सेवाएं

अवसंरचना-परिवहन एवं सड़क सम्पर्कता

जिला किन्नौर में कोई हवाई अड्डा और रेल सम्पर्कता नहीं है। निकटतम हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन रिकांगपिओ (जिला मुख्यालय) से 235 किलोमीटर दूर शिमला में स्थित है। लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि जिले में मार्च 2012 तक 73 प्रतिशत गांवों में सड़क सम्पर्कता थी। अतः जिले में 27 प्रतिशत गांवों को सड़क सुविधा उपलब्ध करवाया जाना अभी शेष है; वन/ निजी भूमि का अधिग्रहण मुख्य अड़चन है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा राज्य सेक्टर के अंतर्गत 2007-12 के दौरान शुरू किए गए 120 कार्यों में से केवल 28 कार्य (23 प्रतिशत) पूर्ण किए गए, 72 कार्य अभी भी प्रगति पर थे तथा 14 कार्य भूमि विवादों, वन अनुमति तथा ठेकेदारों द्वारा कार्य छोड़ने के कारण रुके हुए थे। शेष छः कार्य मार्च 2012 तक निष्पादन हेतु आरम्भ नहीं किए गए थे।

इस प्रकार, सड़क की समयबद्ध पूर्णता हेतु भूमि विवादों को सुलझाने के लिए व्यवहार्य तंत्र के अभाव में लोक निर्माण विभाग ने जिले में सभी गांवों को सड़क सम्पर्कता मुहैया करवाने में विलम्ब किया है।

(परिच्छेद 5.1 तथा 5.1.1)

अन्य विकासात्मक गतिविधियों के लिए स्कीम

विकास में जन सहयोग, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना, मरुभूमि विकास कार्यक्रम, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम और केन्द्र बजट योजना जैसी अन्य विकासात्मक स्कीमों को जिले में समन्वय के बिना शुरू किया गया क्योंकि कार्यों की न तो उपयुक्त रूप से योजना बनाई गई न ही विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पूर्ण किया गया।

(परिच्छेद 5.2.1 से 5.2.6)

सिफारिश

- राज्य सरकार/ जिला प्रशासन को कार्यकारी अधिकरणों के साथ व्यापक समन्वय बनाना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यों के लिए उचित रूप से योजना बनाई गई है तथा विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पूर्ण कर लिया गया है।

रोजगार सृजन

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत जिला प्रशासन ने सभी लाभार्थियों को, जिन्होंने स्कीम के अंतर्गत रोजगार की मांग की थी, 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाया था। तथापि, आजीविका की सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित पाक्षिक अवधि के भीतर मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया था।

(परिच्छेद 5.3.2)

सिफारिश

- राज्य सरकार/ जिला प्रशासन को स्कीम के प्रावधानों के अनुसार समय पर मजदूरों को मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए।

ऊर्जा

जिले में 234 गांवों में से मात्र 10 गांव मार्च 2012 तक विद्युतीकरण के लिए शेष थे।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की संस्वीकृति में विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹ 5.43 करोड़ की लागत वृद्धि हुई।

(परिच्छेद 5.4)

सिफारिश

- राज्य सरकार को अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए सुप्रवाही बनाना चाहिए कि परियोजना प्रस्तावों को समय पर बनाया जाए तथा भारत सरकार के साथ इन प्रस्तावों को उठाया जाए ताकि विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सभी विद्युतविहीन घरों/ गांवों के विद्युतीकरण हेतु पर्याप्त निधियां उपलब्ध करवाई जा सकें।

आपदा राहत निधि स्कीम

₹ 5.36 करोड़ से अंतर्ग्रस्त 431 मरम्मत व पुनःस्थापन कार्यों की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति उपायुक्त के पास उपलब्ध नहीं थी जो राहत कार्यों के अनुश्रवण की अनुपस्थिति को प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त, जून 2012 तक दो चयनित खण्डों (निचार और पूह) में ₹ 0.41 करोड़ का व्यय किए जाने के बाद 258 मरम्मत और पुनःस्थापन कार्यों में से 54 अपूर्ण रहे।

(परिच्छेद 5.5)

सिफारिश

- राज्य सरकार/ जिला प्रशासन को राहत कार्यों की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति की निगरानी करने हेतु उपायुक्त कार्यालय में एक अनुश्रवण तंत्र यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित करने की आवश्यकता है कि प्राकृतिक आपदा से पीड़ितों को राहत उपलब्ध करवाने के उद्देश्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जा सके।

सामान्य सेवाएं

ई-गवर्नेंस-सुगम केन्द्र

प्रत्येक सुगम केन्द्र पर प्रदान की जाने वाली कुल 50 सेवाओं में से जिला, उप-मण्डल और तहसील/ उप-तहसील स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग के माध्यम से उपलब्ध करवायी जाने वाली सेवाएं क्रमशः 37, 35 और 33 थी जबकि शेष सूचनात्मक सेवाएं इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध थी। किन्नौर जिले में जुलाई 2012 तक तहसील से जिला स्तर पर सुगम केन्द्रों के माध्यम से प्रदान किए जाने के लिए परिकल्पित 33 से 37 मुख्य सेवाओं के प्रति सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग सहित मात्र दो से सात मुख्य सेवाओं को ही प्रदान किया जा रहा था।

(परिच्छेद 6.1)

कानून और व्यवस्था

जिला पुलिस मुख्यालयों में अपर्याप्त आवास सुविधाओं और अन्य अवसंरचना देखी गई थी। इसके अतिरिक्त, शस्त्रों की आवश्यकता पूर्णतः पूरी नहीं की गई थी और 7.62 मि0मी0 राइफल्स के मामले में इसमें 98 प्रतिशत की कमी थी।

(परिच्छेद 6.2)

सिफारिश

- पुलिस अधिकारियों को विशेषकर पुलिस स्टेशनों पर पर्याप्त आवास सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को आवश्यक शस्त्रों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी चाहिए।

मानव संसाधन प्रबन्धन, आंतरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण

मानव शक्ति की कमी आठ से लेकर 51 प्रतिशत तक थी, स्वास्थ्य विभाग ने मानव शक्ति की कमी 50 प्रतिशत से अधिक थी जिसका जिले में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना अवश्यम्भावी है। विभिन्न स्तरों पर अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण औपचारिक था जिससे विभिन्न विभागों/ कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा किए जा रहे विकासात्मक कार्यों/ परियोजनाओं की प्रगति प्रभावित हुई।

(परिच्छेद 7.1 से 7.3)

सिफारिश

- अनुश्रवण, निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण को स्थानीय जिला प्रशासन के सभी स्तरों पर यह सुनिश्चित करने के लिए सुदृढीकरण किया जाना आवश्यक है कि कार्यक्रमों को समय पर तथा लागत के भीतर निष्पादित किया जा सके।

निष्कर्ष

योजना खण्डों, ग्राम पंचायतों तथा अन्य पणधारियों से सूचना प्राप्त करने की संगठनात्मक प्रक्रिया पर आधारित नहीं थी। कार्यक्रमों तथा स्कीमों की अधिकता है तथा कार्यान्वयन अभिकरणों की संख्या भी अधिकतर है जिससे जिला प्रशासन के लिए विकासात्मक क्रियाकलापों का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण का प्रभावशाली समन्वय करना कठिन होता है। जबकि लगभग सभी विकासात्मक कार्यक्रम एक ही समूह के लाभार्थियों पर लक्षित हैं, एकीकृत केन्द्र बिन्दु के बिना असंख्य कार्यक्रमों की विद्यमानता को उनमें से प्रत्येक को एकमात्र ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है।

स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना में अंतरालो की पहचान के लिए उचित योजना की अनुपस्थिति थी तथा कुशल मानव शक्ति की कमी के साथ जुड़ी अनुबद्ध सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण जिले के लोगों को प्राप्य एवं वहन योग्य स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को उपलब्ध करवाने के लक्ष्यों की गैर-प्राप्ति हुई।

राज्य सरकार/ जिला प्रशासन को स्थानीय प्रशासन के सभी स्तरों तथा अधिकांश लोगों से सूचनाओं के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सृजन, पेयजल आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत अवसंरचना में रिक्तियों के आकलन द्वारा संतुलित जिला केन्द्रस्थ योजना प्रक्रिया को अपनाए जाने की आवश्यकता है। जिले के

विकासार्थ ऐसी योजनाओं के माध्यम से निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु स्पष्ट मार्गदर्शक बनाया जाना चाहिए ताकि स्कीम के लाभ अभिप्रेत लाभार्थियों को समय पर पहुंच सके। जिला में विकास की सीमा को मापने तथा राज्य द्वारा जिले में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न स्कीमों की प्रभावशीलता हेतु जिला विशिष्ट मानव विकास सूचकों को राज्य सरकार द्वारा विकसित किया जाना चाहिए। जिले के स्थिर विकास को सुनिश्चित करने हेतु लोगों की भागीदारी आवश्यक है।

अध्याय-2: लेखापरीक्षा ढांचा

अध्याय-2 : लेखापरीक्षा ढांचा

2.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा उद्देश्यों को यह अभिनिश्चित करना था कि क्या:

- स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए योजना प्रभावी थी;
- वित्तीय प्रबन्धन दक्ष था;
- सामाजिक क्षेत्र की स्कीमों का कार्यान्वयन दक्ष, प्रभावी एवं मितव्ययी था;
- विभिन्न निकायों जैसे आहरण एवं संवितरण अधिकारियों, समान्तर निकायों, स्थानीय निकायों और स्वायत्त निकायों के प्रति जिले में संगठनात्मक सामंजस्य तथा अंतर-तालमेल सीमा उपयुक्त थी;
- स्कीमों के कार्यान्वयन को संपादित करने में मानव संसाधन प्रबन्धन दक्ष था;
- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली दक्ष एवं प्रभावी थी; तथा
- अनुश्रवण तंत्र मौजूद एवं प्रभावी था।

2.2 लेखापरीक्षा अधिदेश

जिले में कार्यान्वित की गई स्कीमों तथा कार्यक्रमों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के भाग 13 और 14 के अंतर्गत संचालित की गई थी।

2.3 लेखापरीक्षा मानदण्ड

विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों/ स्कीमों के निष्पादन के निर्धारणार्थ प्रयोग किया गया लेखापरीक्षा मानदण्ड से व्युत्पन्न था:

- वार्षिक कार्य योजनाएं;
- केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा जारी की गई सम्बन्धित स्कीमों/ कार्यक्रमों के दिशा-निर्देश;
- राज्य वित्तीय नियमावली के प्रावधान तथा केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुपूरक निर्देश/ आदेश; तथा
- निर्धारित अनुश्रवण तंत्र।

2.4 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

किन्नौर जिले की लेखापरीक्षा में 2007-12 की अवधि के दौरान जिले में कार्यान्वित महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक विकासात्मक कार्यक्रमों की समीक्षा शामिल है। लेखापरीक्षा के लिए चयनित कार्यक्रमों/ स्कीमों को परिशिष्ट-1.6 में सूचीबद्ध किया गया है।

लेखापरीक्षा आरम्भ करने से पहले किन्नौर जिले में मई 2012 में हुए आरम्भिक सम्मेलन में उपायुक्त तथा अन्य विभागों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई।

तीन सामुदायिक खण्डों में से दो¹ को प्रतिस्थापन पद्धति के बिना सामान्य यादृच्छिक प्रतिदर्श के आधार पर विस्तृत समीक्षा हेतु चयनित किया गया था। इसके अतिरिक्त, प्रतिस्थापन पद्धति के बिना सामान्य यादृच्छिक प्रतिदर्श के आधार पर इन खण्डों की 42 ग्राम पंचायतों में से 20 और चयनित ग्राम पंचायतों में से 20 प्रतिशत गांवों को व्यापक लेखापरीक्षा हेतु चयनित किया गया। कार्यक्रम कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा सेवाओं की गुणवत्ता का निर्धारण करने के लिए लेखापरीक्षा द्वारा एक लाभार्थी सर्वेक्षण भी संचालित किया गया था तथा इनके परिणामों को प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, उपायुक्त, एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम के परियोजना अधिकारियों, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, परियोजना निदेशक, मरुभूमि विकास कार्यक्रम, पूह, जिला परियोजना अधिकारी (सर्व शिक्षा अभियान), प्रारम्भिक एवं उच्च शिक्षा उप निदेशकों, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के अधीक्षण अभियंता, जिला स्वास्थ्य मिशन, जिला कल्याण अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी (एकीकृत बाल विकास सेवाएं), जिले में स्थित लोक निर्माण विभाग के दो² मण्डल, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के दो मण्डलों में से एक³, पुलिस अधीक्षक, जिला सूचना केन्द्र तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड कार्यालयों के अभिलेखों की भी जांच की गई।

लेखापरीक्षा परिणामों पर 26 नवम्बर 2012 को हुए अन्तिम सम्मेलन में उपायुक्त एवं विभागीय अधिकारियों से चर्चा की गई तथा उनके विचारों को रिपोर्ट में उपयुक्त स्थानों पर सम्मिलित किया गया है। अद्यतन लेखापरीक्षा परिणामों की अनुवर्ती अध्यायों में चर्चा की गई है।

2.5 आभारोक्ति

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हिमाचल प्रदेश लेखापरीक्षा के दौरान उपायुक्त तथा सम्बन्धित विभागों के जिला प्रमुखों, सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों एवं ग्राम पंचायत प्रधानों द्वारा दिए गए सहयोग तथा सहायता के लिए आभार प्रकट करता है।

1 निचार स्थित भावानगर तथा पूह।

2 कड़छम स्थित भावानगर तथा रिकांगपिओ।

3 रिकांगपिओ।

अध्याय-3 :
जिला योजना एवं वित्तीय प्रबन्धन

3.1 जिला योजना समिति एवं जिला योजना

भारत सरकार ने जिलों के विकासार्थ समावेशित व सहभागिता योजना प्रक्रिया पर विचार किया। भारत के संविधान के 74वें संशोधन में एक जिला योजना समिति, जिसमें अध्यक्ष के रूप में जिले का मंत्री तथा सांसद, विधायक, अध्यक्ष जिला परिषद, भूतपूर्व विधायक तथा गैर-सरकारी सदस्यों के रूप में समाज के विभिन्न वर्गों के अन्य व्यक्ति शामिल हैं, की स्थापना का अधिकार दिया गया। जिला योजना समिति से जिले में पंचायतों व नगरपालिकाओं द्वारा बनाई गई योजनाओं को एकीकृत जिला योजना में समेकित करना अपेक्षित था। स्थानीय प्रशासन के सभी तीन स्तरों अर्थात् जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, खण्डों तथा ग्राम पंचायतों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ में पूर्ववर्ती वर्ष में आबंटित निधियों के उनके भाग के लगभग 125 प्रतिशत के मूल्य के बराबर वार्षिक कार्य योजना बनानी थी और ऐसा कोई कार्य नहीं करना था जो वार्षिक कार्य योजना का भाग न हो।

तथापि, यह देखा गया कि किन्नौर जिले में जुलाई 2012 तक जिला योजना समिति की स्थापना नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, 2007-12 अवधि के दौरान कोई सापेक्ष एवं एकीकृत जिला योजना तैयार नहीं की गई थी। खण्डों तथा ग्राम पंचायतों जैसे स्थानीय स्तर के प्रशासन को योजना प्रक्रिया हेतु किसी सूचनाओं को उपलब्ध करवाने में सम्मिलित नहीं किया गया था। स्कीमों को स्थानीय लोगों के अनुभूत लाभ के अनुसार सांसदों/ विधायकों/ अन्य लोगों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर उपायुक्त द्वारा तदर्थ आधार पर संस्वीकृत किया गया।

उपायुक्त, किन्नौर ने बताया (जुलाई 2012) कि योजना अधिकारी, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना वार्षिक कार्य योजना तैयार करता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संविधान के 74वें संशोधन के प्रावधानों के अनुसार जिला योजना समिति का गठन करना अनिवार्य था। इस प्रकार, जिले के विकास हेतु खण्डों तथा ग्राम पंचायतों से सूचनाओं सहित जिला योजना समिति द्वारा तैयार की जाने वाली सापेक्ष योजनाओं तथा एकीकृत वार्षिक कार्य योजनाओं के अभाव में स्थानीय जरूरतों की आवश्यकता की पहचान नहीं की जा सकी।

सिफारिश

- सरकार जिला योजना समिति का गठन करने तथा जिले के विकास हेतु आवश्यकताओं के अधिक यथार्थिक निर्धारण हेतु खण्डों और ग्राम पंचायतों तथा अन्य पणधारियों से सूचनाओं को प्राप्त करने की निर्मित प्रक्रिया के आधार पर जिले के लिए वास्तविक एकीकृत वार्षिक योजनाओं को तैयार करने पर विचार करे।

3.2 वित्तीय प्रबन्धन

विभिन्न विकासात्मक कार्यकलापों हेतु निधियों को राज्य बजट के माध्यम से जिले को आबंटित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, राज्य व भारत सरकार द्वारा विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों हेतु निधियों को प्रत्यक्ष रूप से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण तथा कार्यकारी अभिकरणों को जारी किया जाता है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण निधियों को निजी स्कीमों हेतु अनुमोदित आबंटन के आधार पर खण्डों और अन्य निष्पादन अभिकरणों को जारी करता है।

3.2.1 निधियों के प्रवाह एवं किए गए व्यय में कमी

2007-12 के दौरान जिले को निधियों का कुल प्रवाह तथा किया गया व्यय उपायुक्त/ परियोजना अधिकारी एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना अथवा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जैसे अन्य जिला प्राधिकारियों में से किसी के पास उपलब्ध नहीं था क्योंकि ऐसे किसी डाटाबेस को अनुरक्षित नहीं किया गया था। तथापि, 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान विभागों तथा प्रमुख कार्यक्रमों के सम्बन्ध में प्राप्त निधियों और किए गए व्यय के डाटा लेखापरीक्षा द्वारा विभिन्न विभागों से एकत्रित किया गया था, जिसका विवरण परिशिष्ट-3.1 में है।

लेखापरीक्षा विश्लेषण से उद्घाटित हुआ कि 2007-12 के दौरान जिले में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जिला प्रशासन ने ₹ 290.30 करोड़ राशि की निधियां प्राप्त की। तथापि, पूर्वोक्त अवधि के दौरान ₹ 280.95 करोड़ की राशि व्यय की गई। इस प्रकार, 2007-08 से 2011-12 के दौरान निधियों को व्यय करने में ₹ 9.35 करोड़ की समग्र कमी थी। लेखापरीक्षा में देखा गया कि कई मामलों में मानव शक्ति प्रतिबन्ध तथा सीमित कार्य अवधि के कारण कार्यों की प्रगति नहीं हो सकी जैसा कि अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

अध्याय-4: सामाजिक सेवाएं

अध्याय-4 : सामाजिक सेवाएं

4.1 स्वास्थ्य सेवाएं

4.1.1 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यरत मुख्य चिकित्सा अधिकारी, किन्नौर दो¹ अस्पतालों, चार² सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 21 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 31 उप-केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं मुहैया करवाने के लिए उत्तरदायी है। इनमें से विस्तृत लेखापरीक्षा संवीक्षा हेतु जिला अस्पताल स्थित रिकांगपिओ, सिविल अस्पताल स्थित चांगो, चार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से दो³, चार⁴ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (प्रतिदर्शित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रत्येक में दो) को प्रतिस्थापन पद्धति के बिना सामान्य यादृच्छिक प्रतिदर्श पद्धति के आधार पर चयनित किया गया था और सात⁵ उप-केन्द्रों (प्रतिदर्शित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में) को निर्णयात्मक आधार पर चयनित किया गया था। योजनाओं के कार्यान्वयन में पाई गई कमियों पर नीचे विचार-विमर्श किया गया है:

◆ योजना

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्राप्य, वहन योग्य तथा समान स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध करवाने के प्रति प्रथम चरण के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में अंतरालों की पहचान करने के लिए जिला योजना टीम द्वारा एक घरेलू और सुविधा सर्वेक्षण किया जाना था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि आवश्यक सर्वेक्षण के गैर-संचालन के कारण जिले में स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं और अवसंरचना, उपकरण एवं मानव शक्ति में अंतरालों के निर्धारण की प्रक्रिया पूर्ण की जानी शेष थी, यद्यपि मिशन ने मार्च 2012 तक सात वर्ष पूर्ण कर लिए हैं।

जिला स्वास्थ्य मिशन से सम्पूर्ण मिशन अवधि के लिए एक सापेक्ष योजना और जिले के लिए सरकार के निम्न स्तरों से प्राप्त इनपुटों के साथ वार्षिक योजनाएं बनाना/ तैयार किया जाना अपेक्षित था। लेखापरीक्षा विश्लेषण से उद्घाटित हुआ कि जिला स्वास्थ्य मिशन का गठन जुलाई 2006 में किया गया था लेकिन सापेक्ष योजना मई 2012 तक तैयार नहीं की गई थी। हालांकि, जिला स्वास्थ्य मिशन ने 2010-12 की अवधि के लिए वार्षिक योजनाएं तैयार कर ली थी।

मिशन के कार्यकलापों को अन्य विभागीय कार्यक्रमों तथा गैर-सरकारी पणधारियों, ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों एवं रोगी कल्याण समितियों की कार्यप्रणाली के साथ एकस्थ किया जाना था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि पंचायत स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियां मात्र 2011-12 से बनाई गई थी। समस्त स्वास्थ्य संस्थानों में रोगी कल्याण समितियों का गठन किया गया बताया गया था। यद्यपि ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों के गैर-निर्माण के कारण 2007-11 की अवधि के लिए कार्यक्रम की योजना, कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित नहीं की गई थी, तथापि इनसे बिना कोई सूचना प्राप्त किए वर्ष 2011-12 के लिए वार्षिक योजना तैयार की गई थी। अतः 2011-12 में ग्राम स्वास्थ्य एवं

1 जिला अस्पताल स्थित रिकांगपिओ और सिविल अस्पताल स्थित चांगो।

2 भावानगर, निचार, पूह और सांगला।

3 भावानगर और पूह।

4 बाराखंभा, काटगांव, मूरंग और रिब्बा।

5 अकपा, कराबा, कुन्, पोंडा, रिस्मा, सूंगरा और यंगपा।

स्वच्छता समितियों के निर्माण के बावजूद वार्षिक योजनाओं को तैयार करने में सामुदायिक भागीदारी का लक्ष्य अप्राप्य रहा।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया (अगस्त 2012) कि परियोजना कार्यान्वयन योजना तैयार की जाते समय जिला स्वास्थ्य मिशन में सम्बन्धित विभाग से सूचना प्राप्त कर ली गई थी। हालांकि उपरोक्त कथन के समर्थन में ऐसी सूचनाओं की प्रतिलिपि लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाई गई थी।

◆ वित्तीय स्थिति

जिले में 2007-12 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्राप्त निधियों और व्यय की वर्षवार स्थिति निम्न तालिका-1 में दर्शाई गई है:

तालिका-1

2007-12 के दौरान सभी घटकों के प्रति राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत उपलब्ध निधियां तथा किया गया व्यय

(₹ करोड़)

वर्ष	अथशेष	प्राप्त निधियां		कुल उपलब्ध निधियां	व्यय	राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी को लौटाई गई राशि	अंत शेष
		केन्द्र का अंश	राज्य का अंश				
2007-08	0.89	0.58	0.10	1.57	0.24 (15)	--	1.33
2008-09	1.33	0.77	0.14	2.24	0.78 (35)	0.02	1.44
2009-10	1.44	0.87	0.15	2.46	1.73 (70)	0.49	0.24
2010-11	0.24	1.62	0.32	2.18	1.56 (72)	0.38	0.24
2011-12	0.24	1.05	0.23	1.52	0.93 (61)	0.58	0.01

स्रोत: विभागीय आंकड़े। कोष्ठक के आंकड़े प्रतिशतता को इंगित करते हैं।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है वर्ष 2007-12 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की निधियों की प्रयुक्ति मात्र 15 प्रतिशत तथा 72 प्रतिशत के मध्य थी। वर्ष 2008-12 के दौरान ₹ 1.47 करोड़ की राशि राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी को लौटा दी गई थी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया (अगस्त 2012) कि निधियों की कम प्रयुक्ति मानव शक्ति की कमी के कारण थी और राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी के निर्देशानुसार अव्ययित शेष राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी को लौटा दिया गया था।

◆ अवसंरचना

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार पहाड़ी एवं जनजातीय क्षेत्रों में प्रत्येक 80,000 की जनसंख्या हेतु एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 20,000 से अधिक जनसंख्या के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 3,000 से अधिक की जनसंख्या के लिए एक उप-केन्द्र होना चाहिए। इन मानकों के अनुसार जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उप-केन्द्रों की वर्तमान आवश्यकता क्रमशः एक, चार एवं 28 बनती है। इन मानकों के विपरीत किन्नौर जिले में मार्च 2012 तक चार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 21 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 31 उप-केन्द्र थे।

यह ध्यान में रखते हुए कि किन्नौर जिला एक पहाड़ी व जनजातीय क्षेत्र है तथा बस्तियां/ व्यक्ति बिखरे हुए हैं, मानकों के ऊपर स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या में वृद्धि तभी फलदायी होगी जब ये केन्द्र पर्याप्त रूप से स्टॉफ युक्त होंगे। हालांकि, जैसा कि आगामी परिच्छेदों में बताया गया है, लेखापरीक्षा के लिए चयनित स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टॉफ की कमी थी और आधारभूत स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का अभाव था।

◆ मूलभूत न्यूनतम अवसंरचना

जिले में अधिकांश स्वास्थ्य केन्द्रों में मूलभूत न्यूनतम अवसंरचना तथा स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का अभाव था। विवरण नीचे तालिका-2 में दिया गया है:

तालिका-2

स्वास्थ्य केन्द्रों में अवसंरचना तथा मूलभूत स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की उपलब्धता में कमी

अवसंरचना का विवरण			
जिले में कुल केन्द्र जिनके लिए अवसंरचना सुविधाएं अपेक्षित हैं	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	उप-केन्द्र
	4	21	31
(i) अवसंरचना की स्थिति			
केन्द्र जहां सेवाएं उपलब्ध नहीं थी			
प्रसव कक्ष	-	12	27
शल्य क्रिया कक्ष	-	12	लागू नहीं
आपातकालीन/ आकस्मिक कक्ष	-	-	लागू नहीं
स्टॉफ हेतु आवासीय सुविधाएं	-	18	7
सरकारी भवन	-	6	7
(ii) मूलभूत स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं			
स्वास्थ्य केन्द्रों में रक्त संग्रहण सुविधा	4	21	लागू नहीं
नवजात शिशु देखभाल	-	21	लागू नहीं
24 X 7 प्रसव सेवा	-	21	लागू नहीं
आन्तरिक रोगी सेवाएं	-	2	लागू नहीं
एक्स-रे	-	19	लागू नहीं
अल्ट्रासाउंड	4	21	लागू नहीं
ईसीजी	1	21	लागू नहीं
प्रसूति देखभाल	4	21	लागू नहीं
आपातकालीन सेवाएं (24 घण्टे)	-	21	लागू नहीं
परिवार नियोजन (ट्यूबकटॉमी व वसेक्टॉमी)	4	21	लागू नहीं
स्त्री रोग स्थिति में अंतः प्रसव सम्बन्धी परीक्षण	-	21	लागू नहीं
बाल चिकित्सा	4	21	लागू नहीं

स्रोत: मुख्य चिकित्सा अधिकारी किन्नौर द्वारा उपलब्ध करवाए गए आंकड़े।

स्वास्थ्य केन्द्रों पर उचित अवसंरचना तथा पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के अभाव में ग्रामीण जनसंख्या के लिए आधारभूत सुविधाएं सुनिश्चित नहीं की गई थी।

◆ प्रथम परामर्श यूनिट

31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) के परिच्छेद 1.1.9.1 में दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (2005-06 में रिकांगपिओ और 2006-07 में भावानगर) का दर्जा बढ़ाकर प्रथम परामर्श यूनिट बनाने के सम्बन्ध में उल्लेख था। यह देखा गया था कि रिकांगपिओ स्थित प्रथम परामर्श यूनिट को क्रियाशील कर दिया

गया था। भावानगर स्थित प्रथम परामर्श यूनिट को अगस्त 2012 तक विशेषज्ञों एवं अन्य स्टॉफ की गैर-नियुक्ति तथा अवसंरचना के अभाव के कारण क्रियाशील नहीं किया गया था।

◆ बिस्तरों की उपलब्धता

नमूना-जांचित स्वास्थ्य केन्द्रों में बिस्तरों की उपलब्धता की स्थिति निम्न तालिका-3 में दी गई है:

तालिका-3

नमूना-जांचित स्वास्थ्य केन्द्रों में बिस्तरों की उपलब्धता का विवरण

जिला अस्पताल/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ सिविल अस्पताल का नाम	आवश्यकता	उपलब्ध बिस्तरों की संख्या		
		पुरुष	महिला	कुल
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भावानगर	30	10	10	20
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पूह	30	4	6	10
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रिब्बा	6	3	2	5
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कटगांव	6	3	3	6
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बाराखंभा	6	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मूरंग	6	3	3	6
सिविल अस्पताल चांगो	अनिर्दिष्ट	-	-	10 ⁶

स्रोत: विभाग द्वारा आपूरित आंकड़े। ⁶ पुरुष/महिला के लिए भिन्न नहीं।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि अगस्त 2012 तक भावानगर तथा पूह स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रत्येक में 30 बिस्तरों की आवश्यकता के प्रति मात्र क्रमशः 20 एवं 10 बिस्तर थे और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बाराखंभा में कोई आंतरिक सुविधा मौजूद नहीं थी।

4.1.2 मानव शक्ति संसाधन

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य भारतीय लोक स्वास्थ्य स्तर के मानकों के अनुसार सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर पर्याप्त कुशल मानव शक्ति जुटाना था। नमूना-जांच हेतु चयनित दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सात उप-केन्द्रों के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि भारतीय लोक स्वास्थ्य स्तर के मानकों के अनुसार इन केन्द्रों में से किसी में भी पर्याप्त स्टॉफ नहीं था। लेखापरीक्षा विश्लेषण ने आगे उजागर किया कि प्रमुख कार्यकर्ताओं की कमी निम्न प्रकार से प्रकट हुई:

- नमूना-जांचित दो⁶ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 12 चिकित्सा अधिकारियों की आवश्यकता के प्रति मात्र छः थे।
- दो चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जनरल सर्जन, फिजिशियन, प्रसूति विशेषज्ञों एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल चिकित्सक, अनैस्थिस्ट और नेत्र सर्जन (प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक) की नियुक्ति नहीं की गई थी।
- नमूना-जांचित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 42 स्टॉफ नर्सों की आवश्यकता के प्रति मात्र तीन स्टॉफ नर्स थीं।
- नमूना-जांचित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में फार्मासिस्टों के सभी 10 पद रिक्त पड़े थे जबकि 10 लेबोरेटरी तकनीशियनों की आवश्यकता के प्रति मात्र दो की नियुक्ति हुई थी।

⁶ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र: भावानगर और पूह।

- सात नमूना-जांचित में से पांच उप-केन्द्र पुरुष स्वास्थ्य कर्मी के बिना काम कर रहे थे और एक उप-केन्द्र में महिला स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति नहीं की गई थी। नमूना-जांचित उप-केन्द्रों में से किसी में भी स्वैच्छिक कर्मी नहीं था।

अतः कुशल मानव शक्ति की पर्याप्त संख्या की उपलब्धता न होने के कारण जिले में स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ था।

4.1.3 निष्पादन सूचकों के प्रति उपलब्धि

शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर कम करने, रूग्णता व मृत्यु दर घटाने तथा विभिन्न स्थानिक बीमारियों की उपचार दर में वृद्धि के लिए लक्ष्यों के निर्धारण वाले निष्पादन सूचकों को साधारणतः राज्य सरकार द्वारा निश्चित किया जाता है।

◆ प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल

शिशु मृत्यु दर तथा कुल प्रजनन दर घटाने के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राज्य सरकार ने वर्ष 2012 तक प्राप्त किए जाने वाले विभिन्न स्वास्थ्य सूचकों को निर्धारित किया। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि जिले हेतु पृथक लक्ष्यों/ सूचकों को मिशन की आवश्यकता के बावजूद निर्धारित नहीं किया गया था। इस बाबत लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया (अगस्त 2012) कि जिला स्तर पर ऐसा किया जाना सम्भव नहीं है और सूचक पूरे राज्य के लिए निर्धारित किए गए थे। इसलिए ऐसे आंकड़ों की अनुपस्थिति में जिले हेतु निर्णायक स्वास्थ्य सूचकों की प्राप्ति की प्रगति सुनिश्चित नहीं की जा सकी थी।

4.1.4 जननी सुरक्षा योजना

प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के महत्वपूर्ण घटकों में से एक जननी सुरक्षा योजना है जिसके अन्तर्गत मातृत्व तथा नवजात शिशु प्रसव मृत्यु को कम करने के लिए गर्भवती महिलाओं को घर के बजाए सांस्थानिक प्रसव हेतु प्रोत्साहित करना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 19 वर्ष की आयु से ऊपर दो जीवित बच्चों को जन्म देने वाली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं गरीबी रेखा से नीचे के वर्गों की सभी गर्भवती महिलाएं सांस्थानिक प्रसव हेतु ₹ 700 की हकदार हैं। इसके अतिरिक्त, जननी सुरक्षा योजना के संशोधित पैरामीटरों के अन्तर्गत अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य सक्रियकर्ता/ सहायक नर्स एवं दाई/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के पास प्रसवपूर्व देखभाल के लिए पंजीकृत होने पर गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी की सभी गर्भवती महिलाओं को नकद लाभ ₹ 500 प्रति जीवित शिशु को जन्म देने पर भी दिया जाएगा।

सांस्थानिक एवं गृह प्रसव जिसके सम्बन्ध में 2007-12 के दौरान किन्नौर जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई नकद सहायता का ब्यौरा नीचे तालिका-4 में दिया गया है:

तालिका-4

सांस्थानिक एवं गृह प्रसवों की स्थिति

वर्ष	सांस्थानिक प्रसव (संख्या में)	गृह प्रसव (संख्या में)	पंजीकृत गर्भवती महिलाएं (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा गरीबी रेखा से नीचे) (संख्या में)	प्रदान की गई नगद सहायता (₹ लाख)
2007-08	175	59	234	1.52
2008-09	146	113	259	1.59
2009-10	275	480	755	4.72
2010-11	315	261	576	3.95
2011-12	431	45	476	3.60

स्रोत: मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा आपूरित आंकड़े।

जैसा कि ऊपर की तालिका से देखा जा सकता है, वर्ष 2008-09 की अवधि को छोड़कर, लाभार्थियों की उपरोक्त श्रेणियों के सम्बन्ध में सांस्थानिक प्रसवों की संख्या में उपरोक्त समाप्त अवधि के दौरान वृद्धि हुई। जिले में तथा प्रतिदर्श तीन इकाईयों⁷ में सांस्थानिक प्रसवों के सम्बन्ध में उपलब्धि की समग्र स्थिति नीचे तालिका-5 में दी गई है:

तालिका-5
जिले तथा तीन नमूना-जांचित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सांस्थानिक प्रसव की स्थिति

(संख्या में)

इकाइयां	वर्ष	पंजीकृत गर्भवती महिलाएं	सांस्थानिक प्रसव	उपलब्धि की प्रतिशतता
जिला किन्नौर	2007-08	1619	175	11
	2008-09	1868	146	8
	2009-10	1576	275	17
	2010-11	1518	315	21
	2011-12	1602	431	27
तीन प्रतिदर्श सिविल अस्पताल/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	2007-08	87	22	25
	2008-09	80	19	24
	2009-10	65	21	32
	2010-11	66	23	35
	2011-12	118	43	36

स्रोत: पूरे जिले के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा तीन नमूना-जांचित सिविल अस्पतालों/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा आपूरित आंकड़े।

उपरोक्त तालिका प्रदर्शित करती है कि जिले में तथा नमूना-जांचित स्वास्थ्य केन्द्रों में सांस्थानिक प्रसव का चयन करने वाली गर्भवती महिलाओं की प्रतिशतता आठ प्रतिशत से लेकर 36 प्रतिशत के मध्य थी जोकि 65 प्रतिशत के लक्ष्य से बहुत पीछे थी जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मार्च 2010 तक प्राप्त किया जाना था। इसे इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने उपलब्धियों में कमी का कारण स्टाफ की कमी तथा अवसंरचना का अभाव बताया (अगस्त 2012)। उत्तर स्वास्थ्य केन्द्रों में उचित अवसंरचना सृजित न की जाने और पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध न करवाये जाने के कारणों को स्पष्ट नहीं करता।

◆ प्रसव पूर्व देखभाल

संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 2007-12 के दौरान जिले में पंजीकृत 8183 गर्भवती महिलाओं से से मात्र 5,227 महिलाओं को तीन प्रसवपूर्व जांच उपलब्ध करवाई गई थी और इस सम्बन्ध में प्रतिशतता राज्य स्तर की उपलब्धि 78 प्रतिशत के प्रति 57 से 73 प्रतिशत के मध्य रही।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आंकड़ों के अनुसार जिले में गर्भवती महिलाओं को आयरन फॉलिक एसिड उपलब्ध करवाने में पांच से 24 प्रतिशत तक और टेटनस टॉक्साइड के सम्बन्ध में आठ से 16 प्रतिशत की समग्र कमी थी।

⁷ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र: भावानगर एवं पूह और सिविल अस्पताल स्थित चांगो।

4.1.5 प्रतिरक्षण कार्यक्रम

2007-12 के दौरान जिले में बेसीलस कॉलमेडेट तथा गॉरीन (बीसीजी) के सम्बन्ध में एक वर्ष तक के आयु समूह के बच्चों के प्रतिरक्षण में समग्र उपलब्धि 76 से 92 प्रतिशत के मध्य रही। तथापि, डिप्थेरिया पॅरटुसिस टेटॅनस (डीपीटी) तथा ओरल पोलियो वैक्सीन के लिए उपलब्धि 80 से 85 प्रतिशत के मध्य रही। 2007-12 के दौरान बच्चों के सहायक प्रतिरक्षण के लक्ष्यों की प्राप्ति डिप्थेरिया टेटॅनस (पांच वर्ष से अधिक के आयु वालों का समूह) हेतु 70 से लेकर 97 प्रतिशत के मध्य, टेटॅनस टॉक्साइड (10 वर्ष से अधिक आयु वालों का समूह) हेतु 60 से 94 प्रतिशत तथा टेटॅनस टॉक्साइड (16 वर्ष से अधिक आयु वालों का समूह) हेतु 64 प्रतिशत से 102 प्रतिशत के मध्य रही।

नमूना-जांचित इकाइयों में पूर्णतः प्रतिरक्षित बच्चों में उपलब्धि 70 से 133⁸ प्रतिशत के मध्य थी। आंकड़े दर्शाते हैं कि वैक्सीन निरोध्य प्रचलित बीमारियां जिले में नगण्य थी क्योंकि 2007-12 के दौरान प्रसवपूर्व टेटॅनस, डिप्थेरिया तथा कुकुर खांसी जैसी शिशु एवं बच्चों की बीमारियों का कोई मामला सामने नहीं आया। तथापि, 2007-12 के दौरान खसरे के 31 मामले सामने आए जिन पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

प्रतिरक्षण कार्यक्रम के सहयोग हेतु सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कोल्ड चेन रख-रखाव को सुनिश्चित किया जाना था। संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि जिले में 21 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से 15⁹ में कोल्ड चेन सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई गई थी।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया (मई 2012) कि प्रतिरक्षण में कमी का कारण लोगों का प्रवास और बच्चों का जिले से बाहर स्कूल में पढ़ना था। उन्होंने, तथापि, उपरोक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में कोल्ड चेन सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारणों को स्पष्ट नहीं किया था।

4.1.5.1 राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम

राष्ट्रीय अन्धापन नियन्त्रण कार्यक्रम का लक्ष्य कैटैरेक्ट सर्जरी में वृद्धि, स्कूली बच्चों की आंखों की जांच, दान की गई आंखों का संग्रहण, दान केन्द्रों का सृजन, नेत्र बैंक, अवसंरचना का सुदृढीकरण आदि के माध्यम से 2007 तक 0.8 प्रतिशत प्रचलित अन्धापन को कम करना था।

2007-12 के दौरान 1000 कैटैरेक्ट सर्जरी तथा 10,250 स्कूली बच्चों की जांच के लक्ष्य के प्रति कैटैरेक्ट सर्जरी में 71 प्रतिशत तथा स्कूली बच्चों की जांच में 100 प्रतिशत से अधिक के लक्ष्य की प्राप्ति हुई। यह भी देखा गया कि दान की गई आंखों के संग्रहण और परिरक्षण के लिए कोई प्रबन्ध/ सुविधा नहीं थी।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया (अगस्त 2012) कि कैटैरेक्ट सर्जरी के लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी का कारण कुशल डॉक्टरों की अनुपलब्धता थी।

⁸ प्रवासी श्रमिक एवं जन समुदाय के पारगमन में होने के कारण।

⁹ सपनी, रकछम, टंगलिंग, कल्या, हांगो, लियो, चांगो, कनम, लिप्पा, जांगी, ररंग, उरनी, मीरू, बाराखंभा और रूपी।

4.1.5.2 राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि प्रचलित कुष्ठ दर प्रति दस हजार पर एक से कम है। वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान जिले में उपचाराधीन कुष्ठ रोगियों की कुल संख्या क्रमशः तीन, चार, एक, चार और पांच थी तथा उसी अवधि में नए मामले पांच, पांच, एक, पांच और एक थे। जिले में प्रचलित कुष्ठ दर (वर्ष 2009-10 को छोड़कर) 2007-09 तथा 2010-12 के दौरान राज्य स्तर पर प्रति 10,000 पर क्रमशः 0.30, 0.25, 0.27 तथा 0.25 के प्रति 10,000 पर 0.32, 0.41, 0.40 तथा 0.58 अधिक थी।

4.1.5.3 राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

कार्यक्रम को विश्व बैंक की सहायता से भारत सरकार द्वारा सितम्बर 1992 में आरम्भ किया गया था और इसे वर्ष 2012 तक बढ़ाया गया है। कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य देश में एचआईवी संक्रमण को फैलने से कम करना तथा दीर्घावधि आधार पर एचआईवी/ एड्स की प्रतिक्रिया हेतु क्षमता बढ़ाना था।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक जिले में एक स्वैच्छिक रक्त जांच केन्द्र स्थापित किया जाना था। राज्य सरकार ने किन्नौर जिले में स्वैच्छिक रक्त जांच केन्द्र (अब एकीकृत परामर्श एवं जांच केन्द्र) स्थापित किया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि किन्नौर जिले में प्रथम एचआईवी पॉजिटिव मामला सितम्बर 2010 में सामने आया था। जिले में मार्च 2012 तक जांच किए गए 5,089 व्यक्तियों में से चार व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव पाए गए। इनमें एक पूर्णतः विकसित एड्स मामला सम्मिलित था। राज्य में मार्च 2012 तक प्राप्त सिरो पॉजिटिविटी दर 0.62 प्रतिशत थी तथा किन्नौर जिला में यह 0.44 प्रतिशत से नीचे थी।

◆ परिवार स्वास्थ्य जागरूकता कैंप

समुदाय में एचआईवी/ एड्स तथा यौन संचारित रोगों के विषय में जागरूकता बढ़ाने और 15-49 वर्षों के आयु समूह के लक्षित लोगों के प्रारम्भिक निदान एवं उपचार हेतु सुविधाएं मुहैया करवाने हेतु भारत सरकार ने सभी राज्यों में चरणबद्ध ढंग से परिवार स्वास्थ्य जागरूकता कैंम्पों को आयोजित करने का निर्णय लिया (नवम्बर 1999)। यौन संचारित रोगों के संक्रामकता के बारे तीव्र प्रचार सूचना, शिक्षा एवं संचार विधि के द्वारा किया जाना था।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि 2008-09 की अवधि को छोड़कर 2007-08 और 2009-12 के दौरान जिले में इस प्रयोजन के लिए बजट की गैर-प्राप्ति के कारण परिवार स्वास्थ्य जागरूकता कैंप नहीं लगाए गए थे।

4.1.6 रक्त विश्वसनीयता

रक्त विश्वसनीयता घटक के अन्तर्गत विद्यमान रक्त बैंकों का आधुनिकीकरण किया जाना है और नए रक्त बैंक खोले जाने हैं। रक्त घटक पृथक्करण सुविधा केन्द्र तथा कुशल जनशक्ति भी उपलब्ध करवाई जानी है। जिले में एक रक्त बैंक है लेकिन रक्त पृथक्करण सुविधा अभी तक संचालित नहीं की गई थी।

अतः यह देखा गया कि स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना में रिक्तियों की पहचान से अन्तर्ग्रस्त उपयुक्त योजना के अभाव में और स्वास्थ्य संस्थाओं में निर्धारित सुविधाओं व कुशल जनशक्ति की अनुपलब्धता से जिले में लोगों को प्राप्य तथा पहुंच योग्य स्वास्थ्य रक्षा मुहैया करवाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पाया।

सिफारिशें

सरकार विचार करे:

- जिले के ग्रामीण गरीब व असुरक्षित वर्गों को पहुंच योग्य तथा प्राप्य स्वास्थ्य देखभाल मुहैया करवाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन स्कीम के कार्यान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाने हेतु जिला स्वास्थ्य मिशन को मजबूत करना।
- कार्यक्रम की योजना, कार्यान्वयन और अनुश्रवण के प्रत्येक स्तर पर सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित करना।
- अभिप्रेत प्रयोजन, विशेषकर स्वास्थ्य केन्द्रों को पूर्णतया परिचालित करने हेतु आधारभूत स्वास्थ्य अवसंरचना और सुविधाओं के सृजन के लिए निधियों के प्रभावशाली उपयोग को सुनिश्चित करना।
- कार्यक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सभी स्वास्थ्य केन्द्रों को पर्याप्त और कुशल मानव शक्ति से सुसज्जित करना।

4.2 शिक्षा

शिक्षा राष्ट्र की सामाजिक प्रगति के अत्यन्त महत्वपूर्ण सूचकों में से एक है। स्कूलों में, विशेषकर प्राथमिक तथा प्रारम्भिक खण्डों में बच्चों की संख्या बढ़ाने तथा उसे बनाए रखने पर दोनों राज्य और केन्द्रीय सरकार भारी राशियां खर्च कर रही हैं। लड़कियों, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति समुदायों, समाज के अन्य असुरक्षित वर्गों व दूरस्थ तथा पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष ध्यान सहित समावेशित प्रगति पर केन्द्रित भी है। प्राथमिक शिक्षा के साधारणीकरण हेतु सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक है। 2007-12 के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राप्त निधियों तथा किए गए व्यय की वर्ष वार स्थिति नीचे तालिका-6 में दी गई है:

तालिका-6

2007-12 के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राप्त निधियों तथा किए गए व्यय की स्थिति

(₹ करोड़)

वर्ष	अथ शेष	प्राप्त निधियां	प्राप्त ब्याज	वर्ष के दौरान उपलब्ध कुल निधियां	व्यय	अंत शेष
2007-08	0.09	2.60	0.02	2.71	2.01	0.70
2008-09	0.70	1.66	0.02	2.38	2.29	0.09
2009-10	0.09	3.26	0.07	3.42	3.10	0.32
2010-11	0.32	4.79	0.07	5.18	3.68	1.50
2011-12	1.50	2.93	0.11	4.54	4.33	0.21
कुल		15.24	0.29		15.41	

स्रोत: सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना अधिकारी द्वारा आपूरित आंकड़े।

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि 2007-12 के दौरान मार्च 2012 तक ₹ 0.21 करोड़ की लघु राशि को शेष छोड़ते हुए ₹ 15.41 करोड़ प्रयुक्त किए गए थे।

स्कीम के कार्यान्वयन में पाई गई कमियों के बारे में नीचे विचार किया गया है:

4.2.1 प्रारम्भिक शिक्षा

◆ पंजीयन

जिले में विशेषकर सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के संदर्भ में शिक्षा की कार्य स्थिति की समीक्षा से उद्घाटित हुआ कि प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों (VIII कक्षा के स्तर तक) की संख्या स्थिर रही लेकिन इन स्कूलों में 2011-12 के दौरान 6-14 वर्षों के लक्षित आयु समूह के बच्चों के पंजीयन में काफी कमी (23 प्रतिशत) आई जैसा कि निम्न तालिका-7 से देखा जा सकता है:

तालिका-7
स्कूलों तथा पंजीकृत बच्चों की संख्या की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

विवरण	2007-08	2011-12
स्कूलों की संख्या	271	271
पंजीकृत बच्चों की संख्या	10263	7917

स्रोत: विभागीय आंकड़े।

टिप्पणी: स्कूलों की संख्या में 189 राजकीय प्राथमिक स्कूल, 34 राजकीय माध्यमिक स्कूल, 27 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल (VIII स्टैण्डर्ड तक कक्षाओं से युक्त) और 21 राजकीय उच्च स्कूल (VIII स्टैण्डर्ड तक कक्षाओं से युक्त) अंतर्निहित हैं।

नमूना-जांच किए गए 13¹⁰ प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थियों के पंजीयन में 2007-08 की तुलना में 2011-12 के दौरान 25 प्रतिशत की कमी आई है। निजी स्कूलों के पंजीयन आंकड़े की अनुपलब्धता के कारण लेखापरीक्षा में निजी स्कूलों में पंजीयन में वृद्धि की स्थिति और फलस्वरूप सरकारी स्कूलों में पंजीयन में कमी के अनुवर्ती परिणाम सहसम्बन्धित नहीं किए जा सके थे।

प्रारम्भिक शिक्षा के उप निदेशक ने पंजीयन में कमी का मुख्य कारण छात्रों का निजी संस्थाओं/ स्कूलों में स्थानान्तरण को ठहराया (अगस्त 2012)।

◆ स्कूल छोड़ना

उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा अथवा खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों ने पूरे जिले के लिए प्रारम्भिक स्कूलों में स्कूल छोड़ने के स्तर का अनुश्रवण नहीं किया था क्योंकि 2007-12 की अवधि हेतु स्कूल छोड़ने से सम्बन्धित ब्यौरा नहीं रखा गया था। तथापि, जांच किए गए 13 प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों में 2007-12 के दौरान स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या दो से लेकर पांच प्रतिशत के बीच थी।

◆ अवसंरचना

1 अप्रैल 2007 तथा 31 मार्च 2012 तक जिले में प्राथमिक स्कूलों में अवसंरचना की स्थिति नीचे तालिका-8 में दी गई है:

¹⁰ राजकीय प्राथमिक स्कूल बरलेंगी, चौआ, खंभा, पोंडा, रिकांगपिओ, रोधी, टापरी, यांगपा-I और युवानरांगी; राजकीय माध्यमिक स्कूल: बोनिंग सेरिंग, चोलट्ट, जोनांगो, काफ्नु और पोनांगे।

तालिका-8

1 अप्रैल 2007 और 31 मार्च 2012 तक प्राथमिक स्कूलों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

विवरण	1 अप्रैल 2007 तक	31 मार्च 2012 तक
भवन रहित स्कूलों की संख्या	2	2
एक कमरे वाले स्कूलों की संख्या	2	0
दो कमरों वाले स्कूलों की संख्या	8	0
दो कमरों व बरामदा वाले स्कूलों की संख्या	177	187
कुल स्कूलों की संख्या	189	189

स्रोत: विभागीय आंकड़े।

उपरोक्त तालिका अवसंरचना के प्रावधान में सुधार को दर्शाता है।

2009-11 के दौरान ₹ 4.18 करोड़ के आकलित मूल्य पर 20 माध्यमिक स्कूल के भवनों के निर्माण को स्वीकृति मिली थी जिसके प्रति अगस्त 2012 तक ₹ 2.35 करोड़ की राशि का व्यय किया गया था। यह देखा गया था कि मात्र आठ स्कूल भवन ही पूर्ण किए गए थे। छ: स्कूलों के लिए भवनों का निर्माण अभी तक आरम्भ नहीं हुआ था और शेष छ: स्कूलों में कार्य प्रगति पर था।

◆ मूलभूत सुविधाएं

प्रारम्भिक स्तर पर अधिकांश स्कूलों के पास सुविधाएं जैसे सीमा दीवारें, विद्युत, एक्सेस रैंप आदि नहीं थी जैसा कि नीचे तालिका-9 में ब्यौरा दिया गया है:

तालिका-9

स्कूलों, जिनके पास मूलभूत सुविधा नहीं है, की संख्या का ब्यौरा

स्कूलों की संख्या जिनके पास मूलभूत सुविधा नहीं है				
श्रेणी	जिले में कुल स्कूल	सीमा दीवारें	विद्युत सुविधा	एक्सेस रैंप
प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक	223	43	49	223

स्रोत: विभागीय आंकड़े।

◆ अध्यापकों की उपलब्धता

प्रत्येक प्राथमिक स्कूल हेतु दो अध्यापकों के मानक के प्रति 189 स्कूलों में से 20 प्राथमिक स्कूलों में मार्च 2012 तक मात्र एक अध्यापक था। जिले के सभी उच्च प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों की उपलब्धता मानकों के अनुरूप पाई गई थी।

4.2.2 उच्च शिक्षा

जिले में उच्च शिक्षा 21 राजकीय उच्च विद्यालयों, 27 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों और एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय के नेटवर्क के माध्यम से दी जा रही है। उच्चतर शैक्षणिक विकासार्थ स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु जिला स्तर पर उप निदेशक, उच्च शिक्षा नियन्त्रण अधिकारी है। जिले में 2007-12 के दौरान विद्यार्थियों के पंजीयन का वर्ष वार तथा कक्षा वार ब्यौरा निम्न तालिका-10 में दिया गया है:

तालिका-10
2007-12 के दौरान जिले में विद्यार्थियों के पंजीयन का विवरण

(संख्या में)

वर्ष	कक्षा में पंजीकरण				कुल
	IX	X	XI	XII	
2007-08	1204	1469	823	777	4273
2008-09	763	1004	850	669	3286
2009-10	1067	878	724	669	3338
2010-11	1223	1102	738	639	3702
2011-12	1008	1119	730	577	3434

स्रोत: उप निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा आपूरित आंकड़े।

जिले में कक्षा IX से XII में पंजीयन कम हो गया है तथा जो 2007-08 में 4273 से 2011-12 में 3434 हो गया है उप निदेशक, उच्च शिक्षा ने बताया (अगस्त 2012) कि कक्षा IX से XII में पंजीयन अभिभावकों द्वारा विद्यार्थियों के निजी विद्यालयों में स्थानांतरण के कारण कम हुआ। इससे प्रदर्शित हुआ कि बच्चों के अभिभावकों ने अपने बच्चों को शिक्षण व अधिगम के लिए बेहतर वातावरण से युक्त निजी स्कूलों में स्थानांतरित करने को प्राथमिकता दी तथा इस सम्बन्ध में विभाग के प्रयासों में कमी थी।

◆ अवसंरचना एवं सुख-सुविधाएं

मार्च 2012 तक जिले में 48 उच्च विद्यालयों एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में से पांच विद्यालयों में पक्का भवन तथा हांगों स्थित एक राजकीय उच्च विद्यालय का अपना भवन नहीं था। दो स्कूलों में लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय नहीं थे। इसके अतिरिक्त, 46 स्कूलों में पुस्तकालय सुविधा नहीं थी और 23 स्कूलों में विज्ञान विषयों के लिए अलग प्रयोगशालाएं नहीं थी।

इसके अतिरिक्त, 222 शौचालयों (लड़के: 108, लड़कियां: 114) की आवश्यकता के प्रति 119 शौचालयों की कमी के साथ 103 शौचालय (लड़के: 50, लड़कियां: 53) उपलब्ध थे। विभाग ने बताया (नवम्बर 2012) कि निधियों की गैर-उपलब्धता के कारण शेष शौचालयों का निर्माण नहीं किया जा सका था। इससे शौचालयों के निर्माण के लिए निधियां उपलब्ध करवाने हेतु मामला राज्य सरकार/ जिला प्रशासन के सम्मुख न रखने से सभी स्कूलों में मूलभूत सुख-सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में विभाग विफलता प्रदर्शित होती है।

◆ शिक्षा गुणवत्ता

गुणवत्ता शिक्षा तभी दी जा सकती है जब विद्यालयों/ महाविद्यालयों में अध्यापकों की पर्याप्त उपलब्धता हो तथा कक्षा X तथा XII के बोर्ड परिणामों से स्पष्ट सुधार स्तर में अध्यापन की गुणवत्ता प्रतिबिम्बित हो।

◆ अध्यापकों की उपलब्धता

मार्च 2012 तक जिले में अध्यापकों की श्रेणीवार स्थिति निम्न तालिका-11 में दर्शाई गई है:

तालिका-11
जिले में अध्यापकों की श्रेणीवार स्थिति को दर्शाने वाला ब्यौरा

कर्मचारी वर्ग	स्वीकृत संख्या	नियुक्तियां
प्रधानाचार्य	27	18
मुख्याध्यापक	21	6
प्रवक्ता	276	176
टी जी टी	269	232
सी एण्ड वी टी	341	281
अन्य	249	68

स्रोत: विभागीय आंकड़े।

टिप्पणी: टी जी टी: प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक

सी एण्ड वी टी: शास्त्रीय एवं स्थानिक भाषा अध्यापक (कला एवं क्राफ्ट अध्यापक, भाषा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक) तथा अन्य: शासकीय स्टॉफ।

नमूना-जांच किए गए कुल आठ¹¹ उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में मार्च 2012 तक विभिन्न श्रेणियों (प्राचार्य: एक; प्रवक्ता: छः; प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक: छः; मुख्याध्यापक: दो; शास्त्रीय एवं स्थानिक भाषा अध्यापक: छ: और अन्य 11) में एक से 11 पदों की कमी थी।

◆ बोर्ड के परिणाम

उप निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा जिला स्तर पर स्कूल शिक्षा बोर्ड की विभिन्न परीक्षाओं में विद्यार्थियों के समग्र उत्तीर्ण प्रतिशतता से सम्बन्धित आंकड़ों का अनुरक्षण नहीं किया गया था। अतः विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में गुणवत्ता सुधार तथा स्कीमों का प्रभाव लेखापरीक्षा में जांच नहीं किया जा सका।

नमूना-जांच किए गए आठ उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में 2007-12 के दौरान कक्षा X से XII के सम्बन्ध में उत्तीर्ण प्रतिशतता नीचे तालिका-12 में दी गई है:

तालिका-12
कक्षा X से XII के सम्बन्ध में नमूना-जांच किए गए स्कूलों की उत्तीर्ण प्रतिशतता

कक्षा	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
X	94	77	82	81	59
XI	67	60	65	96	75
XII	47	72	66	93	98

(प्रतिशतता)

स्रोत: विभागीय आंकड़े।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि कक्षा X के सम्बन्ध में उत्तीर्ण प्रतिशतता 2007-08 की तुलना में 2008-12 के दौरान घटी थी और 59 प्रतिशत तक नीचे आ गई। तथापि, 2010-12 के दौरान कक्षा X से XII के सम्बन्ध में उत्तीर्ण प्रतिशतता में सुधार हुआ था।

◆ स्कूलों का निरीक्षण

हिमाचल प्रदेश शिक्षा संहिता में प्रावधान है कि उच्च शिक्षा निदेशक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी स्कूलों के पर्यवेक्षण तथा निरीक्षणार्थ उत्तरदायी है। स्कूलों का निरीक्षण वर्ष में कम से कम एक बार किया जाना होता है।

¹¹ राजकीय उच्च विद्यालय: बारी, बतसेरी, ब्रुआ और कांगोज।

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय: चांगों, काटगांव, निचार और रकछम।

उप निदेशक, उच्च शिक्षा के कार्यालय में अभिलेखों की नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों तथा राजकीय उच्च विद्यालयों के सम्बन्ध में 2007-12 के दौरान 240 अपेक्षित निरीक्षणों के प्रति उप निदेशक, उच्च शिक्षा ने केवल 150 निरीक्षण किए जिसके परिणामस्वरूप 90 निरीक्षण (37 प्रतिशत) कम हुए। उप निदेशक, उच्च शिक्षा ने निरीक्षण में कमी का कारण स्कूलों की कठिन भौगोलिक स्थिति और मानव शक्ति की कमी को ठहराया (जुलाई 2012)। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राज्य शिक्षा मानक के प्रावधान के अनुसार निर्धारित सीमा तक स्कूलों का निरीक्षण अनिवार्य है।

4.2.3 छात्रवृत्ति स्कीमें

◆ एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पहचान किए गए परिवारों में कक्षा I से XII के विद्यार्थियों को वार्षिक रूप में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है ताकि वे अपनी पढ़ाई पूर्ण कर सकें। 2007-12 के दौरान 1867 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के मद्देन ₹ 9.74 लाख का वितरण किया गया। तथापि जिला स्तर पर पात्र विद्यार्थियों से प्राप्त आवेदनों के सम्बन्ध में कोई आंकड़े नहीं रखे गये थे। 20 नमूना-जांचित शिक्षण संस्थानों में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम परिवारों के सभी 595 विद्यार्थियों को एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम छात्रवृत्ति का लाभ दिया गया था।

◆ दसवीं पश्चात् छात्रवृत्ति स्कीम

उप निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के पात्र विद्यार्थियों को स्कीम के अंतर्गत ₹ 140 प्रति माह की दर से ₹ 25.12 लाख की वित्तीय सहायता मुहैया करवाते हुए 1461 विद्यार्थियों को आवृत्त किया गया। उप-निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा जिले में कुल पात्र विद्यार्थियों के सम्बन्ध में आंकड़े नहीं रखे गए थे। पात्र विद्यार्थियों से सम्बन्धित आंकड़ों की अनुपस्थिति में अनावृत्त विद्यार्थियों की सीमा को, यदि कोई हो तो, लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं की जा सकी। नमूना-जांच के लिए चयनित चार वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में सभी 434 विद्यार्थियों को दसवीं पश्चात् छात्रवृत्ति स्कीम का लाभ दिया गया था।

◆ महाविद्यालय स्तर पर छात्रवृत्ति

2007-12 के दौरान प्राप्त अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के 247 आवेदनों में स्कीम के अंतर्गत 229 विद्यार्थियों को आवृत्त किया गया था और 18 विद्यार्थी अनावृत्त रहे। राजकीय डिग्री महाविद्यालय, रिकांगपिओ के प्राचार्य ने बताया (नवम्बर 2012) कि कम्पार्टमेंट परीक्षा उत्तीर्ण न करने के कारण शेष विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति उपलब्ध नहीं करवाई गई थी। अतः यह देखा गया कि जिले में बहुत से स्कूलों में मूल अवसंरचना और अन्य सुविधाओं का अभाव था। स्कूलों में अध्यापकों की कमी ने बोर्ड के परिणामों पर विपरीत प्रभाव डाला।

सिफारिशें

सरकार विचार करे:

- अध्यापन एवं अध्ययनार्थ उपयुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सभी स्कूलों के सम्बन्ध में, विशेषकर आरम्भिक स्तर पर, भवन तथा मूलभूत अवसंरचना/ सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर मुहैया करवाना।

- सर्वेक्षण तथा विभिन्न छात्रवृत्ति स्कीमों के अन्तर्गत आवृत्त किए जाने वाले लाभार्थियों का डाटाबेस सृजित करवाना।

4.3 एकीकृत बाल विकास सेवाएं

एकीकृत बाल विकास सेवा एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है तथा राज्य में 1975-76 से परिचालन में है। कार्यक्रम का लक्ष्य 0-6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों तथा समाज की सर्वाधिक वंचित वर्गों से सम्बन्धित गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों का पालन करने वाली माताओं का संपूर्ण विकास करना था। दिशा-निर्देशों के अनुसार 300 अथवा इससे अधिक की जनसंख्या वाले पहाड़ी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने थे। जिले में 84,000 की जनसंख्या के लिए 232 आंगनबाड़ी केन्द्र हैं तथा जिले की आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त थे। लेखापरीक्षा में आवृत्त किए गए कार्यक्रम के कुछ पहलुओं पर विवेचना निम्नानुसार है।

4.3.1 पोषाहार कार्यक्रम

एकीकृत बाल विकास सेवा के दिशा-निर्देशों के अनुसार छः माह से छः वर्ष के आयु वर्ग वाले बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों का पालन करने वाली माताओं को पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाया जाना अपेक्षित था।

नीचे तालिका-13 में 2007-12 के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों की पहचान तथा वास्तव में आवृत्त संख्या की स्थिति को दर्शाया है।

तालिका-13

2007-12 के दौरान लाभार्थियों की पहचान तथा वास्तव में आवृत्त संख्या की स्थिति

(संख्या में)

वर्ष	गर्भवती महिलाएं एवं बच्चों का पालन करने वाली माताएं			6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की कुल जनसंख्या		
	चिन्हित	सहायता की गई	कमी	चिन्हित	सहायता की गई	कमी
2007-08	1092	1023	69 (6 प्रतिशत)	5053	4942	111 (2 प्रतिशत)
2008-09	950	939	11 (1 प्रतिशत)	4604	4510	94 (2 प्रतिशत)
2009-10	995	995	शून्य	4363	4335	28 (1 प्रतिशत)
2010-11	1003	1003	शून्य	5146	5146	शून्य
2011-12	1125	1125	शून्य	5450	5433	17

स्रोत: जिला कार्यक्रम अधिकारी (एकीकृत बाल विकास सेवा) किन्नौर द्वारा आपूरित आंकड़े।

कोष्ठक में दर्शाई गई संख्या प्रतिशतता को इंगित करती है।

2009-12 के दौरान 100 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं एवं बच्चों का पालन करने वाली माताएं और 2010-12 के दौरान लगभग सभी चिन्हित बच्चों को योजना के अंतर्गत सहायता दी गई थी। 2007-09 और 2007-10 के दौरान क्रमशः मात्र एक से छः प्रतिशत गर्भवती महिलाएं एवं बच्चों का पालन करने वाली माताएं तथा एक से दो प्रतिशत बच्चे अनावृत्त रहे। प्रत्युत्तर में जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया (अगस्त 2012) कि कमी का कारण पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या का बिखराव था।

4.3.2 अवसंरचना तथा सुख-सुविधाएं

अगस्त 2012 तक जिले में 232 में से 126 आंगनबाड़ी केन्द्र के सरकारी भवन थे और 106 केन्द्र ₹ 200 के मासिक किराए पर लिए गए निजी परिसरों में चल रहे थे। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने

बताया (अगस्त 2012) कि सम्बन्धित क्षेत्र में सरकारी रिहायिश की गैर-उपलब्धता के कारण इन आंगनबाड़ी केन्द्रों में मूल सुख-सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी थी।

अतः यह देखा गया कि अनुपूरक पोषण के अंतर्गत लाभार्थियों का आवरण निर्धारित लक्ष्य के निकट था। तथापि निजी परिसरों से चलाए जा रहे 46 प्रतिशत आंगनबाड़ी केन्द्रों में पर्याप्त अवसंरचना सुविधाओं का अभाव था क्योंकि आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए 2007-12 के दौरान निधियां उपलब्ध नहीं करवाई गई थी।

सिफारिश

- छोड़े गए क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए निधियों की उपलब्धता और जिले के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में मूल सुख-सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जिला प्रशासन मामले को राज्य सरकार के सम्मुख उठाये।

4.4 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

राज्य सरकार ने आजीविका के अपर्याप्त साधनों के साथ वृद्ध व्यक्तियों/ विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना कार्यान्वित की। योजना में अन्य बातों के साथ-साथ 1971 से वृद्धावस्था पेंशन; 1979 से विधवा पेंशन; 1995 से राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन; 1997 से लेपर्स पेंशन स्कीम; 2010 से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन स्कीम और 2010 से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन स्कीम के घटकों को सम्मिलित किया गया है।

2007-12 के दौरान चिन्हित लाभार्थियों और स्कीम के अंतर्गत वास्तविक आवृत्त किए लाभार्थियों की वर्षवार स्थिति निम्न तालिका-14 में दी गई है:

तालिका-14

2007-12 के दौरान चिन्हित लाभार्थियों एवं वास्तविक आवृत्त किए गए लाभार्थियों का विवरण

वर्ष	चिन्हित पात्र लाभार्थियों की संख्या	आवृत्त किए गए लाभार्थियों की संख्या	अनावृत्त रहे लाभार्थियों की संख्या
2007-08	3634	3634	--
2008-09	4040	3935	105 (3)
2009-10	3935	3721	214 (5)
2010-11	4031	3850	181 (4)
2011-12	4075	3843	232 (6)

स्रोत: जिला कल्याण अधिकारी द्वारा आपूरित आंकड़े। कोष्ठक में आंकड़े प्रतिशतता को प्रदर्शित करते हैं।

2007-12 के दौरान जिला कल्याण अधिकारी, किन्नौर ने लाभार्थियों को ₹ 5.78 करोड़ की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई। तथापि 2008-12 के दौरान तीन से छः प्रतिशत लाभार्थी स्कीम के अंतर्गत आवृत्त नहीं किए गए थे।

जिला कल्याण अधिकारी, किन्नौर ने बताया (अगस्त 2012) कि सही पते की अनुपलब्धता के कारण शेष मामलों में वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी थी।

4.5 जलापूर्ति

सभी नागरिकों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों को पर्याप्त एवं सुरक्षित पेयजल का प्रावधान करना दोनों केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के लिए प्राथमिक क्षेत्र रहा है। किन्नौर जिले में (कुल मिलाकर राज्य सहित) सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा दो¹² मण्डलों के माध्यम से पेयजल के प्रावधानार्थ एक¹³ केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम तथा तीन¹⁴ राज्य योजना स्कीमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। 2007-12 के दौरान जिले में जलापूर्ति स्कीमों पर बजट आवंटन तथा व्यय निम्न तालिका-15 में दिया गया है:

तालिका-15
जलापूर्ति योजनाओं पर प्राप्त निधियों एवं व्यय की स्थिति

(₹ करोड़)

वर्ष	केन्द्रीय निधि आवंटन	व्यय	राज्य निधि आवंटन	व्यय
2007-08	0.34	0.34	12.41	12.46
2008-09	0.56	0.56	12.06	12.08
2009-10	2.97	2.97	14.86	14.82
2010-11	0.04	0.08	10.48	10.44
2011-12	0.02	0.01	7.15	7.36
कुल	3.93	3.96	56.96	57.16

स्रोत: अधीक्षण अभियंता, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य वृत्त रिकांगपिओ द्वारा आपूरित आंकड़े।

स्कीम के कार्यान्वयन में देखी गई कमियों पर नीचे चर्चा की गई है:

(i) जलापूर्ति की स्थिति

सर्वेक्षण से उद्घाटित हुआ कि मार्च 2007 तक जिले में 379 वास-स्थानों में से 80 प्रतिशत वास-स्थान जलापूर्ति सुविधा से पूर्णतः आवृत्त थे तथा शेष 20 प्रतिशत अभी भी आवृत्त किए जाने थे। 1 अप्रैल 2009 से राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के लागू हो जाने के साथ जिले में पुनः संरेखण सर्वेक्षण संचालित (अप्रैल 2011) किया गया था। सर्वेक्षण के अनुसार 78 प्रतिशत वास स्थान पूर्णतया आवृत्त थे, 15 प्रतिशत आंशिक रूप से आवृत्त थे और सात प्रतिशत वास-स्थान आवृत्त नहीं थे। मार्च 2012 तक पूर्णतया आवृत्त वास-स्थानों की प्रतिशतता 93 प्रतिशत तक बढ़ गई थी और सात प्रतिशत वास-स्थान आंशिक रूप से आवृत्त थे जैसा कि निम्न चार्ट-2 में दर्शाया गया है:

¹² रिकांगपिओ एवं पूह।


¹³ त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम।

¹⁴ ग्रामीण पाइपड जलापूर्ति स्कीम, नाबार्ड (आर आई डी एफ) सहायता प्राप्त जलापूर्ति स्कीम एवं हैंडपम्प।

चार्ट-2

जलापूर्ति योजनाओं के अन्तर्गत वास-स्थानों की आवृत्ति को दर्शाता चार्ट

आवास (31 मार्च 2012)



स्रोत: अधीक्षण अभियन्ता, रिकांगपिओ द्वारा आपूरित आंकड़े।

नोट: 40 लीटर एवं इससे अधिक जल की प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति उपलब्धता-पूर्णतः आवृत्त।

11-39 लीटर के मध्य जल की प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपलब्धता-आंशिक रूप से आवृत्त।

(ii) स्कीमों के निष्पादन की स्थिति

विस्तृत कार्य योजना के अनुसार 2003 में जिले में चिन्हित किए गए सभी 379 वास-स्थलों को मार्च 2007 तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जाना था। तथापि, मार्च 2007 तक 76 वास-स्थल आवृत्त नहीं किए गए थे। 2007-12 के दौरान विभाग ने शेष 89 वास-स्थलों (2011 में चिन्हित किए गए 13 वास-स्थलों सहित) को आवृत्त करने हेतु ₹ 10.33 करोड़ की लागत पर 42 जलापूर्ति स्कीमों (वर्तमान में कार्यान्वित 27 स्कीमों सहित) का निष्पादन अपने हाथ में लिया। मार्च 2012 तक इनमें से ₹ 3.63 करोड़ के व्यय उपरांत 62 वास-स्थलों को आवृत्त करती 29 स्कीमें पूर्ण कर ली गई थी। शेष 13 स्कीमें (27 वास-स्थलों के लिए) प्रगति पर थी जिनमें से 10 स्कीमें ₹ 2.25 करोड़ का व्यय करने के बाद अपनी पूर्णता की नियत अवधि से सात से 52 माह पीछे थी।

सहायक अभियन्ता, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य वृत्त, रिकांगपिओ ने बताया (जुलाई 2012) कि कम कार्यकाल अवधि और निधियों के अपर्याप्त प्रावधान के कारण समय अधिक लगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा संवीक्षा में विभागीय स्तर पर उचित अधीक्षण की कमी उजागर हुई जोकि स्कीमों की पूर्णता में विलम्ब का मुख्य कारण था। परिणामतः लक्षित लाभार्थी पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल की समयबद्ध उपलब्धता से वंचित रहे। इसके अतिरिक्त, अधीक्षण अभियन्ता के कार्यालय द्वारा कार्यों की पूर्णता के लिए पर्याप्त निधियों की उपलब्धता हेतु मामले पर मुख्य अभियन्ता से विचार-विमर्श भी नहीं किया गया था।

अन्तिम सम्मेलन में अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग ने यह भी बताया (नवम्बर 2012) कि कम बजट आबंटन और सीमित कार्यकाल अवधि के कारण भी स्कीमें अपूर्ण रह गईं।

(iii) जल गुणवत्ता

विभागीय अनुदेशानुसार ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों के सुरक्षित पेयजल की सुनिश्चितता हेतु वर्षा ऋतु के दौरान जल के नमूनों का राज्य की प्रयोगशालाओं में पाक्षिक तथा उसके बाद मासिक परीक्षण करवाया जाना अपेक्षित है। लोक लेखा समिति ने 167वीं रिपोर्ट (9वीं विधानसभा) में अवलोकित किया था (मार्च 2000) कि राज्य में पेयजल परीक्षण सम्बन्धी स्थिति संतोषजनक नहीं थी तथा सिफारिश की कि किसी भी गंभीर बीमारी की घटना को टालने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने चाहिए। अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 2007-12 के दौरान 42 स्कीमों के सम्बन्ध में अपेक्षित 2520 जल के नमूना परीक्षणों के प्रति वास्तव में केवल 1023 परीक्षण किए गए, जिसके परिणामस्वरूप 59 प्रतिशत की कमी रही। आगे यह भी देखा गया कि 2011 के दौरान विभाग ने 69 जल परीक्षण किटें खरीदी जिनमें से 50 किटें 50 ग्राम पंचायतों को (प्रत्येक को एक) और 10 स्कूलों को वितरित की गई थी। तथापि, न तो पंचायतों/स्कूलों ने किये गये जल परीक्षणों के परिणाम भेजे और न ही विभाग द्वारा उनको प्राप्त किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, किन्नौर द्वारा आपूरित सूचनानुसार 2007-12 के दौरान जिले में जल-जनित रोगों के (गैस्ट्रोएंटराइटिस: 3798 तथा टाईफाइड: 763) 4561 मामले ध्यान में आए।

सिफारिश

- लोगों को सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल गुणवत्ता परीक्षण प्रणाली का सुधार/उन्नयन किया जाना चाहिए।

4.6 स्वच्छता सुविधाएं/मलव्यवस्था

(i) पूर्ण स्वच्छता अभियान

पूर्ण स्वच्छता अभियान एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है। स्कीम का मुख्य लक्ष्य 2012 तक ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को शौचालय उपलब्ध करवाने के लिए स्वच्छता आवृत्ति की गति को बढ़ाना था। जिला किन्नौर के लिए परियोजना 2001-02 में ₹ 2.72 करोड़ की लागत पर दस वर्षीय अर्थात् मार्च 2012 तक की परियोजना अवधि के साथ स्वीकृत की गई थी तथा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण इसकी कार्यान्वयन अभिकरण है। तथापि, भारत सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना में इस स्कीम को जारी रखने के लिए स्वीकृति दी (जून 2012) और इसे निर्मल भारत अभियान के रूप में पुनर्नामित किया।

स्कीम में परिकल्पित कार्यकलाप निम्नवत् थे (i) प्रारम्भिक कार्यकलाप अर्थात् आधारतल सर्वेक्षण करना, पीआईपी को तैयार करना आदि; (ii) सूचना, शिक्षा एवं संचार कार्यकलाप अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रों में परस्पर व्यक्तिगत सूचना, लोक ज्ञान साधन तथा बाह्य साधन जैसे दीवार पेंटिंग एवं होर्डिंग आदि के उपयोग द्वारा स्वच्छता सुविधाओं के लिए मांग सृजित करना; (iii) ग्रामीण स्वच्छता बाजारों एवं उत्पादन केन्द्रों की स्थापना करना; (iv) ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन कार्य; (v) निजी घरेलू शौचालयों का निर्माण करना (गरीबी रेखा से नीचे एवं गरीबी रेखा से ऊपर के लिए निजी घरेलू शौचालय); (vi) सामुदायिक स्वास्थ्यकर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करना; तथा (vii) सांस्थानिक शौचालयों का निर्माण करना। 2007-12 के दौरान जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा प्राप्त राशि तथा उसके प्रति उपयोगिता की वर्षवार स्थिति नीचे तालिका-16 में दी गई है:

तालिका-16

पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत प्राप्त निधियां एवं किए गए व्यय की स्थिति

(₹ लाख)

वर्ष	अथ शेष	प्राप्त निधियां				कुल	प्रयुक्त निधियां	अप्रयुक्त राशि (प्रतिशत)
		केन्द्र	राज्य	ब्याज	अन्य विविध प्राप्तिवां			
2007-08	3.20	---	---	0.11	2.24	5.55	5.27	0.28 (05)
2008-09	0.28	35.82	18.05	0.09	4.30	58.54	19.89	38.65 (66)
2009-10	38.65	---	---	0.70	0.18	39.53	39.44	0.09 (---)
2010-11	0.09	56.67	15.15	1.30	3.30	76.51	59.79	16.72 (22)
2011-12	16.72	8.44	12.76	3.93	0.90	42.75	11.13	31.62 (74)
कुल		100.93	45.96	6.13	10.92		135.52	

स्रोत: विभाग द्वारा आपूरित आंकड़े। कोष्ठकों में दी गई संख्या प्रतिशतता को दर्शाती है।

यह देखा गया कि मई 2012 तक ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन तथा ग्रामीण स्वास्थ्यकर बाजारों के अन्तर्गत कार्यकलापों को शुरू न करने के कारण ₹ 31.62 लाख की राशि अप्रयुक्त रही। इसके अतिरिक्त, 226 आंगनबाड़ी शौचालयों, 65 सामुदायिक शौचालयों तथा 350 स्कूल शौचालयों के लक्ष्य के प्रति मई 2012 तक केवल क्रमशः 45, 27 तथा 91 शौचालयों का निर्माण किया गया था। परिणामस्वरूप, ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता आवृत्ति को बढ़ाने के लिए स्कीम का उद्देश्य निधियों की उपलब्धता के बावजूद प्राप्त नहीं किया जा सका।

प्रत्युत्तर में परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने बताया (मई 2012) कि सीमित कार्यकाल अवधि तथा हिम ग्रस्त क्षेत्र के कारण लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आंगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालयों के निर्माण की योजना कार्यकाल अवधियों को ध्यान में रखकर तैयार की जानी चाहिए।

(ii) मलव्यवस्था

किन्नौर जिले में शहरी क्षेत्र नहीं है। जिले के मुख्यालय रिकांगपिओ में मलव्यवस्था सुविधा है। इसके अतिरिक्त सांगला (तहसील मुख्यालय) के लिए अगस्त 2007 में ₹ 4.16 करोड़ के लिए एक मलव्यवस्था स्कीम प्रशासनिक रूप से अनुमोदित की गई थी और दो वर्षों की अवधि के अंतर्गत पूरी की जाने के लिए अनुबद्ध थी। ₹ 1.05 करोड़ खर्च किए जाने के बावजूद कार्य जून 2012 तक अपूर्ण था। विलम्ब के कारण लोगों को मलव्यवस्था सुविधा से वंचित रहना पड़ा।

अधिसासी अभियंता, रिकांगपिओ ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (जून 2012) बताया कि उपचार संयंत्र के विकास के लिए कार्यस्थल अभी तक निश्चित नहीं किया गया था। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि स्कीम की समयबद्ध पूर्णता हेतु कार्यस्थल की पहचान योजना बनाने के चरण पर कर ली जानी चाहिए।

अध्याय-5: आर्थिक सेवाएं

अध्याय-5 : आर्थिक सेवाएं

5.1 सड़क अवसंरचना

5.1.1 अवसंरचना

अच्छी अवसंरचना को जिले की विकास दर को बढ़ाने तथा विकसित एवं अल्प विकसित क्षेत्रों के मध्य अन्तर को कम करने में लम्बा रास्ता तय करना होगा। यह दूरस्थ तथा पिछड़े क्षेत्रों को जिला मुख्यालय के निकट भी लाएगी और अर्थव्यवस्था के अन्तर्भूत विकास को पूरा करेगी। अवसंरचना में सभी मौसमों में अच्छी सड़कों का प्रावधान, घरों, औद्योगिक व सिंचाई आवश्यकताओं को पर्याप्त बिजली, रेल सम्पर्कता, हवाई सेवाएं तथा विश्वसनीय संचार सुविधाएं सम्मिलित हैं।

किन्नौर जिले में कोई हवाई अड्डा एवं रेल सम्पर्कता नहीं है। सबसे नजदीकी हवाई अड्डा तथा रेलवे स्टेशन रिवांगपिओ (जिला मुख्यालय) से 235 किलोमीटर दूर शिमला में स्थित है। जिले में सड़कों के विकास की समीक्षा से उद्घाटित हुआ कि मार्च 2012 तक 73 प्रतिशत गांवों को सड़क से जोड़ा गया था। इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा नीचे की गई है:

◆ सड़क सम्पर्कता की स्थिति

जिले में 234 गांव हैं। तथापि, लोक निर्माण विभाग के अभिलेखों के अनुसार विद्यमान 233 गांवों में से मात्र 170 गांवों (73 प्रतिशत) को मार्च 2012 तक सड़क सम्पर्कता उपलब्ध करवाई गई है।

◆ सड़कों के विकास हेतु स्कीमें

सड़कों के निर्माण/ विकास हेतु कार्यान्वित की जा रही अति महत्वपूर्ण स्कीम केन्द्रीय प्रायोजित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार भी राज्य निधियों में से सड़कों का निर्माण कर रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में प्रगति की चर्चा आगामी परिच्छेदों में की गई है:

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 2000 में आरम्भ किया गया था तथा प्रत्येक बस्ती जिसकी जनसंख्या 1000 अथवा इससे अधिक है को सभी मौसमों में खुली रहने वाली सड़कों के साथ तीन वर्षों के भीतर अर्थात् वर्ष 2003 तक और 500 अथवा इससे अधिक लोगों की बस्तियों को दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जोड़ने का लक्ष्य था।

इसको प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सम्बन्धित जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा जिला ग्रामीण सड़क योजना को तैयार करना परिकल्पित है। तथापि, विभाग ने वर्ष 2005 के दौरान सड़क का खण्ड-वार कोर नेटवर्क तैयार किया था परन्तु जिले में समयबद्ध तरीके से सड़क परियोजनाओं के निर्माण हेतु जिला ग्रामीण सड़क योजना को तैयार करना सुनिश्चित नहीं किया था।

मार्च 2012 तक 1000 लोगों से अधिक जनसंख्या वाले 13 वास-स्थानों में से 12 वास-स्थानों में सड़क सम्पर्कता उपलब्ध करवाई गई थी। मार्च 2012 तक 500 से 1000 लोगों की जनसंख्या वाले 41 वास-स्थानों के मामले में सात वास-स्थानों में सड़क सम्पर्कता उपलब्ध करवाई जानी शेष थी। मार्च 2012 तक 500 लोगों से कम जनसंख्या वाले कुल 55 वास-स्थानों को सड़क सम्पर्कता उपलब्ध नहीं करवाई गई थी।

2007-12 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा ₹ 21.97 करोड़ की निधियां उपलब्ध करवाई गई। राज्य सरकार ने भी जिले में ग्रामीण सड़कों के निर्माणार्थ ₹ 62.95 करोड़ आबंटित किए। इनमें से क्रमशः ₹ 21.97 करोड़ तथा ₹ 62.92 करोड़ का व्यय किया गया था।

◆ **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा राज्य सेक्टर के अंतर्गत किए गए ग्रामीण सड़क कार्यों की स्थिति**

समीक्षा अवधि के दौरान जिले में शुरू किए गए सड़क कार्यों का विवरण तथा इनके निष्पादन की प्रगति को नीचे तालिका-17 में तालिकाबद्ध किया गया है:

तालिका-17

2007-12 के दौरान जिले में शुरू किए गए तथा पूर्ण किए गए सड़क कार्यों का विवरण

(₹ करोड़)

वर्ष	शुरू किए गए कार्य (संख्या में)		अनुमोदित लागत		मार्च 2012 तक पूर्ण किए गए कार्य (संख्या में)		पूर्ण किए गए कार्यों की लागत	
	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	राज्य सेक्टर	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	राज्य सेक्टर	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	राज्य सेक्टर	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	राज्य सेक्टर
31 मार्च 2007 तक प्रगतिरत कार्य	15	62	64.33	33.20	2	22	2.53	12.64
2007-08	--	12	--	10.48	--	1	--	0.17
2008-09	4	10	14.87	5.08	--	2	--	0.42
2009-10	--	8	--	7.29	--	1	--	0.11
2010-11	--	4	--	1.82	--	--	--	--
2011-12	--	5	--	4.28	--	--	--	--
कुल	19	101	79.20	62.15	2	26	2.53	13.34

स्रोत: विभागीय आंकड़े।

लेखापरीक्षा विश्लेषण से उद्घाटित हुआ कि 2007-12 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा राज्य सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत शुरू किए गए 120 कार्यों (पहले से प्रगतिशील 77 कार्यों सहित) में से मार्च 2012 तक केवल 28 कार्य (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना: दो तथा राज्य सेक्टर: 26) पूर्ण किए गए थे, 72 कार्य अभी भी प्रगतिरत थे तथा शेष 14 कार्य भूमि विवाद, वन विभाग की अनुमति तथा ठेकेदारों द्वारा कार्य परित्याग आदि कारणों से रूके थे एवं शेष छः कार्यों का निष्पादन मार्च 2012 तक शुरू नहीं किया गया था।

अधिशासी अभियंता ने विलम्ब का कारण सड़कों के संरेखण में भूमि विवाद, वन विभाग की अनुमति, ठेकेदारों द्वारा की गई देरी तथा अपर्याप्त निधियों को ठहराया (जून-अगस्त 2012)। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग को कार्यों का निष्पादन शुरू करने से पूर्व सड़कों के निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए थी। यह जिले के लोगों को समय पर सड़क सम्पर्कता उपलब्ध कराने के लिए उचित योजना सुनिश्चित करने में विभाग की विफलता को इंगित करता है।

5.2 अन्य विकासात्मक क्रियाकलापों हेतु स्कीमें

5.2.1 विकास में जन सहयोग

विकास में जन सहयोग स्कीम को शिक्षा हेतु सरकारी भवनों के निर्माण, ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमें, ग्रामीण सड़कें, लघु सिंचाई स्कीमें, बहुउद्देशीय सामुदायिक केन्द्रों तथा अवसंरचना सुविधाओं जैसे विकासात्मक

क्रियाकलापों में सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ जनवरी 1993 में आरम्भ किया गया था। यह एक राज्य प्रायोजित स्कीम है, इसमें राज्य सरकार तथा उन क्षेत्रों के लोगों, जहां अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक हो, के मध्य निधियन अनुपात 85:15 है। पिछड़े क्षेत्रों में, जहां सामान्य वर्ग की जनसंख्या का प्रभुत्व है, निधियन अनुपात 75:25 तथा शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 50:50 है।

2007-12 के दौरान एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के परियोजना अधिकारी द्वारा जिले में 48 विकासात्मक कार्यों के निष्पादन के लिए ₹ 5.30 करोड़ कार्यकारी अभिकरणों को जारी किए गए थे। यह देखा गया था कि कार्यकारी अभिकरणों को निधियां जारी करने के बाद कार्यों के पर्याप्त अनुश्रवण को सुनिश्चित करने के लिए कार्य की वास्तविक प्रगति तथा निधियों के प्रयोग के सम्बन्ध में किसी तरह के आवधिक प्रतिवेदन प्राप्त नहीं किए गए थे। एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के परियोजना अधिकारी के अभिलेखों के अनुसार सभी कार्य अपूर्ण दिखाए गए थे। कार्यों के निष्पादन के किसी भी प्रगति प्रतिवेदन की अनुपस्थिति में वास्तविक प्रगति की तुलना में निधियों के वास्तविक प्रयोग की स्थिति, यदि कोई प्राप्त की गई, लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं की जा सकी।

उत्तर में एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना किन्नौर के अनुसंधान अधिकारी ने बताया (अगस्त 2012) कि प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा परियोजना सलाहकार समिति द्वारा इसकी आम बैठकों में की जा रही थी तथा तत्काल निर्देश जारी किए गए थे। यद्यपि कोई दस्तावेजी साक्ष्य उनके दावे के पक्ष में लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना किन्नौर के परियोजना अधिकारी ने अन्तिम सम्मेलन में बताया (नवम्बर 2012) कि उपयोगिता प्रमाण पत्र/ पूर्णता प्रमाण पत्र कार्यकारी अभिकरणों से प्राप्त किए जा चुके हैं तथा नवीनतम स्थिति की जानकारी पृथक रूप से दे दी जाएगी।

5.2.2 सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

जिला किन्नौर संसदीय क्षेत्र मंडी का एक भाग है तथा उपायुक्त मंडी उपरोक्त स्कीम के अंतर्गत निष्पादित होने वाले विकासात्मक कार्यों हेतु जिले को निस्तारण के लिए नोडल अधिकारी है। 2007-12 के दौरान किन्नौर उपायुक्त ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत संसदीय क्षेत्र विकास से सम्बन्धित कार्यों जैसे सामुदायिक केन्द्रों, महिला मण्डल भवन, सराय भवन एवं रज्जू मार्ग आदि के अनुमोदन तथा स्वीकृति के लिए मंडी उपायुक्त से ₹ 1.21 करोड़ प्राप्त किए। ₹ 1.31 करोड़ (₹ 0.10 करोड़ का अप्रयुक्त शेष तथा ब्याज सहित) की कुल उपलब्ध निधियों में से ₹ 1.29 करोड़ जिले में निष्पादन अभिकरणों को जारी किए गए थे तथा शेष ₹ 0.02 करोड़ अगस्त 2012 तक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी के पास अप्रयुक्त रह गए।

निष्पादन अभिकरणों को स्वीकृत एवं जारी किए गए ₹ 1.29 करोड़ के प्रति इनके द्वारा ₹ 0.34 करोड़ का व्यय किया गया तथा ₹ 0.95 करोड़ की शेष राशि अगस्त 2012 तक खण्ड विकास अधिकारी जैसे निष्पादन अभिकरणों के पास अप्रयुक्त पड़ी रही।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी ने बताया (मई 2012) कि योजनाएं/ कार्य भूमि विवादों के कारण पूर्ण नहीं हो सके।

योजना निर्देशों के अनुसार कार्यालय/ आवासीय भवनों, सहकारिता तथा वाणिज्यिक संगठन से सम्बन्धित अन्य कार्यों का निर्माण, मरम्मत कार्यों तथा धार्मिक पूजा स्थलों के अन्दर कार्य प्रतिबन्धित है।

अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि ₹ 0.45 करोड़ की लागत वाले 11 कार्य जैसे क्लब हाऊस एवं धार्मिक पूजा स्थलों में कार्य स्वीकृत किए गए थे तथा 2007-12 के दौरान कार्यों के निष्पादन हेतु समग्र राशि उपरोक्त प्रावधानों के उल्लंघन में जारी की गई थी।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी ने बताया (जून 2012) कि यह कार्य उपायुक्त मंडी द्वारा स्वीकृत किए गए थे तथा इस कार्यालय द्वारा केवल इन कार्यों के निष्पादन हेतु निष्पादन अभिकरणों को निधियां जारी की थी। लेकिन तथ्य यह है कि उपायुक्त मंडी द्वारा सम्बन्धित विधायक द्वारा अनुशंसित कार्यों की स्वीकार्यता को सत्यापित नहीं किया था तथा निषिद्ध कार्यों की स्वीकृति के साथ कार्रवाई की।

5.2.3 विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना

किन्नौर जिले में केवल एक विधायक (विधानसभा सदस्य) है। विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना के अंतर्गत 2007-12 के दौरान जिले में विकासात्मक कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए ₹ 25 लाख प्रतिवर्ष निस्तारित किए गए थे। स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य विधायक द्वारा अनुशंसित किए जाने हैं तथा आगे उपायुक्त से एक माह के अंदर इनकी स्वीकृति तथा स्वीकृति की तिथि से एक साल के अंदर निधियों का उपयोग एवं कार्य की पूर्णता सुनिश्चित करना अपेक्षित है।

2007-12 के दौरान स्कीम के अंतर्गत उपायुक्त ने ₹ 1.25 करोड़ प्राप्त किए तथा सामुदायिक केन्द्रों, महिला मण्डल भवन, प्रवाहित सिंचाई योजनाएं आदि जैसे 93 कार्यों के निष्पादन के लिए निष्पादन अभिकरणों को सम्पूर्ण राशि जारी की। इसमें से ₹ 1.06 करोड़ के 86 कार्यों को अगस्त 2012 तक अपूर्ण छोड़ते हुए ₹ 0.19 करोड़ मूल्य के मात्र सात कार्यों को पूर्ण किया गया।

एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के अनुसंधान अधिकारी ने बताया (अगस्त 2012) कि न्यून/ सीमित कार्य अवधि के कारण अनुबंधित अवधि में कार्यों को पूर्ण नहीं किया जा सका। तथापि, तथ्य यह है कि कार्यों की स्वीकृति के समय कार्य की समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए कार्य अवधि के पहलु पर ध्यान नहीं दिया गया था।

अन्तिम सम्मेलन में किन्नौर के एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के परियोजना अधिकारी ने बताया (नवम्बर 2012) कि निष्पादन अभिकरणों से उपयोगिता प्रमाण पत्र/ पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किए जा चुके हैं तथा नवीनतम स्थिति पृथक रूप से सूचित कर दी जाएगी।

5.2.4 मरुभूमि विकास कार्यक्रम

जिले में 1982-83 से सिर्फ एक शीत मरुभूमि खण्ड (पूह) में मरुभूमि विकास कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम कार्यन्वित हैं। भारत सरकार तथा राज्य सरकार के बीच लागत हिस्सेदारी 75:25 की है तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निधियां प्रत्यक्ष रूप से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को निस्तारित की जाती है। कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य फसलों, मनुष्यों तथा पशुधन संख्या पर मरुभूमिता एवं प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों के प्रभावों को भूमि की क्षमता, स्थल की स्थिति तथा स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते

हुए मरुभूमि/ अवक्रमित भूमि को जल विभाजक आधार पर विकसित करते हुए कम करना तथा समाज के निर्धन एवं अलाभकारी वर्गों को आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार करना है। योजना के कार्यान्वयन में देखी गई कमियां नीचे दर्शाई गई हैं:

◆ निधियन प्रारूप तथा निधियों का निस्तारण

मरुभूमि विकास कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निधियां ₹ 30 लाख प्रति परियोजना की दर से प्रत्यक्ष रूप से जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण को निस्तारित की जाती हैं। प्रत्येक परियोजना के कार्यान्वयन की अवधि भारत सरकार द्वारा स्वीकृति की तिथि से पांच वर्ष के लिए होती है तथा निधियां पांच किस्तों में जारी की जाती है (पहली एवं चौथी: प्रत्येक में 15 प्रतिशत; दूसरी एवं तीसरी: प्रत्येक में 30 प्रतिशत; और पांचवी: परियोजना लागत का 10 प्रतिशत)।

◆ सापेक्ष योजना का न बनाना

निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, चालू परियोजना क्षेत्रों तथा एक चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाने वाली नई परियोजनाओं को निर्दिष्ट करते हुए 15 वर्षों से अधिक की अवधि में मरुभूमि क्षेत्र उपचार के लिए सापेक्षित योजना को बनाने के लिए अगस्त 2001 में जारी संशोधित कार्यक्रम दिशा-निर्देश उपलब्ध करवाए। यह देखा गया था कि कार्यक्रम के पर्याप्त कार्यान्वयन के लिए आवश्यक सापेक्ष योजना नहीं बनाई गई थी।

तथ्यों को स्वीकारते हुए परियोजना निदेशक ने बताया (जून 2012) कि परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केवल वार्षिक कार्य योजनाएं ही बनाई गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परियोजनाओं को प्रभावशाली तरीके से कार्यान्वित करने के लिए लम्बी अवधि सापेक्ष योजना आवश्यक थी तथा कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न क्रियाकलापों के सम्पादन के लिए वार्षिक योजनाएं सापेक्ष योजना से प्रवाहित होनी थी।

◆ वित्तीय परिव्यय एवं व्यय

2007-12 के दौरान मरुभूमि विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध करवाई गई निधियां तथा किया गया व्यय निम्न तालिका-18 में दिया गया है:

तालिका-18

2007-12 के दौरान मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त निधियां तथा किए गए व्यय की स्थिति

(₹ करोड़)

वर्ष	अथशेष	जारी निधियां			निधियों की कुल उपलब्धता	व्यय	उपयोगिता में कमी
		केन्द्र अंश	राज्य अंश	ब्याज			
2007-08	2.52	2.84	0.73	0.07	6.16	3.08	3.08 (50)
2008-09	3.08	0.98	0.72	0.07	4.85	2.21	2.64 (54)
2009-10	2.64	---	---	0.09	2.73	1.80	0.93 (34)
2010-11	0.93	7.33	0.55	0.18	8.99	1.16	7.83 (87)
2011-12	7.83	---	1.00	0.24	9.07	3.43	5.64 (62)
	कुल	11.15	3.00			11.68	

स्रोत: विभागीय आंकड़े।

2007-12 के दौरान ₹ 0.93 करोड़ तथा ₹ 7.83 करोड़ के बीच की निधियों का प्रयोग नहीं किया गया था। 2007-12 के दौरान उपलब्ध निधियों के उपयोग में कमी का प्रतिशतता 34 तथा 87 प्रतिशत के बीच था और कार्यक्रम के गैर-कार्यान्वयन के रूप में परिणत हुआ जैसा कि उत्तरोत्तर परिच्छेद में बताया गया है।

◆ भौतिक निष्पादन

2007-12 के दौरान, कार्यक्रम के अंतर्गत 52,425 हैक्टेयर क्षेत्र के उपचार का लक्ष्य था, जिसके प्रति केवल 15,839 हैक्टेयर का उपचार किया गया जो 36,586 हैक्टेयर (70 प्रतिशत) की न्यूनता के रूप में परिणत हुआ।

परियोजना निदेशक ने क्षेत्र के उपचार में न्यूनता हेतु सीमित कार्य अवधि को आरोपित किया (सितम्बर 2012)। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त तथ्य को वार्षिक कार्य योजनाएं बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए था। यह भी दर्शाता है कि क्षेत्र में व्याप्त स्थलाकृति एवं मौसमीय परिस्थितियों को ध्यान में रखे बिना तदर्थ आधार पर वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए मरुभूमि विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन उचित नहीं था तथा राज्य सरकार द्वारा मरुभूमि क्षेत्र की कार्यक्रम गतिविधियों/ उपचार के प्रभाव मापने के लिए उपाय बैंचमार्क बनाने की आवश्यकता है।

5.2.5 सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

किन्नौर जिले की सीमाएं चीन के साथ हैं। लगातार मांगों तथा जिले के सीमा क्षेत्र की सम्पूर्ण स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन दो खण्डों अर्थात् कल्पा एवं पूह में विस्तारित कर दिया (1998-99)। योजना का मूल उद्देश्य सीमा के निकट स्थित दूरस्थ तथा पहुंच से बाहर के क्षेत्रों में रह रहे लोगों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। इस योजना के अंतर्गत फार्म क्षेत्र, सेवा क्षेत्र एवं संस्कृति तथा पर्यावरण के अनुरक्षण/ संरक्षण की पहचान उपक्रम क्षेत्रों के रूप में की गई है।

2007-12 के दौरान उपरोक्त योजना के अंतर्गत ₹ 45.24 करोड़ प्राप्त किए गए थे। एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के परियोजना अधिकारी ने 247 विकासात्मक कार्यों के निष्पादन के लिए समग्र राशि निष्पादन अभिकरणों को जारी की तथा अन्तिम व्यय के रूप में दर्शाया। ₹ 15.81 करोड़ व्यय करने के बाद इनमें से 90 कार्य पूर्ण किए गए। जबकि ₹ 9.99 करोड़ की लागत के 65 कार्यों का निष्पादन नहीं शुरू हुआ था, अगस्त 2012 तक ₹ 19.44 करोड़ के लागत के 92 कार्य अभी भी प्रगति पर थे तथा अपने पूर्ण होने के नियत समय से 12 से लेकर 36 महीनों से पिछड़ रहे थे। 65 कार्यों के शुरू न होने के कारण अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे।

एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के अनुसंधान अधिकारी ने बताया (अगस्त 2012) कि कम/ सीमित कार्य अवधि के कारण कार्य पूर्ण नहीं किए जा सके। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन कार्यों को स्वीकृत करने से पूर्व कार्य अवधि की लम्बाई को ध्यान में रखना चाहिए था।

किन्नौर के एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के परियोजना अधिकारी ने अन्तिम सम्मेलन में बताया (नवम्बर 2012) कि निष्पादन अभिकरणों से उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्राप्त किया जा चुका है तथा नवीनतम स्थिति से पृथक रूप से अवगत करवा दिया जाएगा।

5.2.6 केन्द्र बजट योजना

राज्य सरकार स्थानीय महत्व की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रति वर्ष ₹ 30 लाख का केन्द्र बजट उपायुक्त को उपलब्ध करवाती है। केन्द्र बजट में से स्वीकृत योजनाओं का 18 महीनों की अवधि में पूर्ण होना अपेक्षित है तथा संस्वीकृति देने वाले प्राधिकारी द्वारा राज्य सरकार को खर्च की गई राशि के समर्थन में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

2007-12 के दौरान उपायुक्त ने इस योजना के अंतर्गत ₹ 1.50 करोड़ प्राप्त किये तथा सम्पूर्ण राशि को खेलों, सांस्कृतिक एवं ग्रामीण सम्पर्कता आदि से सम्बन्धित 260 कार्यों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न अभिकरणों को जारी किया। इनमें से 228 कार्य सितम्बर 2012 तक पूर्ण होने थे। यह देखा गया था कि ₹ 0.53 करोड़ व्यय करने के बाद केवल 94 कार्य पूर्ण किए गए तथा शेष 134 कार्य अभी भी अपूर्ण पड़े थे। इन कार्यों के पूर्ण होने में लगी देरी 18 से लेकर 36 महीनों तक की थी।

एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के अनुसंधान अधिकारी ने बताया (अगस्त 2012) कि न्यून/ सीमित कार्य अवधि के कारण कार्यों को अनुबंधित अवधि में पूर्ण नहीं किया जा सका।

किनौर के एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के परियोजना अधिकारी ने अन्तिम सम्मेलन में बताया (नवम्बर 2012) कि निष्पादन अभिकरणों से उपयोगिता प्रमाण पत्रों/ पूर्णता प्रमाण पत्रों को प्राप्त किया जा चुका है तथा नवीनतम स्थिति के बारे में पृथक रूप से अवगत करवा दिया जाएगा।

सिफारिशें

सरकार यह विचार करे:

- एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना का अधिकारियों द्वारा आवधिक निरीक्षण का संचालन करना तथा निष्पादन अभिकरणों से प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त करना।
- सरकारी धन के अनावश्यक अवरोधन को रोकने के लिए निष्पादन अभिकरणों के पास लम्बित कार्यों को पूर्ण करने के लिए ठोस कदम उठाना।

5.3 रोजगार सृजन

भारत सरकार तथा राज्य सरकार ने निर्धनता, बेरोजगारी तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्रगति की धीमी गति की समस्याओं पर काबू पाने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। इसके अतिरिक्त, समाज के विशेषकर गरीब व असुरक्षित वर्गों को खाद्य सुरक्षा के प्रावधान को अर्थव्यवस्था के अन्तर्भूत विकास के महत्वपूर्ण घटकों में से एक माना गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करने की दृष्टि से रोजगार जुटाने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित दो अत्यन्त महत्वपूर्ण स्कीमें सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना तथा स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना हैं। जिले में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के कार्यान्वयन को बाद में अप्रैल 2008 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम में शामिल किया गया। हालांकि, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा 2008-09 तक मार्च 2008 तक भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई निधियों से चालू कार्यों पर व्यय जारी रखा। स्कीमों के कार्यान्वयन पर देखी गई कमियां नीचे दर्शाई गई हैं:

5.3.1 सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का उद्देश्य ग्रामीण निर्धन लोगों, जो जरूरतमंद तथा अपने गांवों में व गांव के चारों ओर हस्त व अकुशल कार्य करने के लिए इच्छुक हों, को अतिरिक्त मजदूरी रोजगार जुटाना और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी सामुदायिक, सामाजिक व आर्थिक परिसम्पत्तियों और अवसंरचना का सृजन करना था। इस उद्देश्य के लिए ग्राम पंचायतों को खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को कार्य प्रस्तावों को प्रस्तुत करना था, जो वर्ष के आरम्भ में अनुमोदित किए जाने वाले कार्यों के व्यापक शेल्फ पर आधारित हो।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि स्कीमें तदर्थ आधार पर उपायुक्त द्वारा स्वीकृत की गई थी क्योंकि ग्राम पंचायतों तथा खण्डों ने कोई सापेक्ष योजना नहीं बनाई थी। परिणामतः, कार्यों को योजनाबद्ध तथा समन्वित ढंग के बजाए अनुभूत आवश्यकता के आधार पर प्रस्तावित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप कार्यों के निष्पादन में अतिव्याप्ति हुई और उपलब्ध निधियों की अवप्रयुक्ति हुई। इसके अतिरिक्त, जिला/ जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के स्तर पर विभिन्न खण्डों तथा ग्राम पंचायतों में आरम्भ किए गये विकासात्मक कार्यों के विवरण का कोई डाटाबेस नहीं था।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 के आधार पर निधियन किया गया था। 2007-09 (मार्च 2009 तक) के दौरान जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जिला किन्नौर द्वारा प्राप्त निधियों तथा उनकी प्रयुक्ति से सम्बन्धित वर्षवार स्थिति नीचे तालिका-19 में दी गई है:

तालिका-19

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत प्राप्त निधियों तथा किए गए व्यय की स्थिति

(₹ करोड़)

वर्ष	अथशेष	प्राप्त निधियां			कुल	प्रयुक्त निधियां	अप्रयुक्त निधियां (प्रतिशतता)
		केन्द्र	राज्य	अन्य विविध प्राप्तियां			
2007-08	1.04	1.98	0.66	0.46	4.14	2.38	1.76 (43)
2008-09	1.76	--	--	0.09	1.85	1.12	0.73 (39)

स्रोत: विभागीय आंकड़े। कोष्ठक में दिये गये आंकड़े प्रतिशतता को इंगित करते हैं।

दो नमूना खण्डों (पूह एवं निचार) द्वारा इस अवधि के दौरान प्राप्त तथा व्ययित निधियों का विवरण निम्न तालिका-20 में दिया गया है:

तालिका-20

नमूना खण्डों में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत प्राप्त निधियों एवं किए गए व्यय की स्थिति का विवरण

(₹ लाख)

वर्ष	अथशेष	प्राप्त निधियां	अन्य प्राप्तियां	कुल	प्रयुक्त निधियां	अप्रयुक्त निधियां प्रतिशत
2007-08	29.38	121.71	0.97	152.06	109.16	42.90 (28)
2008-09	42.90	23.50	6.16	72.56	67.57	4.99 (7)

स्रोत: विभागीय आंकड़े। कोष्ठक में दिये गये आंकड़े प्रतिशतता को इंगित करते हैं।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना में विलय होने के बाद 2009-10 के दौरान ₹ 0.73 करोड़ की अव्ययित राशि में से केवल ₹ 0.14 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई थी। ₹ 0.59 करोड़ की शेष अव्ययित राशि न तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना को हस्तांतरित की गई थी, न ही उपरोक्त राशि को उपयोगिता का विवरण जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के

परियोजना अधिकारी के पास उपलब्ध था। अतः, निधियों के प्रयोग के किसी भी तरह के अभिलेख की अनुपस्थिति में धन के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण के परियोजना अधिकारी ने तथ्यों को स्वीकारा तथा बताया (अक्टूबर 2012) कि उपरोक्त राशि का विवरण सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों/ ग्राम पंचायतों से प्राप्त किया जाएगा। तथापि, तथ्य यह है कि परियोजना अधिकारी योजना के अंतर्गत खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किए जा रहे व्यय पर पर्याप्त जांच रखने में विफल रहा तथा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में विलय होने के तीन से भी अधिक वर्षों की अवधि तक उपरोक्त विसंगति का समाधान नहीं कर पाया।

◆ सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार के अंतर्गत रोजगार सृजन

2007-09 के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत सृजित रोजगार का विवरण, जैसा कि जिला ग्रामीण विकास अधिकरण द्वारा भारत सरकार को सूचित किया गया है, निम्न तालिका-21 में दिया गया है:

तालिका-21

2007-09 के दौरान सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत सृजित रोजगार का विवरण

(श्रम दिवस लाख में)

वर्ष	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए श्रम दिवस	महिलाओं के लिए श्रम दिवस	कुल सृजित श्रम दिवस
2007-08	1.16	0.29 (25)	1.16
2008-09	0.67	0.12 (18)	0.67
कुल	1.83	0.41 (22)	1.83

स्रोत: विभागीय आंकड़े। कोष्ठक में दिये गये आंकड़े प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

टिप्पणी: किन्नौर जनजातीय क्षेत्र होने के कारण यहां पर सामान्य वर्ग के कोई लाभार्थी नहीं थे।

रोजगार सृजन से सम्बन्धित कोई वार्षिक लक्ष्य नहीं थे यद्यपि जिला ग्रामीण विकास अधिकरण ने रोजगार सृजन हेतु पक्का मार्ग, सामुदायिक भवन एवं सिंचाई कूहल¹ आदि के निर्माण जैसे लघु कार्यों के निष्पादनार्थ योजना बनाई थी। अतः लक्ष्यों की तुलना में सृजित रोजगार की सीमा को अभिनिश्चित नहीं किया जा सका। जिले में 2007-08 के दौरान स्वीकृत सभी 231 कार्य ₹ 1.41 करोड़ व्यय होने के बाद पूरे हो गए थे। दो नमूना-जांचित खण्डों में रोजगार सृजन से सम्बन्धित स्थिति निम्न तालिका-22 में दी गई है:

तालिका-22

2007-09 के दौरान सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत प्रतिदर्श खण्डों में सृजित किए गए रोजगार का विवरण

(श्रम दिवस लाख में)

वर्ष	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए श्रम दिवस	महिलाओं के लिए श्रम दिवस	कुल उत्सर्जित श्रम दिवस
2007-08	0.52	0.19 (37)	0.52
2008-09	0.37	0.12 (32)	0.37
कुल	0.89	0.31 (35)	0.89

स्रोत: नमूना-जांचित खण्डों के खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा उपलब्ध करवाए गए आंकड़े। कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

सृजित रोजगार का 30 प्रतिशत महिला लाभार्थियों के लिए होना चाहिए था, जबकि जिला में 1.83 लाख सृजित श्रम दिवसों में से महिलाओं हेतु केवल 0.41 लाख (22 प्रतिशत) श्रम दिवस जिला ग्रामीण विकास अधिकरण ने प्रतिवेदित किए।

¹ पहाड़ी क्षेत्रों में एक लघु खुला सिंचाई जलमार्ग।

परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने बताया (जून-अगस्त 2012) कि महिला लाभार्थियों द्वारा रोजगार न लेने के कारण, कुल 30 प्रतिशत महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका था।

5.3.2 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005 को अप्रैल 2008 से जिले में कार्यान्वित किया जा रहा है। अधिनियम का मूल उद्देश्य कम से कम 100 दिन का गारण्टीकृत मजदूरी रोजगार उपलब्ध करवाकर ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत दक्ष तथा अर्ध-दक्ष मजदूरों की मजदूरी तथा सामग्री की लागत को भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में शेयर किया जाता है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता तथा राज्य रोजगार गारण्टी परिषद् के प्रशासनिक खर्चों को वहन करती है। 2008-12 के दौरान जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, किन्नौर द्वारा प्राप्त निधियों तथा उसके प्रति प्रयुक्ति की वर्षवार स्थिति नीचे तालिका-23 में दी गई है:

तालिका-23

2008-12 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत प्राप्त निधियों तथा किए गए व्यय की स्थिति

(₹ करोड़)

वर्ष	अथशेष	प्राप्त निधियां		कुल उपलब्ध निधियां	प्रयुक्त निधियां	वर्ष के अंत में अप्रयुक्त निधियां
		भारत सरकार	राज्य सरकार (ब्याज तथा अन्य प्राप्तिवों सहित)			
2008-09	---	3.18	0.36	3.54	3.37	0.17 (05)
2009-10	0.17	4.97	0.73*	5.87	4.50	1.37 (23)
2010-11	1.37	4.60	0.54	6.51	4.55	1.96 (30)
2011-12	1.96	5.15	0.11	7.22	5.82	1.40 (19)
कुल		17.90	1.74		18.24	

स्रोत: विभागीय आंकड़े।

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशतता को इंगित करते हैं।

* सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना से हस्तांतरित ₹ 13.81 लाख सम्मिलित है।

◆ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के कार्यान्वयन के लिए योजना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम के परिचालन दिशा-निर्देश जिले में अग्रिम योजना को सुकर बनाने तथा दीर्घावधि रोजगार सृजन को सुनिश्चित करने के लिए पंचवर्षीय जिला सापेक्ष योजना को तैयार करने के लिए निर्धारित हैं। वर्ष में प्राथमिकता के आधार पर किए जाने वाले क्रियाकलापों को चिन्हित करने के लिए वार्षिक योजनाओं को भी तैयार किया जाना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि किन्नौर जिले में जिला सापेक्ष योजना को तैयार नहीं किया गया था। जिला सापेक्ष योजना की अनुपस्थिति में दीर्घकालीन रोजगार सृजन तथा सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए जिले में निष्पादित किए जाने वाले कार्यों को चिन्हित नहीं किया गया था। यद्यपि जिले में 2008-12 के दौरान वार्षिक योजनाओं को तैयार किया गया था परन्तु वार्षिक योजनाओं की उपेक्षा करते हुए कार्यों को अंशतः अनुमोदित किया गया तथा 1937 कार्यों के निष्पादन पर ₹ 17.05 करोड़ खर्च किए गए। इसके परिणामस्वरूप तदर्थ आधार पर कार्यों का अनियोजित निष्पादन हुआ।

परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने बताया (मई 2012) कि योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम सभा द्वारा कार्यों को अनुमोदित किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ग्राम सभा को अनुमोदित वार्षिक योजनाओं का अनुपालन करना चाहिए था जैसा कि दिशा-निर्देशों के अंतर्गत अपेक्षित है।

इस अवधि के दौरान दो नमूना खण्डों² द्वारा प्राप्त निधियों तथा किए गए व्यय का विवरण निम्न तालिका-24 में दर्शाया गया है:

तालिका-24

2008-12 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत प्रतिदर्श खण्डों में प्राप्त निधियों तथा किए गए व्यय की स्थिति

(₹ करोड़)

वर्ष	अथशेष	प्राप्त निधियां	अन्य विविध प्राप्तियां	कुल	प्रयुक्त निधियां	अप्रयुक्त शेष (प्रतिशत)
2008-09	शून्य	2.22	0.03	2.25	2.03	0.22 (10)
2009-10	0.22	3.16	0.03	3.41	3.20	0.21 (06)
2010-11	0.21	3.16	0.06	3.43	2.86	0.57 (17)
2011-12	0.57	3.20	0.05	3.82	3.54	0.28 (07)

स्रोत: विभागीय आंकड़े।

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

नमूना खण्डों (निचार एवं पूह) के खण्ड विकास अधिकारियों ने बताया (जून-जुलाई 2012) कि सीमित कार्य अवधि होने के कारण निधियों का कम प्रयोग हुआ था।

उत्तर विश्वसनीय नहीं है क्योंकि स्कीम के कार्यान्वयन के लिए योजना कार्य अवधि को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए थी।

◆ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा भारत सरकार को प्रतिवेदित आंकड़ों के अनुसार 2008-12 के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत सृजित रोजगार का विवरण निम्न तालिका-25 में दर्शाया गया है:

तालिका-25

2008-12 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन का विवरण

(श्रम दिवस लाख में)

वर्ष	कुल सृजित श्रम दिवस	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए श्रम दिवस (पुरुष)	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए श्रम दिवस (महिलाएं)
2008-09	1.68	0.64	1.04
2009-10	2.28	0.96	1.32
2010-11	2.17	0.85	1.32
2011-12	2.70	0.71	1.99

स्रोत: जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, किन्नौर द्वारा उपलब्ध करवाया गया डाटा।

टिप्पणी: सम्पूर्ण जिला जनजातीय क्षेत्र के वर्ग में है इसलिए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए श्रम दिवस दर्शाए गए हैं।

² निचार स्थित भावानगर एवं पूह।

2008-12 के दौरान महिलाओं को उपलब्ध करवाए गए रोजगार की स्थिति संतोषजनक थी। जिला प्रशासन द्वारा सभी लाभार्थियों को जिन्होंने स्कीम के अंतर्गत रोजगार की मांग की, को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाया गया।

◆ उपस्थिति नामावलियां

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार अद्वितीय पहचान संख्या सहित निर्धारित फॉर्मेट में उपस्थिति नामावलियों को ग्राम पंचायतों/ निष्पादन अभिकरणों को खण्डों के कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा जारी किया जाना होता है। उपस्थिति नामावलियों को ग्राम पंचायतों तथा अन्य निष्पादन अभिकरणों द्वारा निर्धारित रीति से अनुरक्षित किया जाना भी अपेक्षित है।

20 नमूना-जांचित ग्राम पंचायतों में यह देखा गया कि उपस्थिति नामावलियों को निर्धारित रीति से अनुरक्षित नहीं किया जा रहा था तथा उपस्थिति नामावलियों से मशीनी क्रमांकित न किया जाना, निरीक्षण किए गए कार्यों के संकेत में उपस्थिति नामावलियों में निरीक्षण अधिकारियों के हस्ताक्षर अभिलेखित नहीं किया जाना, कार्यों के मूल्य की तुलना में किए गए कार्यों का विवरण कार्यकारी अभिकरणों द्वारा अभिलेखित न होना आदि कमियां थी।

सम्बन्धित खण्डों के खण्ड विकास अधिकारियों ने तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया (जून-जुलाई 2012) कि भविष्य में इस तरह की कमियां नहीं दोहराई जाएगी तथा सभी सम्बन्धित अधिकारियों/ कर्मचारियों को उपस्थिति नामावली निर्धारित तरीके से हस्ताक्षर/ तैयार करने के निर्देश दिए जा चुके थे।

◆ मजदूरी का भुगतान

मजदूरी का वितरण साप्ताहिक आधार पर अथवा किसी मामले में कार्य समाप्त होने की तिथि के पन्द्रह दिन के अन्दर किया जाना अपेक्षित है। पन्द्रह दिनों से अधिक का विलम्ब होने पर मजदूरी अधिनियम, 1936 के भुगतान के प्रावधानों के अनुसार मजदूर क्षतिपूर्ति के हकदार हैं जिसे राज्य सरकार द्वारा वहन करना होगा।

दो नमूना खण्डों में लेखापरीक्षा में देखा गया कि 2008-12 के दौरान 1951 उपस्थिति नामावलियों पर नियुक्त कामगारों को पाक्षिक आधार पर मजदूरी (₹ 4.16 करोड़) का भुगतान नहीं किया गया था तथा भुगतान में विलम्ब एक से लेकर 30 दिनों तक था। इन कामगारों को भुगतान योग्य क्षतिपूर्ति की न तो गणना गई और न ही इन कामगारों को भुगतान किया गया।

पूह खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी ने बताया (जुलाई 2012) कि तकनीकी कर्मचारियों की कमी के कारण मजदूरियों का समयबद्ध भुगतान नहीं किया जा सका। खण्ड विकास अधिकारी, निचार ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था।

◆ विनिर्देशों के विपरीत सड़कों का निर्माण

दिशा-निर्देशों के अनुसार गांव क्षेत्र के अंदर सभी मौसमों में पहुंच वाली ग्रामीण सम्पर्कता उपलब्ध करवाई जानी थी। नमूना-जांच किए गए दो³ खण्डों में 2008-12 के दौरान ऊपरी सतह का स्थायीकरण तथा नालियों एवं पुलियों के लिए पर्याप्त प्रावधान किए बिना ही ₹ 30.18 लाख की लागत से कच्ची सड़कों के नौ कार्यों को निष्पादित किया गया। इसके कारण इन सड़कों को वर्ष की सभी ऋतुओं विशेषकर वर्षा ऋतु में खुला रखना सम्भव नहीं था जैसा कि निम्नवत् छायाचित्रों से स्पष्ट है:

³ निचार स्थित भावानगर एवं पूह।

छायाचित्र: 1



ग्राम वासनिज से बड़ी को जाने वाली सम्पर्क सड़क
(अगस्त 2012)

छायाचित्र: 2



ग्राम पंचायत मूरांग को जाने वाली सम्पर्क सड़क
(जून 2012)

सम्बन्धित खण्डों के खण्ड विकास अधिकारियों ने तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया (मई-जुलाई 2012) कि सड़कों का निकास कार्य बहुत जल्दी शुरू होगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत परिसम्पत्तियों के उचित सृजन करने के लिए निम्नतम निर्धारित विनिर्देशन का अनुसरण किया जाना चाहिए था।

◆ कार्यों का निरीक्षण एवं अनुश्रवण

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के प्रचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य, जिला तथा खण्ड स्तर के अधिकारी प्रत्येक वर्ष कार्यों के क्रमशः दो, 10 तथा 100 प्रतिशत का निरीक्षण करेंगे तथा ग्राम सभा के प्रतिवेदनों की संवीक्षा के लिए जिला आन्तरिक लेखापरीक्षा कक्षों का गठन किया जाएगा।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 2008-12 के दौरान किन्नौर जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत निष्पादित किए गए 1937 कार्यों में 39 कार्यों के अपेक्षित निरीक्षण के प्रति राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा केवल 18 कार्यों का निरीक्षण किया गया। संयुक्त सचिव (ग्रामीण विकास विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार ने बताया (अगस्त 2012) कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत एक बड़ी संख्या में कार्यों का निष्पादन होने के कारण कुल कार्यों के दो प्रतिशत का निरीक्षण करना सम्भव नहीं था। उत्तर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के प्रावधानों के उल्लंघन में है।

जिला व खण्ड स्तर के अधिकारियों द्वारा कार्यों के निरीक्षण से सम्बन्धित स्थिति को भी लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका क्योंकि उनके द्वारा किए गए कार्यों के निरीक्षण, यदि संचालित किए गए थे, के प्रमाण में कोई निरीक्षण टिप्पणियां अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी। इसके अतिरिक्त, ग्राम सभाओं के प्रतिवेदनों की संवीक्षा करने के लिए जुलाई 2012 तक जिला स्तरीय आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष स्थापित नहीं किया गया था।

परियोजना अधिकारी ने बताया (जुलाई 2012) कि अत्यधिक कार्य दबाव के कारण अपेक्षित निरीक्षण टिप्पणियां तैयार नहीं की जा सकी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के कार्यान्वयन पर अनुश्रवण व सूचना हेतु सांविधिक प्रावधान के दृष्टिकोण से निरीक्षण टिप्पणियां तैयार करना अनिवार्य था।

सिफारिश

सरकार विचार करे:

- परियोजनाओं के दीर्घावधि शेल्फ जिला सापेक्ष योजना को तैयार करना और आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष स्थापित करना जैसा कि स्कीम के अंतर्गत अपेक्षित है।

5.3.3 स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वर्ष 1999-2000 से राज्य में स्वरोजगार के सभी पहलुओं जैसे गरीबों का स्वयं सहायता समूहों में संगठन, प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, ऋण, प्रौद्योगिकी, अवसंरचना तथा विपणन सुविधाओं को आवृत्त करते हुए एक सम्पूर्ण कार्यक्रम को आरंभ किया गया। स्कीम का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लघु उद्योगों को स्थापित करना, ग्रामीण निर्धनों की संभाव्य को बनाना तथा यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक परिवार की मासिक निवल आय कम से कम ₹ 2000 है, सहायता प्राप्त गरीब परिवारों (स्वरोजगारियों) को तीन वर्षों में गरीबी रेखा से ऊपर लाना है।

♦ वित्तीय परिव्यय एवं व्यय

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को केन्द्र तथा राज्य द्वारा 75:25 के अनुपात में निधियन किया गया। भारत सरकार द्वारा स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत विशेष परियोजनाओं के लिए कुल स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आवंटन में से पन्द्रह प्रतिशत निधियां अलग रखी गई थी। भारत सरकार द्वारा क्रेडिट गतिशीलता (बैंक क्रेडिट तथा सरकारी उपदान) की शर्तों के अनुसार वित्तीय लक्ष्य भी निर्धारित किए गये थे। राज्य को केन्द्रीय निधियों का आबंटन राज्य में व्याप्त गरीबी के आधार पर किया गया था। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को निधियों का निस्तारण सीधे भारत सरकार/ राज्य सरकार के द्वारा किया गया था।

2007-12 के दौरान भारत सरकार तथा राज्य द्वारा निस्तारित निधियों तथा उनके प्रति किए गए व्यय की वर्षवार स्थिति नीचे तालिका-26 में दी गई है:

तालिका-26

2007-12 के दौरान स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत प्राप्त निधियों तथा किए गए व्यय की स्थिति

(₹ लाख)

वर्ष	अथ शेष	प्राप्त निधियां		अन्य प्राप्ति	कुल उपलब्ध निधियां	व्यय	अन्त शेष
		केन्द्र	राज्य				
2007-08	2.74	6.95	2.31	1.34	13.34	9.84	3.50
2008-09	3.50	10.03	3.35	2.77	19.65	12.82	6.83
2009-10	6.83	6.73	2.05	2.40	18.01	16.40	1.61
2010-11	1.61	11.13	3.90	0.46	17.10	15.17	1.93
2011-12	1.93	10.14	3.39	2.27	17.73	13.78	3.95
कुल		44.98	15.00	9.24		68.01	

स्रोत: जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, किन्नौर द्वारा आपूरित आंकड़े।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार आबंटित निधियां विभिन्न क्रियाकलापों जैसे आर्थिक क्रियाकलापों पर उपदान (60 प्रतिशत), अवसंरचना का निर्माण (20 प्रतिशत), दक्ष विकास के लिए स्वरोजगारियों को प्रशिक्षण (10 प्रतिशत), स्वयं सहायता समूहों को समर्थ बनाने हेतु आवर्ती निधि का सृजन (10 प्रतिशत) पर प्रयुक्त की जानी थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 2007-12 के दौरान उपरोक्त क्रियाकलापों पर व्यय निर्धारित मानकों के अनुसार नियंत्रित नहीं किया गया था क्योंकि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने मुख्यतः आर्थिक क्रियाकलापों के लिए उपदान उपलब्ध कराने में सकेन्द्रित किया तथा इन क्रियाकलापों पर 73 प्रतिशत निधियों को प्रयुक्त किया। प्रशिक्षण, अवसंरचना निर्माण तथा आवर्ती निधि के सृजन पर प्रयुक्त निधियों की प्रतिशतता क्रमशः एक, 17 तथा नौ थी। इस प्रकार, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण स्वरोजगारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं, अवसंरचना निर्माण तथा स्वयं सहायता समूहों को समर्थ बनाने में अन्तरालों को पूरा करना सुनिश्चित नहीं कर पाया था।

परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने बताया (मई 2012) कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत निधियां खण्ड विकास अधिकारियों को नियमित रूप से निस्तारित की गईं। स्वयं सहायता समूहों और व्यक्तियों को प्रशिक्षण खण्ड स्तर पर दिया जाना था। उन्होंने आगे बताया कि इस सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए जाएंगे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से आगे उद्घाटित हुआ कि जिले में स्कीम के आरंभ होने के समय से 188 स्वयं सहायता समूह बनाए गए थे। जिले में जून 2012 तक इनमें से केवल 141 स्वयं सहायता समूह कार्य कर रहे थे। नमूना-जांच किए गए खण्डों में स्कीम के आरंभ से गठित 114 स्वयं सहायता समूहों में से जून 2012 तक केवल 79 स्वयं सहायता समूह कार्य कर रहे थे। परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी ने बताया (जून 2012) कि कुछ समूह बैंक ऋणों पर दोषी होने तथा अधिकतर स्वयं सहायता समूहों के निष्क्रिय होने के कारण सभी स्वयं सहायता समूह कार्य नहीं कर रहे थे। तथापि, तथ्य यह है कि विभाग ने इन स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियों को फिर से चालू नहीं किया था।

◆ विशेष परियोजना

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण कारीगरों को बाजार पहुंच उपलब्ध करवाने के दृष्टिकोण से भारत सरकार ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ₹ 45 लाख मूल्य पर तीन⁴ गांव हाटों के निर्माण हेतु एक विशेष परियोजना अनुमोदित की (मार्च 2009)। लागत को भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में बांटा जाना था। भारत सरकार ने इसके अंश ₹ 33.75 लाख के प्रति 2008-10 के दौरान ₹ 21.88 लाख दो किस्तों में 2008-09 (₹ पांच लाख) और 2009-10 (₹ 16.88 लाख) निस्तारित किए। राज्य सरकार ने इसके अंश ₹ 11.25 लाख के प्रति 2009-10 में मात्र ₹ 5.62 लाख निस्तारित किए। गांव हाटों का निर्माण एक वर्ष की अवधि के अंदर पूर्ण करना अनुबद्ध था।

लेखापरीक्षा से उद्घाटित हुआ कि परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने उपरोक्त वर्षों में कल्पा, निचार और पूह खण्डों के खण्ड विकास अधिकारियों को इन खण्डों में प्रत्येक में एक गांव हाट के निर्माण हेतु ₹ 27.50 लाख की पूरी राशि आगे निस्तारित की। पूह में गांव हाट का निर्माण भूमि की अनुपलब्धता के कारण आरम्भ नहीं हुआ। शेष दो मामलों में ₹ 22 लाख का व्यय किए जाने के बावजूद निर्माण अपूर्ण था। भावानगर स्थित अपूर्ण गांव हाट का चित्र नीचे दिया गया है:

⁴ निचार स्थित भावानगर, पूह और संगला।

छायाचित्र: 3



भावानगर स्थित अपूर्ण गांव हाट का छायाचित्र (जुलाई 2012)

परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने बताया (जुलाई 2012) कि दो मामलों में सीमित कार्य अवधि और अकुशल/ कुशल श्रमिकों की अनुपलब्धता के कारण कार्य पूर्ण नहीं किए जा सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि पूह स्थित गांव हाट के सम्बन्ध में भूमि हस्तांतरित नहीं की गई थी। उत्तर लक्षित लाभार्थियों हेतु बाजार सुविधा सुनिश्चित करने हेतु विशेष परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अपर्याप्त योजना को दर्शाता है।

5.4 ऊर्जा

मार्च 2005 तक जिले में 234 गांवों में से 193 गांवों (82 प्रतिशत) का विद्युतीकरण किया जा चुका था। राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के माध्यम से शेष गांवों के विद्युतीकरण हेतु योजनाएं बनाई थी।

भारत सरकार द्वारा मार्च 2005 में पांच वर्षों की अवधि के भीतर सभी ग्रामीण घरों को विद्युत उपलब्ध करवाने हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को आरम्भ किया गया। इस स्कीम के कार्यान्वयन हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम एक नोडल एजेंसी है जिसका लक्ष्य समग्र ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन तथा गरीबी उन्मूलन करना है। स्कीम का कार्यान्वयन भारत सरकार से 90 प्रतिशत निधियन के साथ किया जाना है। गरीबी रेखा से नीचे वाले घरों के विद्युतीकरण का वित्तीय प्रबन्ध 100 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाना है।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) ने नवम्बर 2005 में किन्नौर जिले के लिए 40 विद्युतविहीन गांवों का विद्युतीकरण ; 38 गरीबी रेखा से नीचे वाले घरों सहित विद्युतित गांवों में 1,113 विद्युतविहीन घरों का विद्युतीकरण; खण्डों में नए उप-स्टेशनों/ पारेषण लाइनों, जहां ये विद्यमान नहीं हैं का प्रावधान तथा विद्युतित गांवों में ट्रांसफॉर्मरों का वितरण; तथा विद्युत का उत्पादन, वितरण तथा आपूर्ति का विकेन्द्रीकरण लक्ष्य सहित एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार किया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिए बोर्ड की उपरोक्त योजनाएं फलीभूत नहीं हुई क्योंकि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली को संस्वीकृति हेतु नवम्बर 2005 अर्थात् संस्वीकृति की तिथि (मार्च 2005) से सात महीनों के विलम्ब के पश्चात् भेजी गयी थी। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने बोर्ड द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के प्रस्तुत करने की तिथि (नवम्बर 2005) से दो वर्ष तथा नौ महीने व्यतीत हो जाने के पश्चात् सितम्बर 2008 में ₹ 8.29 करोड़ का

परियोजना प्रस्ताव अनुमोदित किया। तत्पश्चात्, अन्तिम रूप दी गई निविदा लागत (₹ 12.59 करोड़) के आधार पर परियोजना लागत को पुनः संशोधित किया गया तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा ₹ 13.72 करोड़ के लिए संस्वीकृत करवाया गया (जून 2009)। लेखापरीक्षा संवीक्षा से आगे उद्घाटित हुआ कि जून 2012 तक 40 गांवों के विद्युतीकरण के प्रक्षेपण के प्रति 31 गांवों का विद्युतीकरण हुआ था जबकि तीन गांवों में बाद में तकनीकी कारणों से विद्युतीकरण नहीं माना गया था। शेष छः गांवों में विद्युतीकरण किया जाना अभी बाकी था। इसके अतिरिक्त, विद्युतीकृत गांवों में 1,113 घरों में से गरीबी रेखा से नीचे वाले 38 घरों सहित 1,025 घर भी आवृत्त किए गए थे और शेष 88 घरों का विद्युतीकरण किया जाना अभी शेष था। ₹ 13.72 करोड़ के स्वीकृत मूल्य के प्रति ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने ₹ 11.54 करोड़ की राशि निस्तारित की। तथापि, बोर्ड ने ₹ 12.82 करोड़ (₹ 0.51 करोड़ वर्धित कर के रूप में और प्रवेश कर बोर्ड द्वारा उठाया जाना था सहित) खर्च किए थे।

इस प्रकार, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की संस्वीकृति में विलम्ब के परिणामस्वरूप न केवल ₹ 5.43 करोड़ की लागत वृद्धि ही नहीं हुई बल्कि स्कीम के शुरू होने (मार्च 2005) के सात वर्षों के पश्चात् भी विद्युतीकरण के लाभों से पात्र घरों को वंचित रहना पड़ा।

प्रत्युत्तर में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, शिमला के अधीक्षण अभियंता ने बताया (जुलाई 2012) कि पात्र घरों को विद्युतीकरण लाभ दिसम्बर 2012 तक उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। उत्तर परियोजना की अपूर्णता जो कि निर्दिष्ट समयावधि के अंतर्गत सुनिश्चित नहीं की जा सकी थी, का कारण स्पष्ट नहीं करता है। कुल मिलाकर मार्च 2012 तक जिले के 234 में से 10 गांव विद्युतीकरण हेतु शेष थे।

अन्तिम सम्मेलन में अधिशासी अभियंता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (नवम्बर 2012) कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार होने में कुछ समय लिया गया था और उसके बाद ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुमोदन में अत्यधिक लम्बा समय लिया था।

सिफारिश

- जिला प्रशासन को अपनी आन्तरिक प्रक्रिया सुप्रवाही बनानी चाहिए तथा विद्युतविहीन गांवों/ घरों की व्याप्ति सुनिश्चित करने तथा परियोजना को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के लिए विभिन्न अभिकरणों के बीच में समन्वय बनाना चाहिए

5.5 आपदा राहत निधि स्कीम

प्राकृतिक आपदाओं के परिणामस्वरूप राहत उपाय दो निधियों अर्थात् आपदा राहत निधि तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से किए जाते हैं। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने स्कीमों को बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित आपदा राहत निधि/ राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि के गठन तथा प्रशासन के लिए अधिसूचित किया है।

अन्य बातों के साथ-साथ आपदा राहत निधि/ राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि की स्कीम में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य की राज्य स्तरीय समिति, जिसका अध्यक्ष मुख्य सचिव है, यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि आपदा राहत निधि से आहरित राशि वास्तव में उस उद्देश्य के लिए, जिसके लिए आपदा राहत निधि गठित की गई है तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मानकों के अनुसार व्यय की स्वीकार्य मदों पर प्रयुक्त की गई है।

स्कीम वित्तीय वर्ष 2005-06 से शुरू की गई थी तथा वित्तीय वर्ष 2009-10 के अंत तक जारी थी। 2010-11 से आगे आपदा राहत निधि को राज्य विपत्ति प्रतिक्रिया निधि का नया नाम दिया गया है तथा राष्ट्रीय आपदा राहत निधि का राष्ट्रीय विपत्ति प्रबन्धन निधि में विलय हो गया।

निधियां उपायुक्त को बजटीय प्रक्रिया द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। आहरण के पश्चात् निधियों को कार्यों के निष्पादन तथा प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ितों को तत्काल राहत उपलब्ध करवाने के लिए कार्यान्वयन अभिकरणों अर्थात् खण्ड विकास अधिकारियों, लोक निर्माण, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, उप-मण्डलीय अधिकारी-सिविल आदि को प्रेषित किया जाता है।

2007-12 के दौरान किन्नौर जिले में आपदा राहत निधि के अंतर्गत बजट आबंटन तथा इसके प्रति किए गए व्यय की वर्षवार स्थिति तालिका-27 में दर्शाई जा रही है:

तालिका-27

2007-12 के दौरान आपदा राहत निधि के अंतर्गत प्राप्त निधियों तथा किए गए व्यय की स्थिति

(₹ करोड़)

वर्ष	बजट आबंटन			किया गया व्यय		
	मरम्मत एवं पुनः स्थापन कार्य	अनुगृहीत राहत	कुल	मरम्मत एवं पुनः स्थापन कार्य	अनुगृहीत राहत	कुल
2007-08	2.37	1.29	3.66	2.37	1.29	3.66
2008-09	0.67	1.38	2.05	0.67	1.38	2.05
2009-10	1.15	1.63	2.78	1.15	1.63	2.78
2010-11	3.06	1.56	4.62	3.06	1.56	4.62
2011-12	0.25	1.09	1.34	0.25	1.09	1.34
कुल	7.50	6.95	14.45	7.50	6.95	14.45

स्रोत: उपायुक्त किन्नौर द्वारा आपूरित आंकड़े।

निम्नवत् बिन्दु ध्यान में आए:

◆ उपयोगिता प्रमाण पत्र की गैर-प्राप्ति

लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि निधियों के आहरण के बाद उपायुक्त द्वारा आपदा राहत निधियों के अंतर्गत सड़कों, सिंचाई कूहल, पुलों के लिए, खेल के मैदानों, सामुदायिक केन्द्रों, महिला मण्डल भवनों आदि 628 मरम्मत तथा पुनः स्थापन कार्यों के लिए ₹ 7.50 करोड़ की समग्र राशि आगे निस्तारित की गई। इनमें से ₹ 2.14 करोड़ के 197 कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए गए तथा ₹ 5.36 करोड़ के 431 कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी प्राप्त किए जाने थे (जुलाई 2012)। जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में सामान्य तीव्रता की आपदा पर मरम्मत/ पुनःस्थापन कार्य 45 दिनों में तथा गम्भीर तीव्रता के मामलों में 60 दिनों के अन्दर किए जाने अपेक्षित हैं, उपायुक्त द्वारा ₹ 5.36 करोड़ के 431 कार्यों की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण नहीं किया गया था।

उपायुक्त ने बताया (जुलाई 2012) कि कार्यों की स्थिति जैसे कि रुके के हुए कार्य, किए जा रहे कार्य, अभी तक शुरू न किए गए कार्य से सम्बन्धित कोई अभिलेख नहीं था। केवल उपयोगिता प्रमाण पत्रों पर निगरानी द्वारा अनुश्रवण किया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण सम्बन्धित

⁵ एक लघु खुली सिंचाई जलमार्ग।

उप-मण्डलों के द्वारा करना अपेक्षित है। तथापि, तथ्य यह है कि राहत कार्यों पर उचित अनुश्रवण मौजूद नहीं था। अतः निधियों के दुर्विनियोजन/ दुरुपयोग की सम्भावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता।

◆ अनुगृहीत राहत

अनुगृहीत राहत प्राकृतिक आपदाओं के कारण व्यक्तियों के घायल अथवा मृत्यु होने पर, मवेशियों की हानि तथा आवास गृह की हानि के मामलों में प्रभावित लोगों को तत्काल राहत के रूप में प्रदान की जाती है। इस प्रकार, यह महत्वपूर्ण है कि चाहे जितनी भी राहत प्रदान की जाने वाली है, यह न्यूनतम समय बरबाद किये उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि तीन उप-मण्डलों के उप-मण्डलीय दण्डाधिकारियों को निस्तारित ₹ 6.95 करोड़ में से, ₹ 20.14 लाख की राशि उप-मण्डलीय दण्डाधिकारियों कल्पा (₹ एक लाख) तथा निचार (₹ 19.14 लाख) द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावितों को वितरित नहीं की गई थी तथा जून 2012 तक बचत बैंक खातों में अप्रयुक्त रही थी।

उपायुक्त ने बताया (जुलाई 2012) कि सम्बन्धितों की तरफ से आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में निधियां वितरित नहीं की गई थी तथा इसके सम्बन्ध में अनुवर्ती कार्रवाई सम्बन्धित उप-मण्डलीय दण्डाधिकारियों द्वारा की जाएगी। उत्तर विश्वसनीय नहीं है क्योंकि सम्बन्धित उप-मण्डलीय दण्डाधिकारियों को अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त करने के लिए राजस्व विभाग के फील्ड स्टॉफ को निर्देश दिए जाने चाहिए।

◆ विभिन्न अभिकरणों को निस्तारित आपदा राहत निधि का मिलान न करना

वर्ष 2007-12 के दौरान उपायुक्त ने आपदा राहत निधि के अंतर्गत मरम्मत एवं पुनःस्थापन कार्यों के लिए ₹ 16 लाख खण्ड विकास अधिकारी पूह (₹ 9.50 लाख), अधिशासी अभियंता हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग कड़छम (₹ 1.50 लाख) तथा अधिशासी अभियंता, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डल, पूह (₹ पांच लाख) को निस्तारित किए परन्तु उपरोक्त अभिकरणों के अभिलेखों में इन निधियों की प्राप्ति उपलब्ध नहीं थी। निधियों के दुर्विनियोजन की सम्भावनाओं के निवारण के लिए मामले की जांच आवश्यक है।

उत्तर में उपायुक्त ने बताया (नवम्बर 2012) कि ₹ 1.50 लाख निस्तारित नहीं किए गए हैं तथा वे बैंक खाते में अभी तक अप्रयुक्त पड़े हैं। उन्होंने आगे बताया कि खण्ड विकास अधिकारी पूह द्वारा नवम्बर 2008 तथा फरवरी 2012 के मध्य ₹ आठ लाख भी आहरित किए गए थे तथा शेष राशि अभी जांचाधीन है। उत्तर यह स्पष्ट नहीं करता है कि प्राथमिकता के आधार पर राहत कार्यों के निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए निस्तारित आपदा राहत निधियों का उचित मिलान क्यों नहीं किया गया था।

◆ मरम्मत तथा पुनःस्थापन कार्यों की पूर्णता में विलम्ब

आपदा राहत निधि के अन्तर्गत स्वीकृत क्षतिग्रस्त कार्यों की मरम्मत तथा पुनःस्थापन का कार्य 60 दिनों की अधिकतम अवधि के अन्दर पूरा किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि चयनित किए गए दो खण्डों⁶ में 2007-12 के दौरान ₹ 3.19 करोड़ की लागत से 258 मरम्मत एवं पुनःस्थापन कार्यों को संस्वीकृत किया गया तथा जून 2012 तक इन कार्यों के निष्पादन पर ₹ 1.83 करोड़ का व्यय किया जा चुका था। यद्यपि, यह देखा गया कि जून 2012 तक

⁶ निचार और पूह।

₹ 0.41 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् 54 कार्य अधूरे पड़े थे। इन कार्यों की पूर्णता में विलम्ब एक माह से 56 माह के मध्य था।

सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों ने (जून 2012) कार्यों के पूर्ण न होने के लिए कार्य करने के लिए सीमित कार्य अवधि, पंचायत तथा भूमि मालिकों के मध्य विवाद, खड्ड में पानी के तेज बहाव आदि को ठहराया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस तरह के सभी तथ्यों को ध्यान में रखने के बाद ही निधियां निस्तारित की जानी चाहिए।

◆ कार्यों का आरम्भ न होना

नमूना-जांच किए गए खण्डों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 2007-12 के दौरान ₹ 66 लाख की लागत से संस्वीकृत सड़कों की मरम्मत, रिटेनिंग दीवारें, स्कूल के मैदानों, सामुदायिक भवनों आदि जैसे 70 कार्यों को जून 2012 तक शुरू नहीं किया गया था तथा संपूर्ण राशि बैंक खातों में अप्रयुक्त रही।

सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों ने बताया (जून 2012) कि सीमित कार्य अवधि, भूमि तथा पर्याप्त निधियों की अनुपलब्धता के कारण कार्यों को शुरू नहीं किया जा सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भूमि की अनुपलब्धता तथा पर्याप्त निधियों की अनुपलब्धता की अवस्था में मामला उपयुक्त कार्रवाई के लिए उपायुक्त के ध्यान में लाया जाना चाहिए था।

सिफारिश

सरकार/ जिला प्रशासन विचार करे:

- कार्यों की भौतिक प्रगति पर निगरानी रखने के लिए उपायुक्त कार्यालय में एक अनुश्रवण तंत्र की स्थापना करना क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावितों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने के वास्तविक उद्देश्य को विफल करते हुए भारी मात्रा में कार्य अपूर्ण/ शुरू नहीं हुए/ रुके पड़े थे तथा निधियां बैंक खातों में अप्रयुक्त पड़ी थी।

अध्याय-6: सामान्य सेवाएं

6.1 ई-गवर्नेंस

हिमाचल प्रदेश सरकार ने नागरिकों को सिंगल विंडो के माध्यम से 50 सेवाओं को एक छत के नीचे प्रदान करने के लिए विभिन्न जिलों में (किन्नौर जिला सहित) अगस्त 2005 से उप-तहसील स्तर तक एकीकृत सामुदायिक सेवा केन्द्रों, जिन्हें 'सुगम' केन्द्रों के नाम से भी जाना जाता है, को स्थापित करना आरम्भ किया। एकीकृत सामुदायिक सेवा केन्द्रों का 'सूचना प्रौद्योगिकी तथा ई-गवर्नेंस के प्रोत्साहन हेतु संस्था' के सहयोग सहित जिला ई-गवर्नेंस संस्था द्वारा संचालन एवं प्रबन्धन किया जाता है। सुगम केन्द्र इन्टरनेट की पहुंच उपलब्ध करवाकर विकास के लिए एक साधन के रूप में भी कार्य करते हैं जो अधिक तेज संचार तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक न्याय एवं महिला कल्याण तथा ग्रामीण विकास आदि के क्षेत्रों में सूचना को आसानी से पहुंच बनाने में मदद करता है।

◆ सेवाएं

सुगम केन्द्रों का लक्ष्य राजस्व अभिलेखों, जन्म/ मृत्यु, जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, मूल निवास स्थान इत्यादि से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों को जारी करना, चालक लाइसेंसों, परिचालक लाइसेंसों इत्यादि को जारी करना, वाहनों का पंजीकरण तथा कर-संग्रहण, कृषि/ बागवानी से जुड़ी सूचना से सम्बन्धित इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं, सामाजिक सेवाएं तथा अन्य उपयोगिता सेवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग जैसे हिमभूमि, हिमरिस, ई-प्रमाण, सारथी एवं ई-शस्त्र, वाहन, ई-कल्याण, ई-पहचान आदि के प्रयोग द्वारा उपलब्ध करवाना था।

◆ सुगम केन्द्रों की कार्यप्रणाली

प्रशासकीय मार्गदर्शनों के अनुसार स्थल को प्रदर्शित करते हुए प्रमुख स्थानों पर लगाए गए प्रदर्शन बोर्डों तथा सुगम स्टैंडर्ड प्रतीक वाले बैकलिट प्रदर्शन बोर्डों सहित नागरिकों को सुगम पहुंच योग्य भवनों/ स्थानों में किन्नौर जिला में छः¹ स्थानों पर सुगम केन्द्रों की स्थापना की जानी थी। छः स्थानों में से तीन को नमूना-जांच के लिए चुना गया।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि जिले में सुगम केन्द्रों को उपयुक्त कार्य स्थल की अनुपलब्धता तथा मानव शक्ति की कमी के कारण जुलाई 2012 तक स्थापित नहीं किया गया था। तथापि, कुछ सेवाएं सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग के माध्यम से प्राधिकारियों के द्वारा प्रदान की जा रही थी।

वाहन/ सारथी से जुड़ी सेवाएं उप-मण्डलीय कार्यालयों में उपलब्ध करवाई जा रही थी, हिमभूमि तथा ई-प्रमाण तीन नमूना-जांचित स्थानों में सभी केन्द्रों के तहसील कार्यालयों में तथा ई-कल्याण/ ई-पहचान से जुड़ी सेवाएं कार्यालय के जिला कल्याण अधिकारी, कल्पा स्थित रिकांगपिओ में उपलब्ध करवाई जा रही थी।

प्रत्येक सुगम केन्द्र पर प्रदान की जाने वाली कुल 50 सेवाओं में से जिला, उप-मण्डल तथा तहसील/ उप-तहसील स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग के द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं क्रमशः 37, 35 तथा 33 थी जबकि शेष सूचनात्मक सेवाएं इन्टरनेट पर उपलब्ध थी।

¹ उप-मण्डलीय कार्यालय कल्पा स्थित रिकांगपिओ, तहसील कार्यालय कल्पा, उप-मण्डलीय कार्यालय निचार, तहसील कार्यालय निचार, उप-मण्डलीय कार्यालय पूह, तहसील कार्यालय पूह।

किन्नौर जिले में नमूना-जांचित तीन स्थानों (कल्पा स्थित रिकांगपिओ, पूह एवं निचार स्थित भावानगर) सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग के द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली तथा वास्तविक रूप से उपलब्ध सेवाओं की स्थिति निम्न तालिका-28 में दर्शाई गई है:

तालिका-28


प्रदान की जाने वाली सेवाओं की कुल संख्या	वास्तव में उपलब्ध करवाई गई सेवाएं
जिला स्तर	37
उप-मण्डल स्तर	35
तहसील स्तर	33

टिप्पणी: वाहन: वाहनों का पंजीकरण; सारथी: चालक लाइसेंस; हिमभूमि: भू-अभिलेखों की प्रतियां; ई-प्रमाण: विभिन्न प्रमाण पत्रों को जारी करना; ई-कल्याण: सामाजिक सुरक्षा पेंशन; ई-शस्त्र: हथियार लाइसेंस तथा ई-समाधान: शिकायतों का अनुश्रवण।

किन्नौर जिले में ई-गवर्नेंस के सुदृढीकरण के लिए निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) ने नवम्बर 2008 में सुगम केन्द्रों की स्थापना के लिए ₹ पांच लाख जारी किए थे। इसमें से ई-गवर्नेंस सोसायटी रिकांगपिओ ने ₹ 1.42 लाख की राशि को कम्प्यूटर सहायक सामग्री की खरीद पर खर्च किया तथा ₹ 3.58 लाख की शेष राशि सुगम केन्द्रों की स्थापना न होने के कारण जुलाई 2012 तक बैंक खाते में अव्ययित पड़ी रही। नमूना-जांच के लिए चयनित तीन स्थानों पर ई-गवर्नेंस गतिविधियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा से निम्नलिखित उद्घाटित हुआ:

राज्य सरकार के निर्देशानुसार (नवम्बर 2007) जिला/ उप-मण्डल/ तहसील/ उप-तहसील स्तर पर स्थापित सभी केन्द्रों को एक ही प्रतीक तथा सामान्य सूचना पट्ट सहित एक सामान्य ब्रांड नाम 'सुगम' के अन्तर्गत शामिल किया जाना था। तथापि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि केन्द्र विभिन्न ब्रांड नाम जैसे 'ई-सेन्टर', 'भू-अभिलेख कम्प्यूटर केन्द्र' आदि का प्रयोग कर रहे थे अथवा स्थान को सूचित करने तथा इन केन्द्रों पर उपलब्ध सुविधाओं के लिए यथा निर्धारित कोई सूचना पट्ट नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप न केवल राज्य सरकार के निर्देशों का अपालन हुआ बल्कि जनता को परिहार्य असुविधा भी हुई।

छायाचित्र: 4



ई-सेन्टर का छायाचित्र, पूह (जुलाई 2012)

छायाचित्र: 5



कम्प्यूटर केन्द्र कल्पा स्थित रिकांगपिओ का छायाचित्र (जुलाई 2012)

- निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) द्वारा जारी किए गये दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक सुगम केन्द्र भवन/स्थल में स्थित होना चाहिए जो स्थान को सूचित करने वाले परिसर में प्रमुख स्थान पर लगाए गए प्रदर्शन बोर्डों सहित नागरिकों को सुगमता से पहुंच योग्य हो। तथापि, लेखापरीक्षा दल द्वारा दौरा किए गए तीन नमूना-जांचित केन्द्रों के स्थल से सम्बन्धित कोई निर्देशन नहीं थे।

संक्षेप में किन्नौर जिले में ई-गवर्नेंस क्रियाकलापों के विषय में जुलाई 2012 तक तहसील से जिला स्तर तक प्रदान किए जाने के लिए परिकल्पित 33 से 37 मुख्य सेवाओं के प्रति मात्र दो से सात मुख्य सेवाओं को ही प्रदान किया जा रहा था।

सिफारिशें

सरकार विचार करे:

- सभी जिलों तथा तहसीलों में सुगम केन्द्र के लिए समान रूप से एक मानकीकृत नाम एवं प्रतीक देना तथा सभी सेवाओं को एक छत के नीचे उपलब्ध करवाना।
- सुगम केन्द्रों के स्थान तथा दी जाने वाली सेवाओं के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार करना ताकि सामान्य जनता को उसकी मौजूदगी के बारे में जागरूक किया जा सके।
- अभिप्रेत लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सभी चिन्हित स्थानों पर सुगम केन्द्रों की स्थापना के लिए जिला प्रशासन को तुरन्त कार्रवाई करने की सलाह देना।

6.2 कानून और व्यवस्था

जिला पुलिस प्रशासन का नियंत्रण राज्य पुलिस मुख्यालयों द्वारा किया जाता है तथा जिले में पुलिस बल की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक द्वारा की जाती है जो कानून और व्यवस्था स्थिति की निगरानी रखता है। परिचालन दक्षता को सुधारने के लिए पुलिस अवसंरचना जैसे गतिशीलता, शस्त्रों, संचार, आवास आदि भारत सरकार द्वारा आरम्भ की गई "पुलिस बल का आधुनिकीकरण" स्कीम के द्वारा पुलिस शोध एवं विकास ब्यूरो के मानकों के अनुसार संवर्धित किया जाना था।

◆ योजना

पुलिस बल का आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत जिला पुलिस प्रशासन के लिए वाहन, शस्त्रों, उपकरण आदि की खरीद एवं आबंटन के लिए पुलिस मुख्यालय उत्तरदायी है। बल को आवास उपलब्ध करवाने के लिए निर्माण गतिविधियां राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा निष्पादित की जाती हैं।

◆ वित्तीय परिव्यय एवं व्यय

वर्ष 2007-12 के दौरान किन्नौर जिले में बजट आबंटन तथा उसके प्रति व्यय की वर्षवार स्थिति निम्न तालिका-29 में दी गई है:

तालिका-29
2007-12 के दौरान प्राप्त निधियां तथा किए गए व्यय की स्थिति

(₹ करोड़)

वर्ष	बजट आबंटन	किया गया व्यय
2007-08	6.66	6.66
2008-09	7.48	7.48
2009-10	9.38	9.38
2010-11	10.31	10.31
2011-12	11.59	11.59
कुल	45.42	45.42

स्रोत: पुलिस अधीक्षक, किन्नौर द्वारा उपलब्ध करवाए गए आंकड़े।

2007-12 के दौरान पुलिस आवास के अंतर्गत प्राप्त ₹ 45.42 करोड़ में से ₹ 88.40 लाख की राशि लोक निर्माण विभाग के पास विभिन्न कार्यों के निष्पादन के लिए जमा करवाई गई थी तथा अन्तिम व्यय के रूप में दिखाई गई। तथापि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा समय-समय पर कार्यकारी अभिकरणों के निस्तारण पर रखी निधियों को दर्शाते हुए लघु तथा मुख्य कार्यों, कार्यों के नामों का विवरण, निष्पादन हेतु लिए गए कार्य, किया गया अद्यतन व्यय एवं कार्यों की वर्तमान स्थिति के कोई अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए गए थे। यह अनुबद्ध अवधि के अनुसार कार्यों की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए उनके अनुश्रवण की कमी को दर्शाता है।

◆ अवसंरचना

अवसंरचना सुविधाएं जैसे पुलिस स्टेशनों के लिए भवन, पुलिस चौकियां, पुलिस कर्मियों के लिए बैरक एवं रिहायशी सुविधाएं (उच्च एवं निम्न अधीनस्थ आवास) पुलिस शोध एवं विकास ब्यूरो मानकों के अनुरूप उपलब्ध करवाई जाती है। मार्च 2012 तक पुलिस शोध एवं विकास ब्यूरो मानकों के अनुरूप रिहायशी/ गैर-रिहायशी आवास की आवश्यकता एवं जिले में इसके प्रति उपलब्धता निम्न तालिका-30 में दी गई है।

तालिका-30
पुलिस कर्मियों के लिए रिहायशी/ गैर-रिहायशी आवास की उपलब्धता का विवरण

(₹ करोड़)

कर्मचारी वर्ग	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी (प्रतिशतता में)
उच्च अधीनस्थ कर्मचारी के लिए आवास	33	27	06 (18)
निम्न अधीनस्थ कर्मचारी के लिए आवास बैरक	339	63	276 (81)
पुलिस स्टेशन भवन	04	03	01 (25)
स्वागत कक्ष (पुलिस स्टेशन)	04	शून्य	04 (100)
पूछताछ कक्ष (पुलिस स्टेशन)	04	शून्य	04 (100)
विश्राम कक्ष (पुरुष/ महिला के लिए अलग)	04	शून्य	04 (100)
पुलिस स्टेशन में कम्प्यूटर एवं वायरलेस कक्ष	04	शून्य	04 (100)
महिला पुलिस के लिए प्रसाधन	04	शून्य	04 (100)

स्रोत: पुलिस अधीक्षक, किन्नौर द्वारा उपलब्ध करवाए गए आंकड़े।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि उच्च तथा निम्न अधीनस्थ कर्मचारी के लिए रिहायशी आवास 18 प्रतिशत से लेकर 81 प्रतिशत तक कम थे। इसके अतिरिक्त, जिले में पुलिस स्टेशनों में मूलभूत सुविधाएं जैसे स्वागत कक्ष, पूछताछ कक्ष, विश्राम कक्ष तथा महिला पुलिस के लिए प्रसाधनों का अभाव था।

◆ पुलिस स्टेशन भवन के पूर्ण होने में विलम्ब

अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि रिकांगपिओ में पुलिस स्टेशन भवन का निर्माण ₹ 95.59 लाख में दो वर्षों में पूर्ण करने की अनुबद्धता के साथ संस्वीकृत किया गया था (सितम्बर 2007)। सितम्बर 2007 में लोक निर्माण विभाग को कार्य सौंपा गया था तथा 2007-12 के दौरान ₹ 43.50 लाख की निधियां भी जमा कर दी गई थी।

सितम्बर 2009 तक पूर्ण करने के लिए निर्धारित भवन अभी तक शुरूआती स्तर पर अपूर्ण है अर्थात् सिर्फ प्लिन्थ कार्य ही प्रगति पर है जैसा कि निम्न छायाचित्रों से देखा जा सकता है:

छायाचित्र: 6



छायाचित्र: 7



रिकांगपिओ स्थिति अपूर्ण पुलिस स्टेशन भवन (20 जुलाई 2012)

पुलिस अधीक्षक ने बताया (जुलाई 2012) कि कार्य स्थल पर किसी के द्वारा अतिक्रमण किया गया था तथा भूमि का सीमांकन करने के बाद कार्य एक ठेकेदार को सौंपा गया था (जनवरी 2011) और यह प्रगति पर है।

इसी प्रकार, रिकांगपिओ में पुलिस लाइन के लिए पुलिस बैरक का निर्माण ₹ 85.49 लाख में इसे दो वर्ष में पूरा करने की अनुबद्धता के साथ अनुमोदित किया गया था (अप्रैल 2007)। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि 2007-12 के दौरान लोक निर्माण विभाग के पास कार्य निष्पादन के लिए ₹ 40.20 लाख की राशि जमा करवा दी गई थी जिसके प्रति ₹ 10.91 लाख का व्यय किया गया था तथा कार्य का आगे निष्पादन 2009 से निलम्बित स्थिति में पड़ा है जैसा कि निम्न छायाचित्र में दर्शाया गया है:

छायाचित्र: 8



रिकांगपिओ में पुलिस लाइन के लिए पुलिस बैरक का अवरूद्ध कार्य (20 जुलाई 2012)

पुलिस अधीक्षक ने बताया (जुलाई 2012) कि वर्ष 2009 के दौरान प्लिन्थ बीम तैयार किया गया था उसके बाद कोई प्रगति नहीं हुई क्योंकि कार्य के लिए निविदाएं इस तथ्य के कारण पुनः आमंत्रित की जा रही थी कि मामला मुकदमेंबाजी के अंतर्गत पड़ा था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पर्याप्त निधियों की उपलब्धता के बावजूद विभाग/ जिला प्रशासन ने पुलिस कर्मचारी के लिए रिहायशी आवास की समयबद्ध उपलब्धता के लिए मामले को लोक निर्माण विभाग तक प्रभावशाली तरीके से नहीं पहुंचाया। इसके अतिरिक्त, कार्य पूर्णता में आगे देरी के परिणामस्वरूप लागत वृद्धि की सम्भावना है।

◆ शस्त्रों की कमी

पुलिस शोध एवं विकास ब्यूरो ने राज्य पुलिस को दो प्रकार के शस्त्रों को धारण करने की आवश्यकता निर्धारित की है। मार्च 2012 तक इसके प्रति वास्तविक धारणीयता की स्थिति निम्न तालिका-31 में दी गई है:

तालिका-31

शस्त्र धारणीयता की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

शस्त्र वर्ग	आवश्यकता (पुलिस शोध एवं विकास ब्यूरो के अनुसार मानक)	धारणीयता	कमी	न्यूनता (प्रतिशतता में)
7.62 मि0मी0 एस एल आर राइफल	307	07	300	98
9 मि0मी0 पिस्टल	39	33	6	15

स्रोत: पुलिस अधीक्षक, किन्नौर द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि शस्त्रों की आवश्यकता पूर्णतः पूरी नहीं की गई थी तथा 7.62 मि0मी0 एस एल आर राइफल्स के मामले में यह बहुत कम था (98 प्रतिशत)।

पुलिस अधीक्षक ने बताया (जुलाई 2012) कि वे 7.62 मि0मी0 एस एल आर राइफल्स की जगह .303 राइफल्स तथा 9 मि0मी0 पिस्टल की जगह रिवाल्वर धारण कर रहे हैं। उत्तर विश्वसनीय नहीं है क्योंकि पुलिस स्टेशन 7.62 मि0मी0 एस एल आर राइफल्स के स्थान पर .303 राइफल्स तथा रिवाल्वर जैसे पुराने शस्त्रों पर निर्भर रह रहे हैं जो पुलिस बल की आक्रामक क्षमता को प्रभावित करता है।

◆ मानव संसाधन प्रबन्धन

जिले में मार्च 2012 तक पुलिस कर्मियों के विभिन्न रैंकों की रिक्त स्थिति निम्न तालिका-32 में दी गई है:

तालिका-32

पुलिस कर्मियों के विभिन्न रैंकों की रिक्त स्थिति

रैंक	संस्वीकृत पद	कार्यरत व्यक्ति	कमी	न्यूनता (प्रतिशतता में)
निरीक्षक	02	01	1	50
उप-निरीक्षक	11	11	0	--
सहायक उप-निरीक्षक	28	27	1	04
मुख्य हवलदार	61	56	5	08
हवलदार	307	283*	24	08
कुल	409	378	31	08

स्रोत: विभागीय आंकड़े।

* 15 महिला हवलदार भी शामिल हैं।

उपरोक्त तालिका से यह भी देखा जा सकता है कि मार्च 2012 तक विभिन्न रैंकों में संस्वीकृत पदों के प्रति 31 रिक्तियां थी। इसके आगे, आवश्यक 10 प्रतिशत प्रतिनिधित्व के प्रति बल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मात्र पांच प्रतिशत था।

पुलिस अधीक्षक ने बताया (नवम्बर 2012) कि जिला पुलिस में रिक्तियां पुलिस मुख्यालय द्वारा समय-समय पर स्थानान्तरण, पदोन्नति तथा भर्ती करके भरी जाती है।

◆ अपराध दर एवं अन्वेषण

पिछले चार वर्षों (प्रत्येक वर्ष जनवरी से दिसम्बर) के दौरान जिले में अपराधों के पंजीकरण की वर्षवार स्थिति निम्न तालिका-33 में दी गई है:

तालिका-33
अपराधों के पंजीकरण की वर्षवार स्थिति

अपराध मद	2007	2008	2009	2010	2011	प्रतिशतता वृद्धि (2007-2011)
भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध	214	171	203	197	162	--
विशेष एवं स्थानीय कानून	56	49	77	63	173	209
कुल	270	220	280	260	335	24

स्रोत: विभागीय आंकड़े।

जहां जिले में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराधों की संख्या 2007 में 214 से घटकर 2011 में 162 हुई, वहीं विशेष एवं स्थानीय कानूनों के अंतर्गत 2007 की तुलना में 2011 के दौरान अपराधों में 209 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वर्ष 2007-12 के दौरान सूचित किए गए, जुर्माना लगाए गए तथा मुकदमा प्रक्रिया के लिए शेष मामलों की स्थिति निम्न तालिका-34 में दी गई है:

तालिका-34
2007-12 के दौरान सूचित किए गए, जुर्माना लगाए गए तथा मुकदमा प्रक्रिया के लिए शेष मामलों की स्थिति
(मामले संख्या में)

मामला	2007	2008	2009	2010	2011	कुल
सूचित किए गए	270	220	280	260	335	1365
स्वीकार नहीं किए गए	15	14	17	25	28	99
पंजीकृत किए गए	255	206	263	235	307	1266
खोजे नहीं गए	35	21	28	27	34	145
जुर्माना लगाए गए (प्रतिशतता)	220 (81)	185 (84)	235 (84)	208 (80)	273 (81)	1121
दोषी पाए गए	64	46	70	22	10	212
बरी किए गए	83	47	39	23	--	192
समझौता किए गए	15	6	12	13	--	46
वापिस लिए गए	10	12	4	4	--	30
अन्वेषण	--	--	--	--	9	9
अभियोगाधीन	48	74	110	146	254	632

स्रोत: विभागीय आंकड़े।

उपरोक्त विवरण दर्शाते हैं कि जहां 2007-11 के दौरान अदालतों में जुर्माना लगाए गए मामलों की प्रतिशतता 80 से 84 प्रतिशत के मध्य शेष थी, सम्बन्धित अवधि में प्रक्रियाधीन मुकदमा मामलों की संख्या 2007 में 48 से बढ़कर 2011 में 254 हो गई।

पुलिस अधीक्षक ने बताया (नवम्बर 2012) कि निरंतर वन मामलों के पंजीकरण के परिणामस्वरूप विशेष एवं स्थानीय कानूनों के अंतर्गत अपराध दर में वर्ष 2007 की तुलना में वर्ष 2011 में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई।

सिफारिशें

सरकार विचार करे:

- पुलिस स्टेशनों में पुलिस कर्मचारियों को पर्याप्त आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाना।
- कार्यकारी अभिकरणों द्वारा समयबद्ध तरीके से भवन की पूर्णता के लिए कार्य स्थल एवं निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

अध्याय-7 :

**मानव संसाधन प्रबन्धन एवं
आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली**

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

अध्याय-7 : मानव संसाधन प्रबन्धन एवं आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली

7.1 मानव संसाधन प्रबन्धन

◆ मानव शक्ति की उपलब्धता

नमूना-जांच के लिए चयनित विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए जिले में मानव शक्ति की उपलब्धता निम्न तालिका-35 में दी गई है:

तालिका-35
31 मार्च 2012 को मानव संसाधन की स्थिति

(संख्या में)

क्रम संख्या	कार्यकर्ता/ विभाग का नाम	संस्वीकृत पद	कार्यरत व्यक्ति	रिक्ति (प्रतिशतता)
1.	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	24	14	10 (42)
2.	शिक्षा	1561	1139	422 (27)
3.	स्वास्थ्य	540	262	278 (51)
4.	कल्याण	24	17	7 (29)
5.	एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना	12	10	2 (17)
6.	उपायुक्त	139	98	41 (29)
7.	पुलिस	411	380	31 (08)

स्रोत: सम्बन्धित विभागों द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना।

उपरोक्त विवरण से यह देखा जा सकता है कि मानव शक्ति की कमी आठ से लेकर 51 प्रतिशत तक थी। स्वास्थ्य विभाग में मानव शक्ति की कमी 50 प्रतिशत से अधिक थी। विशेष रूप से स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभागों में अपर्याप्त मानव शक्ति संसाधनों से स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तथा शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना अवश्यम्भावी है। सम्बन्धित विभागों ने बताया (मई-नवम्बर 2012) कि सरकार द्वारा कर्मचारियों की भर्ती न किए जाने तथा सेवानिवृत्तियों के कारण कर्मचारियों की कमी थी।

◆ क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण

क्षमता निर्माण उपलब्ध मानव शक्ति के कौशल एवं ज्ञान को निरंतर उन्नयन करने योग्य बनाता है। राज्य की प्रशिक्षण नीति 2009 के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को (समूह I से IV) कौशल विकास के लिए आरम्भिक समय में तथा पांच वर्ष में कम से कम एक बार अथवा पदोन्नति से पूर्व से बेहतर सेवाएं देने के लिए प्रशिक्षण से गुजरना आवश्यक है। यह देखा गया कि जिला प्रशासन ने सेवाकालीन प्रशिक्षण देने के लिए कोई प्रणाली विकसित नहीं की थी जैसा नमूना-जांचित इकाइयों में लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान पता लगा।

एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के परियोजना अधिकारियों, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया (मई-जुलाई 2012) कि इन-हाऊस प्रशिक्षण देने के लिए कोई लक्ष्य नहीं थे। तथापि, विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों को हिमाचल लोक प्रशासन संस्थान में प्रशिक्षण दिया गया था। तथापि, तथ्य यह है कि जिला स्तर के कर्मचारियों को इन-हाऊस प्रशिक्षण देने हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए थे।

7.2 निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण

विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना, विकास में जन सहयोग तथा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निष्पादित किए जा रहे कार्यों का विभिन्न स्तरों पर नियमित अनुश्रवण करने तथा प्रभावशाली पर्यवेक्षण करने की आवश्यकता है जैसा कि निम्न तालिका-36 में दर्शाया गया है:

तालिका-36

विभिन्न स्तरों पर कार्यों/ परियोजनाओं के किए जाने वाले निरीक्षणों की प्रतिशतता

निर्दिष्ट अधिकारी	किए जाने वाले निरीक्षण की प्रतिशतता
खण्ड विकास अधिकारी/ कनिष्ठ अभियन्ता	100
जिला योजना अधिकारी (परियोजना अधिकारी, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना)	15
उप-मण्डलीय अधिकारी	10
अतिरिक्त उपायुक्त/ अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी	5
उपायुक्त	4
राज्य योजना विभाग से कर्मचारी	1

लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि कार्यों की प्रगति का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण लगभग अस्तित्वहीन था तथा कई कार्य पूर्णता की अनुबद्ध अवधि के बाद अपूर्ण रहे जैसा कि 5.2.1 से 5.2.3 परिच्छेदों में दर्शाया गया है। साथ ही 2007-12 के दौरान कार्यों के निरीक्षण से सम्बन्धित कोई अभिलेख एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के परियोजना अधिकारी के पास उपलब्ध नहीं थे।

परियोजना अधिकारी, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना ने बताया (सितम्बर 2012) कि निरीक्षण नियमित रूप से संचालित किए जा रहे थे लेकिन कोई निरीक्षण टिप्पणियां पृथक रूप से जारी/ अनुरक्षित नहीं की गई थी। तथापि, तथ्य यह है कि किसी अभिलेख के अभाव में, कार्यों के निष्पादन की पारदर्शिता एवं अनुवर्ती कार्रवाई के मामले का समाधान नहीं किया गया।

अन्तिम सम्मेलन में सहायक आयुक्त ने बताया (नवम्बर 2012) कि जिले में बड़ी संख्या में किए जा रहे कार्यों को ध्यान में रखते हुए इन कार्यों का निर्धारित अनुश्रवण/ निरीक्षण पूर्ण करना बहुत कठिन था।

◆ नागरिक अधिपत्र

चयनित विभागों में कर्तव्यों एवं सेवा स्तरों के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए नागरिक अधिपत्र प्रदर्शित पाया गया था।

◆ सूचना का अधिकार अधिनियम

2007-12 के दौरान पांच अभिकरणों/ विभागों द्वारा प्राप्त किए गए सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत दस्तावेज/ सूचना की मांग करने वाले 274 आवेदनों¹, की लेखापरीक्षा में नमूना-जांच की गई थी। सभी आवेदनों का निपटान किया जाना पाया गया था।

¹ जिला ग्रामीण विकास अभिकरण: 19; शिक्षा: 187; स्वास्थ्य: 50; कल्याण: 10 तथा एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना: आठ

◆ शिकायत निवारण

राज्य सरकार ने जिला स्तर पर नीति निर्माताओं तथा लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र स्थापित किया है। शिकायत कक्ष उपायुक्त कार्यालय में स्टॉफ सहित स्थापित किया गया है जो दो तरह की शिकायतों जो (क) राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा राज्य मंत्रियों तथा (ख) सामान्य जनता के माध्यम से प्राप्त होती है, की पूर्ति करता है। राज्य सरकार द्वारा वर्ग “क” की शिकायतों का निवारण करने के लिए विनिर्दिष्ट समय सीमा एक महीना है तथा वर्ग “ख” की शिकायतों के लिए डेढ़ महीना है। उपायुक्त कार्यालय ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री व राज्य मंत्रियों तथा सामान्य जनता से प्राप्त शिकायतों का अलग अभिलेख अनुरक्षित नहीं किया था। उपायुक्त कार्यालय द्वारा यथा प्रतिवेदित गत पांच वर्षों (मार्च 2012 तक) के दौरान प्राप्त शिकायतों तथा जिनका निवारण किया गया, की संख्या की स्थिति नीचे तालिका- 37 में दर्शाई गई है:

तालिका-37

2007-12 के दौरान प्राप्त शिकायतों एवं जिनका निवारण किया गया, की संख्या की स्थिति

शिकायतें	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
प्राप्त की गई	96	114	97	32	115
निवारण की गई	96	114	97	29	92

शिकायतों को कक्ष द्वारा सम्बन्धित लाइन विभागों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भेजा जाता है तथा इसकी एक प्रति शिकायतकर्ता को भी भेजी जाती है। जब शिकायत/ शिकायतों पर कार्रवाई की जाती है, लाइन विभाग कक्ष को सूचित करता है जो आगे शिकायतकर्ता को सूचित करता है।

उपायुक्त ने बताया (सितम्बर 2012) कि विभिन्न विभागों से सम्बन्धित लम्बित मामलों के लिए उनके निपटान हेतु उनको अनुस्मारक जारी किए जा रहे हैं। यह भी देखा गया कि सतर्कता तंत्र केवल उपायुक्त कार्यालय में विद्यमान था तथा अन्य नमूना-जांचित इकाइयों में ऐसा तंत्र स्थापित नहीं पाया गया था।

7.3 अनुश्रवण तंत्र


जनजातीय उप-योजना तथा अन्य सम्बन्धित कल्याण स्कीमों के कार्यान्वयन के निरीक्षण करने के लिए राज्य सरकार ने क्षेत्र के विधायक की अध्यक्षता में एक परियोजना सलाहकार समिति का गठन किया है। उपायुक्त तथा परियोजना अधिकारी, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना क्रमशः सदस्य एवं सदस्य सचिव है तथा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद भी बैठकों में विशेष अतिथि के रूप में भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों में से छः अन्य गैर-सरकारी सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। समिति को तिमाही आधार पर बैठक करना आवश्यक है। यह देखा गया कि 2007-12 के दौरान अपेक्षित 20 बैठकों के प्रति 14 बैठकें ही हुईं। अतः समिति द्वारा अनुश्रवण उपरोक्त सीमा तक अपर्याप्त था। साथ ही विकासात्मक कार्यों का अनुश्रवण प्रभावी नहीं था क्योंकि कई विकासात्मक कार्य अपूर्ण पड़े थे तथा अपनी पूर्णता की समय सीमा से पिछड़ रहे थे जैसा कि 5.2 तथा 4.6 परिच्छेदों में दर्शाया गया है।

उपरोक्त से यह अवलोकित किया गया कि जिले में स्थानीय प्रशासन के सभी स्तरों पर विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन की प्रगति का अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण औपचारिक था जिससे विभिन्न विभागों/ कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा किए जा रहे विकासात्मक कार्यों/ परियोजनाओं की प्रगति प्रभावित हुई। फलस्वरूप, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में कई कार्य अत्यधिक रूप से विलम्बित थे जिससे अभिप्रेत लाभों से जनता को वंचित रहना पड़ा।

सिफारिश

- सरकार अनुश्रवण, निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण को स्थानीय प्रशासन के सभी स्तरों पर सुदृढीकरण किए जाने पर विचार करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यक्रमों को समय पर तथा अनुमानित लागत के अन्दर निष्पादित किया जा सके।

अध्याय-8:
योजनाओं एवं सेवाओं का प्रभाव



अध्याय-8 : योजनाओं एवं सेवाओं का प्रभाव

जिले में विभिन्न ग्रामीण विकासात्मक योजनाओं का प्रभाव निर्धारित करने के लिए नमूना-जांच हेतु चयनित 42 में से 20 ग्राम पंचायतों को विभिन्न पैरामीटरों पर उनके संतुष्टि स्तर के सम्बन्ध में प्रश्नावलियां जारी की गई थी। सभी 20 ग्राम पंचायतों से उत्तर प्राप्त हुए थे तथा उनकी प्रतिक्रिया नीचे दी गई है:-

क्रमांक	पैरामीटर	प्रतिक्रिया	प्रतिशतता
1.	गांवों, गांवों को खण्ड मुख्यालयों व जिला शहर से जोड़ने वाली सड़कों की स्थिति	खराब	30
		मरम्मत अपेक्षित	70
2.	गांवों, गांवों तथा खण्ड मुख्यालयों व जिला शहर के बीच नियमित बस सेवाएं	पर्याप्त	35
		अपर्याप्त	45
		उपलब्ध नहीं	20
3.	पेयजल आपूर्ति	उपलब्ध	30
		अंशतः उपलब्ध	70
4.	विद्युत आपूर्ति	12-24 घण्टे	30
		10-12 घण्टे	45
		0-10 घण्टे	25
5.	गांव में बैंक शाखा	उपलब्ध	35
		उपलब्ध नहीं	65
6.	रसोई गैस की उपलब्धता	नियमित	30
		अनियमित	70
7.	चिकित्सा सुविधाएं	उपलब्ध	65
		उपलब्ध नहीं	35
8.	शिक्षा सुविधाएं (कक्षा-VIII तक)	उपलब्ध	100

सड़क स्थिति, बस सेवाओं, पेयजल आपूर्ति व रसोई गैस की उपलब्धता तथा बैंक सुविधाओं आदि के सम्बन्ध में प्रतिक्रियाएं लोगों के निम्न संतुष्टि स्तर को दर्शाती हैं।

सिफारिश

- जिला प्राधिकारी दक्षतापूर्वक विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु ठोस तथा सुनिश्चित प्रयास करे ताकि जिले में ग्रामीण लोगों के स्तर को सुधारा जा सके।

निष्कर्ष

यह अवलोकित किया गया कि कार्यक्रमों तथा स्कीमों की अधिकता है तथा कार्यान्वयन अभिकरणों की संख्या भी अधिक है जिससे जिला प्रशासन के लिए विकासात्मक क्रियाकलापों का प्रभावशाली अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करना कठिन होता है। जबकि लगभग सभी विकासात्मक कार्यक्रम एक ही समूह के लाभार्थियों पर लक्षित हैं, एकीकृत केन्द्र बिन्दु के बिना असंख्य कार्यक्रमों की विद्यमानता को उनमें से प्रत्येक को एकमात्र ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है। मूलभूत सेवाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इत्यादि प्रदान करने में भारत सरकार द्वारा व्यापक रूप से स्थानीय स्तर पर विशेषतया पंचायती राज संस्थाओं को उत्तरदायित्व सौंपा जा रहा है। इसका अभिप्राय यह भी सुनिश्चित करना है कि स्थानीय सरकार जिला, खण्ड तथा ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यों के निर्वहन में सक्षम है जो उन्हें सुपुर्द कि गए हैं। यह पाया गया कि योजना प्रक्रिया में इन स्तरों पर पर्याप्त भागीदारी की अनुपस्थिति जिले की योजनाबद्ध प्रगति तथा निम्न स्तर पर जरूरी आवश्यकताओं का निराकरण करने में विफलता रूकावट पैदा कर रही है। जबकि पंचायती राज संस्थान उनके क्षेत्र के एकीकृत विकास हेतु विशिष्ट योजनाओं को तैयार करने में सक्षम हैं, इन स्तरों से ढांचागत वार्षिक कार्य योजनाओं की कमी तथा क्षमता निर्माण के अभाव में विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए उनको प्रदान की गई निधियों को खर्च करने की उनकी असमर्थता में परिणत हुआ है। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य सुरक्षा अवसंरचना में अंतरालो की पहचान के लिए उचित योजना की अनुपस्थिति तथा कुशल मानव शक्ति की कमी के साथ जुड़ी अनुबद्ध सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण भी जिले के लोगों को प्राप्य एवं वहन योग्य स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाओं को उपलब्ध करवाने के लक्ष्यों की गैर-प्राप्ति हुई है।

स्कीमों के निष्पादन के सम्बन्ध में यथा परिकल्पित पर्याप्त अनुश्रवण तंत्र या तो स्थापित नहीं किया गया है अथवा कार्य नहीं कर रहा है। जबकि सेक्टर/ सेवा के एकीकृत विकास को उपलब्ध कराने के लिए वार्षिक

योजनाएं सूत्रबद्ध की गई हैं, इन्हें अपेक्षित औपचारिकताओं जैसे वन भूमि हेतु अनुमति अथवा भूमि के लिए स्पष्ट स्वामित्व प्राप्त करने सहित अनुपालना न किये जाने के साथ-साथ मानव शक्ति की कमी के कारण समयबद्ध ढंग से निष्पादित नहीं किया जा सका था।

अतः जिला प्रशासन तथा राज्य सरकार को वांछित गति से जिले के वास्तविक विकास को प्राप्त करने के लिए इन मामलों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

शिमला
दिनांक

4 MAR 2013




(सतीश लूम्बा)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित


नई दिल्ली
दिनांक

7 MAR 2013



(विनोद राय)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक



परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1

जिले की निधियों का प्रवाह

(संदर्भित परिच्छेद 1.1; पृष्ठ vii)

2007-12 के दौरान जिले में निधियों के स्रोतों की वर्षवार स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

2007-12 के दौरान जिले की निधियों का प्रवाह

(₹ करोड़)

	वित्तीय वर्ष 08	वित्तीय वर्ष 09	वित्तीय वर्ष 10	वित्तीय वर्ष 11	वित्तीय वर्ष 12	कुल
1. अथशेष	2.54	4.44	4.78	4.79	8.62	25.17
2. 11वीं केन्द्रीय पंचवर्षीय योजना से वार्षिक प्राप्ति	10.30	10.55	11.46	12.70	14.23	59.24
3. के माध्यम से प्राप्ति						
क केन्द्रीय वित्त आयोग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ख राज्य वित्त आयोग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ग सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास	0.19	0.11	0	0.18	0.83	1.31
घ विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास (विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना)	0.25	0.30	0.30	0.30	0.30	1.45
4. राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों को अन्तरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5. केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों को अन्तरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6. राज्य सरकार से निम्न को निधि प्रवाह:						
क राज्य प्रायोजित योजनाएं	81.84	100.30	116.11	105.82	91.09	495.16
ख केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में राज्य अंश	1.49	1.00	1.04	1.30	0.58	5.41
7. भारत सरकार से निधि प्रवाह						
क महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए प्रत्यक्ष हस्तांतरण	12.99	15.46	17.91	20.38	22.26	89.00
ख विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग एशियन विकास बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8. पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों (सम्पत्ति कर, विज्ञापन कर, जल शुल्क इत्यादि) के स्वयं के स्रोत (कर एवं गैर-कर राजस्व)	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	109.60	132.16	151.60	145.47	137.91	676.74

परिशिष्ट-1.2

(संदर्भित परिच्छेद 1.1; पृष्ठ vii)

संसाधनों का अनुप्रयोग

2007-12 के दौरान जिले में वित्तीय संसाधनों के अनुप्रयोग की वर्षवार स्थिति को दर्शाने वाला विवरण


(₹ करोड़)

संसाधनो का अनुप्रयोग	वित्तीय वर्ष 08	वित्तीय वर्ष 09	वित्तीय वर्ष 10	वित्तीय वर्ष 11	वित्तीय वर्ष 12	कुल
1. अथशेष	2.54	4.44	4.78	4.79	8.62	25.17
2. 11वीं केन्द्रीय पंचवर्षीय योजना से वार्षिक व्यय	9.15	9.80	11.22	10.48	12.90	53.55
3. निम्न के अंतर्गत व्यय						
क केन्द्रीय वित्त आयोग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ख राज्य वित्त आयोग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ग सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास	0.05	0.25	0	0.18	0.83	1.31
घ विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास (विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना)	0.25	0.30	0.30	0.30	0.30	1.45
4. राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों को अन्तरण का व्यय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5. केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों को अन्तरण का व्यय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6. निम्न के माध्यम से व्यय						
क राज्य प्रायोजित योजनाएं	82.66	100.02	116.88	106.53	91.91	498.00
ख केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में राज्य अंश	1.39	0.87	0.79	0.91	0.35	4.31
7. भारत सरकार निधि से व्यय						
क महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए प्रत्यक्ष हस्तांतरण	11.46	14.62	17.99	17.06	20.97	82.10
ख विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग एशियन विकास बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8. पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों (सम्पत्ति कर, विज्ञापन कर, जल शुल्क इत्यादि) के स्वयं के स्रोतों से व्यय (कर एवं गैर-कर राजस्व)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	107.50	130.30	151.96	140.25	135.88	665.89


परिशिष्ट-1.3

(संदर्भित परिच्छेद 1.1; पृष्ठ vii)

2007-12 के दौरान जिले में निधियों के स्रोत की स्थिति को दर्शाने वाला चार्ट (₹ करोड़)



वर्ष 2007-12 के दौरान जिले में वित्तीय संसाधनों की अनुप्रयोग की स्थिति को दर्शाने वाला चार्ट (₹ करोड़)



परिशिष्ट-1.4

(संदर्भित परिच्छेद 1.1; पृष्ठ vii)

2011 की जनगणना के अनुसार जिले में जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात एवं साक्षरता दर का विवरण

	जिला	राज्य
जनसंख्या घनत्व (प्रतिवर्ग किलोमीटर- 2011 जनगणना)	13	123
लिंगानुपात (2011 जनगणना) (महिला प्रति हजार पुरुष)	818	974
कुल साक्षरता: (प्रतिशत)	80.77	83.78
(i) पुरुष:	88.37	90.83
(ii) महिला:	71.34	76.60

परिशिष्ट-1.5

(संदर्भित परिच्छेद 1.1; पृष्ठ vii)

मानव संसाधन विकास अवसंरचना के आंकड़े

चिकित्सा सुविधाएं	जिला एवं सिविल अस्पताल (प्रत्येक एक); सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र: चार; प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र: 21; स्वास्थ्य उप-केन्द्र: 31; आयुर्वेदिक होम्योपैथिक अस्पताल: (प्रत्येक एक); आयुर्वेदिक औषधालय एवं स्वास्थ्य केन्द्र: (प्रत्येक 27)।
शिक्षा सुविधाएं	महाविद्यालय: एक; उच्च माध्यमिक विद्यालय: 27; उच्च विद्यालय: 21; माध्यमिक विद्यालय: 34; प्राथमिक विद्यालय: 189 एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान: एक।
आर्थिक क्रियाकलाप	कृषि, बागवानी एवं कुटीर उद्योग।
राजस्व सृजन गतिविधियां	खनन गतिविधियों से रॉयल्टी (खनन पट्टे: छः; पत्थर खदानीकरण/ क्रेशर: छः)।
सड़कें	पक्की: 421 किलोमीटर; कच्ची: 317 किलोमीटर।
विद्युत	234 गांवों में से 224 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।
जलापूर्ति	392 बस्तियों में से 93 प्रतिशत पूर्णतः आवृत्त तथा शेष सात प्रतिशत अंशतः आवृत्त है।
मल-निकास	केवल जिला मुख्यालयों में उपलब्ध।
लोक परिवहन	सड़क परिवहन राज्य सरकार के साथ-साथ निजी संचालकों द्वारा उपलब्ध करवाया गया।
भूमि	कृषि योग्य भूमि: 9355 हैक्टेयर; गैर-कृषि योग्य भूमि: 614387 हैक्टेयर; वन: 458297.47 हैक्टेयर।
अन्य पहलु	वृष्टि: मार्च से अक्टूबर: 4.09 से 83.5 मिलीमीटर हिमपात: (शीतकालीन महीने) नवम्बर-अप्रैल: 6.4 से 139.9 सेंटीमीटर तीन उप-मण्डलों में से एक सूखा संवेदी/ शीत मरुभूमि है।
केन्द्रीय प्रायोजित सामाजिक क्षेत्र स्कीम के नाम	केन्द्रीय प्रायोजित सामाजिक क्षेत्र योजनाएं: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन; महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना; सर्व शिक्षा अभियान; सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान एवं त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम। अन्य केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं: राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना; प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना; बंजर विकास कार्यक्रम; इन्दिरा आवास योजना; सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना तथा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना।
राज्य स्कीमें एवं जिले में कार्यान्वित की गई स्थानीय स्कीमें/ गतिविधियां	राज्य योजनाएं: उच्च शिक्षा; विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना; ग्रामीण सड़कें (राज्य क्षेत्र); ग्रामीण जलापूर्ति (राज्य क्षेत्र); केन्द्र बजट योजना; ई-गवर्नेन्स तथा कानून और व्यवस्था (पुलिस)।

